रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1970 (वैसाख 5, 1892)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1970 (VAISAKHA 5, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

22 JUL 1970

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 26 मार्च 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं ।

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 26th March 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
48	No. 46-ITC(PN)/70, dated 25-3-70.	Min. of Foreign Trade.	Licensing conditions for Public/Private sector imports (Non-project Aid) under 9th Yen credit.
49	No. F. 4(3)/W&M/70, dated 26th March 70.	Min. of Finance	5½% Loan 2,000 issued at Rs. 100·00 per cent and redeemable at par on the 11th April 2000.
	सं० एफ० 4(3) डब्ल्यू० एंड एम०/70, दिनांक 26 मार्च, 1970	वित्त मंत्रालय	100.00 रुपये प्रतिशत पर जारी किया गया और 11 अप्रैल, 2000 को सम-मूल्य पर चुकाया जाने वाला साढ़े पांच प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2000 ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	407
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	479
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	35
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	519
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1391
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	1931
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	213
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	455
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	161
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं..	77
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	237
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	67
पूरक संख्या 17—	
18 अप्रैल 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	713
24 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	725

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	407
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	479
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	35
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	519
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1391
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1931
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	213
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	455
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	161
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	77
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	237
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	67
SUPPLEMENT No. 17	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 18th April 1970	713
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 24th March 1970	725

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1970

सं० 9-प्रेज/70—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित अति असाधारण विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में उनको "परम विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह (आई० सी०-344), लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा (आई० सी०-214), ऐक्टिंग वाइस-ऐडमिरल नीलकंट कृष्णन, इंडियन नेवी, मेजर जनरल मिहिर सिंह गेहीसिंह हज़ारी (आई० सी०-646), मेजर जनरल नवीन चन्द रौले (आई० सी०-525) एम० सी०, मेजर जनरल सगत सिंह (आई० सी०-4295), मेजर जनरल उमराव सिंह (आई० सी०-361), रियर ऐडमिरल बन्श राज सिंह (एल०), इंडियन नेवी, एयर वाइस मार्शल अजीत नाथ (1666), मेडिकल।

सं० 10-प्रेज/70—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित असाधारण विशिष्ट सेवाओं के उपलक्ष्य में उनको "अति विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

ब्रिगेडियर अरुण कुमार श्रीधर वैद्य (आई० सी०-1701), एम० वी० सी०, आर्मर्ड कोर, ब्रिगेडियर कुडालोर लक्ष्मीनारासिमहाल् सेसागिरी (आई० सी०-1982), ई० एम० ई०, ब्रिगेडियर जानकी दास कपूर (वी०-14), ब्रिगेडियर प्रीतम चन्दू लाल (आई० सी०-2038), इन्टेलिजेन्स कोर, ब्रिगेडियर रोनाल्ड आर्थर रीगल ओ' कोनर (आई० सी०-576), मराठा लाईट इन्फेंट्री, ब्रिगेडियर रिसाल सिंह (आई० सी०-1610), राजपूताना राईफल्स, ब्रिगेडियर सुखवन्त सिंह (आई० सी०-959), आर्टिलरी, ब्रिगेडियर सुडालायान्डी कोलान्डावेलू (आई० सी०-3196), आर्टिलरी, ब्रिगेडियर शमशेर सिंह पुरी (आई० सी०-1041), आर्मर्ड कोर, ब्रिगेडियर शाबेग सिंह (आई० सी०-778), 11 गोरखा राईफल्स, कमोडोर दर्शन चन्दर कपूर, इंडियन नेवी, कमोडोर किरपाल सिंह, इंडियन नेवी, कमोडोर राजेन्द्र टंडन (ई०), इंडियन नेवी, एयर कमोडोर सत पाल सिंह (2853), टेक/सिग, कर्नल इकबाल सिंह (आई० सी०-1162), आर्टिलरी, कर्नल मनोहर लाल (आई० सी०-3003), पंजाब, कप्तान बलवीर दत्त ला, इंडियन नेवी, सर्जन कप्तान डी० रोजारियो फास्ट पिन्टो, इंडियन नेवी, कप्तान लैन्सलोट गोम्स, इंडियन नेवी, ऐक्टिंग कप्तान जोगिन्दर सिंह रन्धावा, इंडियन नेवी (**मरणोपरान्त**), ऐक्टिंग कप्तान कृष्णास्वामी श्रीधरन (एस०), इंडियन नेवी, कप्तान मोहन सिंह ग्रेवाल, इंडियन नेवी, कप्तान मेलविले रेमन्ड शुंकर, इंडियन नेवी, ग्रुप कप्तान अज्ञा कार सिंह बक्शी (2013), ऐडमिनिस्ट्रेटिव एन्ड स्पेशल ड्यूटीज़, ग्रुप कप्तान ब्रियन केथ स्टिडस्टन '(2821), जनरल ड्यूटीज़ (पायलट), ग्रुप कप्तान लक्ष्मण माधव कटरे (3117), जनरल ड्यूटीज़ (पायलट), विंग कमांडर (ऐक्टिंग अनपेड ग्रुप कप्तान), नितुप्त लाल बधवार, (3955), जनरल ड्यूटीज़ (पायलट), ग्रुप कप्तान रणधीर सिंह (2135), वीर चक्र, जनरल ड्यूटीज़ (पायलट), लेफ्टिनेंट कर्नल (लोकल कर्नल) प्यारा लाल (आई० सी०-3857), मद्रास, लेफ्टिनेंट कर्नल (लोकल कर्नल) सुरेश चन्द्र शर्मा (आई० सी०-8053), डोगरा, लेफ्टिनेंट कर्नल (अब कर्नल) ए० आई० जी० मौन्टेरो (आई० सी०-5061), इन्स्ट्रक्टर कमांडर मन मोहन सिंह कोहली, इंडियन नेवी।

सं० 11-प्रेज/70—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित उच्च कोटि की विशेष सेवाओं के उपलक्ष्य में उनको "विशिष्ट सेवा मैडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

कर्नल राजाशेखरउडयर शान्ताउडयर उडयर (आई० सी०-2132), आर्टिलरी, लेफ्टिनेंट कर्नल अछर सिंह (एस० एल०-212), स्पेशल लिस्ट, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिज राज सिंह (आई० सी०-10195), इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल बक्शी जोगिन्दर सिंह (आई० सी०-4870), जाट, लेफ्टिनेंट कर्नल देविन्दर सिंह सिधू (1646), 9 हार्स, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह रावत (आई० सी०-4170), आर्टिलरी, लेफ्टिनेंट कर्नल हरबन्स लाल सेठी (आई० सी०-4815), इन्टेलिजेन्स कोर, लेफ्टिनेंट कर्नल पिन्डी दास सानी (आई० सी०-2609), सिगनल्स, लेफ्टिनेंट कर्नल राम रतन सिंह (आई० सी०-4108), डोगरा रेजिमेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेन्द्र नाथ दार (आई० सी०-5441), गोरखा राईफल्स, कमांडर बगलोर राव वसन्थ, इंडियन नेवी, कमांडर चित्त रंजन राय, इंडियन नेवी कमांडर ज्योतिन्द्र नाथ मैत्रा, इंडियन नेवी, कमांडर जगदीश चन्द्र पुरी, इंडियन नेवी, कमांडर जेम्स जोसफ रोनाल्ड मार्टिन, इंडियन नेवी, कमांडर कंवर मुनीश कुमार, इंडियन नेवी, कमांडर लायनल ईवार्ट औरड्डे ल्यूनल, इंडियन नेवी, कमांडर मनवेदम सथियानाथन मेनन, इंडियन नेवी, ऐक्टिंग कमांडर माधवन रामचन्द्रन नायर, इंडियन नेवी, कमांडर नेलारी पूजनकान्डी मुकुन्दन इंडियन नेवी, कमांडर रंगास्वामी बाला सुब्रामनियन, इंडियन नेवी, इन्स्ट्रक्टर कमांडर थौमस अन्थोनी डि'कोटे, इंडियन नेवी विंग कमांडर गुरशरन सिंह (4263), टेक्निकल इंजीनियरिंग, विंग कमांडर हरभजन सिंह भाटिया (4300), टेक्निकल/इलैक्ट्रिकल विंग कमांडर इन्दर सिंह दुआ (3631), ऐडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड स्पेशल ड्यूटीज़, विंग कमांडर किरपाल सिंह सूफी

(3952), जनरल ड्यूटीज (पायलट), विंग कमांडर नवल नरंजन धीर (2752), एज्यूकेशन, विंग कमांडर नारायनन कृष्णन नायर (4075), टैक्निकल/इलैक्ट्रिकल, विंग कमांडर पदम सेन कपूर (3704), इक्विपमेंट, विंग कमांडर राजिन्दर (4303), टेक्निकल/इलैक्ट्रिकल, विंग कमांडर श्यामल कुमार मित्रा (3818) टेक्निकल/इलैक्ट्रिकल, विंग कमांडर वेद प्रकाश मिश्रा (3627), ऐडमिनिस्ट्रेटिव एण्ड स्पेशल ड्यूटीज, मेजर बमराह निरंजन सिंह (एम० आर०-975), आर्मी मेडिकल कोर, मेजर दीपान्कर घोष (एम० आर०-1437), आर्मी मेडिकल कोर, मेजर गिरधारी लाल (एस० एल०-91), स्पेशल लिस्ट, मेजर गुलजारी लाल नन्दा (आई० सी०-8025), सिगनल्स, मेजर जोसफ पौल एलापेट (आई० सी०-10620), इंजीनियर्स, मेजर सुरिन्दर मोहन (एम० आर०-1481), आर्मी मेडिकल कोर, मेजर श्रीकान्त सीताराम हुसबनिसि (आई० सी०-6233), जाट, मेजर सरदारी लाल सैनी (आई० सी०-1092), ई० एम० ई०, मेजर तेजवन्त सिंह ग्रेवाल (आई० सी०-8000), मराठा, मेजर विजय नारायण चन्ना (आई० सी०-8495), गार्ड्स, लेफ्टिनेंट कमांडर (एस० डी०, (जी०) आबू अमीन, इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट कमांडर (एस० डी०) (बी०), विक्रम सिंह, इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट कमांडर चाकिंगल नारायण बालाकृष्ण मेनन, इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट कमांडर गृह नन्दन नन्दा सिंह, इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट कमांडर हीथउड जौन्सन, इंडियन नेवी, स्क्वाड्रन लीडर बन्सीदर श्रीनिवास हुतागदी (5492), टेक्निकल सिगनल्स, स्क्वाड्रन लीडर महिन्दर सिंह (4191), इक्विपमेंट, स्क्वाड्रन लीडर माधवाकृष्णा केशव (5119), जनरल ड्यूटीज (पायलट), स्क्वाड्रन लीडर विश्वानाथ वेंकटारमानी (4970), जनरल ड्यूटीज (पायलट), कप्तान जार्ज कुरियन (एम०-30762), आर्मी मेडिकल कोर, कप्तान क्रान्ति कुमार सूद (आई० सी०-13536), गोरखा राईफल्स, कप्तान प्रहलाद सिंह सेठी (ई० सी०-59669), इंजीनियर्स कप्तान सन्त दास (टी० सी०-31174), ए० एस० सी० (पोस्टल), लेफ्टिनेंट भगवान दीपक मोहिन्द्रा, एन० एम०, इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट (एस० डी०) (आर०) उन्नी कृष्णन पिशोरदी, इंडियन नेवी, लेफ्टिनेंट (एस० डी०), (एम० ई०) विट्ठल उगाप्पा शेट्टी, इंडियन नेवी, फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट अमरजीत सिंह कुल्लर (5854), वीर चक्र, जनरल ड्यूटीज (पायलट), फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिलाआरिकल पीटर वरगीज (7866), टेक्निकल इंजीनियरिंग, जे० सी०-35607, सूबेदार हरी सिंह, सिख, वी० शांमुगम, मास्टर चीफ पेटी अफसर, मेडिकल असिस्टेंट फस्ट क्लास, नं० 15488 मनियमकोट पौल ऐन्टोनी, मास्टर चीफ पेटी अफसर, फस्ट क्लास, नं० 8122, 19258 वारंट अफसर सरोज रंजन चन्द्रा, फिटर-1, 211592 फ्लाइट सार्जन्ट चुराकामभिल मेथ्यू अब्राहम, राडार मैकेनिक, 201852 फ्लाइट सार्जन्ट जोतिन्द्रा नाथ कौल, फिटर, 206773 फ्लाइट सार्जन्ट मन्नामकुन्नाथ गोपालन, इलैक्ट्रिशियन, 219257 सार्जन्ट प्राण कृष्णा मिश्रा, एफ०-II ए०, भिक्षा राम शर्मा, मास्टर चीफ पेटी अफसर (मैकेनिशियन) फस्ट क्लास, नं० 33499।

सं० 12-प्रेज/70—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्ति को उत्कृष्ट वीरता के लिए "कीर्ति चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

श्री शाम सुन्दर,
सहायक स्टेशन मास्टर, उत्तरी रेलवे

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 मई 1969)

6 मई 1969 की रात्रि को लगभग 0030 बजे आठ या नौ सशस्त्र डाकुओं का एक गिरोह गुलधर रेलवे स्टेशन के कार्यालय में वहां के रेलवे कर्मचारियों पर हावी होकर अन्दर घुस गया। डाकुओं ने पिस्तौल दिखाकर श्री शाम सुन्दर, सहायक स्टेशन मास्टर से जो उस समय ड्यूटी पर थे, स्टेशन की नगदी की अलमारी की चाबी मांगी। श्री शाम सुन्दर ने चाबी देने से इन्कार कर दिया। उनके मनाही पर एक डाकू ने क्रुद्ध होकर उन पर गोली चला दी जिससे उनके बायें बाजू में घाव हो गया। घायल होते हुए भी श्री शाम सुन्दर बहादुरी से अपनी जगह पर डटे रहे। वे डाकुओं पर झपट पड़े और एक डाकू के पास से एक झोला छीना जिसमें 12 कारतूस थे। तदुपरान्त दूसरे डाकू ने श्री शाम सुन्दर पर गोलियां चला कर उनकी छाती, पेट और टांग को बुरी तरह जख्मी कर दिया। घावों से बेपरवाह वे वीरता के साथ लड़ते रहे और उन्होंने नगदी की अलमारी की चाबी नहीं दी। श्री शाम सुन्दर के इस कड़े विरोध तथा अन्य ग्रामीणों के वहां आ पहुंचने के कारण डाकू घबरा गए और भाग खड़े हुए।

इस कार्यवाही में श्री शाम सुन्दर ने प्रशंसनीय दृढ़-निश्चय और उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया।

सं० 13-प्रेज/70—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को वीरता के लिए "शौर्य चक्र" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं :—

1. जे० सी०-4815 सूबेदार शिवराज सिंह
   जाट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—23 अगस्त 1968)

22 अगस्त 1968 को यह सूचना मिलने पर कि एक घायल उपद्रवी को मीजो पहाड़ियों के एक गांव से होकर बाहर ले जाया जा रहा है, सूबेदार शिवराज सिंह तत्काल ही एक प्लाटून के साथ उस ओर चल पड़े और 23 अगस्त 1968 को प्रातः उस गांव में जा पहुंचे। उन्होंने उपद्रवियों के छिपने के स्थान का पता लगा लिया तथा जल्दी ही उसे घेर लिया। एक उपद्रवी को जब सैनिकों की गतिविधियों का पता लगा तो उसने तत्काल गोली चला दी। सूबेदार शिवराज सिंह ने जवाबी गोली चलाकर उपद्रवी को मार दिया। उन्होंने एक अन्य उपद्रवी को भी पकड़ा जो भागने की चेष्टा कर रहा था। उनके नेतृत्व में प्लाटून ने गोलाबारूद, भारी संख्या में हथियार तथा कुछ कागजात अपने कब्जे में कर लिये।

इस कार्य में सूबेदार शिवराज सिंह ने वीरता तथा नेतृत्व का परिचय दिया।

2. मेजर मन मोहन सिंह बजाज (आई० सी०-12329)
   गोरखा राइफल्स (मरणोपरान्त)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—20 सितम्बर 1968)

22 अगस्त, 1968 से 8 जनवरी 1969 के दौरान मेजर मन मोहन सिंह बजाज को अपनी कम्पनी के साथ नागालैंड के कोहिमा क्षेत्र में सक्रिय अनधिकृत हथियारों से लैस एवं लूटपाट करने वाले उपद्रवियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का काम सौंपा गया था।

भारी वर्षा और प्रतिकूल मौसम के बावजूद उन्होंने घने जंगलों से भरे इस क्षेत्र में विस्तृत गश्त का संगठन किया। उनके सुगठित प्रयासों से उनके क्षेत्र में उपद्रवियों की गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई। 20 सितम्बर 1968 को उन्हें चौकी के समीप एक उपद्रवी के मौजूद होने की सूचना मिली तो उन्होने उपद्रवी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई तथा स्वयं उस पर घात लगाने बैठे। उन्होने सड़क के किनारे अपना स्थान बनाया और उस आदमी को अपने नजदीक आने को कहा। परन्तु जब उसने भागना शुरू किया तो उन्होंने झाड़ियों और जुते हुए खेतों के बीच होकर उसका पीछा किया। उपद्रवी का कुछ देर तक पीछा जारी रहा जब कि मेजर मन मोहन सिंह बजाज के नेतृत्व में पीछा करने वाले दल ने उसे ढूंढ़ न निकाला तथा घटनास्थल पर ही मार न डाला। दोबारा 4 जनवरी 1969 को वे एक दल के साथ उपद्रवियों के छुपे हुए स्थान का पता लगाने के लिए गए। 8 जनवरी 1969 को प्रातः उन्होंने कुशलतापूर्वक टोह ली और शेष गश्ती दल को 50 मीटर पीछे छोड़कर वह दो जवानों को साथ लेकर उस गुप्त स्थान पर पहुंचे। अफसर को अपने दल के साथ आते देख कर उस जगह पर छुपे हुए 4–5 उपद्रवी तेजी से बाहर आये तथा जंगल की ओर भागने लगे। जब उपद्रवी रूके तो मेजर मन मोहन सिंह बजाज ने उन्हें ललकारा और अपनी स्टेन गन से उन पर गोलियां चलाई। उपद्रवियों ने भी उनकी ओर गोलियां चलाना आरम्भ कर दिया। इस मुठभेड़ में उनको एक गोली लगी जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में मेजर मन मोहन सिंह बजाज ने वीरता तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

3. श्री रामेश्वर प्रसाद सेठ (जी० ओ०-771)
सहायक कार्यपालक इंजीनियर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 अक्तूबर 1968)

श्री रामेश्वर प्रसाद सेठ, सहायक कार्यपालक इंजीनियर (सिविलियन) उस सड़क अनुरक्षण यूनिट के स्थानापन्न अफसर कमांडिग के रूप में काम कर रहे थे जिसे कि फुन्तशोलिंग को थिम्पू से मिलाने वाले भूटान के मुख्य राजमार्ग पर काम करने के लिए लगाया गया था। 2 से 5 अक्तूबर 1968 तक लगातार वर्षा के कारण बांगचू नदी की बाढ़ से इस खंड पर चुखा नामक स्थान पर पुलों के पीलपायों को भारी क्षति पहुंची थी। 5 अक्तूबर 1968 को श्री सेठ ने देखा कि फुन्तशोलिंग की ओर से पुल का पीलपाय नींव के नीचे बाढ़ के प्रभाव से कमजोर हो चुका था और वह सड़क की सतह से लगभग 40 फुट नीचे एक बड़े पत्थर के सहारे संशयात्मक ढंग से टिका हुआ था। इस बड़े पत्थर के अपने स्थान पर एकदम बने रहने के लिए तत्काल कुछ व्यवस्था करनी आवश्यक थी। जब श्री सेठ ने देखा कि मजदूर दल पीलपाए के कमजोर होने के कारण पुल के गिर जाने के डर से आवश्यक कार्य के लिए पुल के नीचे जाने को तत्पर नहीं है तो वह तत्काल पुल के नीचे चले गये और कार्य करना आरम्भ कर दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण से मजदूर दल तथा सड़क निर्माण दल ने भी पुल की रक्षा के लिए कार्य करना आरम्भ कर दिया तथा वे लोग 9 अक्तूबर 1968 तक कार्य करते रहे जब तक कि पीलपाया सुरक्षित न हो गया। यदि यह पीलपाया गिर गया होता तो यह महत्वपूर्ण पुल नदी में गिर जाता।

इस कार्यवाही में श्री रामेश्वर प्रसाद सेठ ने शौर्य, पहल-शक्ति तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

4. 17363 राइफलमैन भुवा थापा
आसाम राईफल्स **(मरणोपरान्त)**

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 नवम्बर 1968)

5 नवम्बर, 1968 को आसाम राईफल्स की बटालियन के एक प्लाटून को मीजो पहाड़ियों के एक क्षेत्र में घात लगाने का आदेश दिया गया था। लगभग साढ़े नौ बजे प्रातः करीब 9–10 उपद्रवी घात क्षेत्र में पहुंचे। सैक्शन के एक कार्मिक ने गोली चलाई और दो उपद्रवियों को घायल कर दिया। अन्य उपद्रवी भागने लगे। एक सैक्शन कमांडर ने भागते हुए उपद्रवियों पर धावा बोल दिया। उपद्रवियों ने भी जबाबी गोली चलाना आरम्भ कर दिया। थोड़े समय तक की फायरिंग के बाद दल के एक जवान का गोलाबारूद समाप्त हो गया। राईफलमैन भुवा थापा सुरक्षात्मक फायर करके उसके बचाव के लिए आये। बाद में जब वही जवान गम्भीर रूप से घायल हो गया तो राईफलसमैन भुवा थापा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना अपनी स्थिति से बाहर कूद पड़े और उन्होंने उपद्रवियों पर अकेले ही धावा बोल दिया। जैसे ही वह घायल जवान के पास पहुंचे और उसकी हल्की मशीनगन उपद्रवियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए उठाई कि वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गये।

इस कार्यवाही में राईफलमैन भुवा थापा ने शौर्य तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

5. 18045 राईफलमैन नमल चन्द्र कोच
आसाम राईफल्स **(मरणोपरान्त)**

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 नवम्बर 1968)

5 नवम्बर 1968 को आसाम राईफल्स की एक बटालियन के एक प्लाटून को मीजो पहाड़ियों के एक क्षेत्र में घात लगाने का आदेश दिया गया। लगभग साढ़े नौ बजे प्रातः करीब 9–10 उपद्रवियों का एक गिरोह घात क्षेत्र में पहुंचा। सैक्शन के एक कार्मिक ने फायर कर दिया जिससे दो उपद्रवी घायल हो गये और अन्य भागने लगे। जिस समय सैक्शन कमांडर ने भागते हुए उपद्रवियों पर हमला किया उस समय राईफलमैन नमल चन्द्र कोच ने जो सैक्शन कमांडर का अनुसरण कर रहे थे, उपद्रवियों की स्थिति की ओर फायर करना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि सैक्शन कमांडर हताहत हो गया था, तथापि राईफलमैन नमल चन्द्र कोच उपद्रवियों की ओर उस समय तक बढ़ते रहे जब तक कि उन्हें पता न चला कि उनका सब गोला-बारूद मैगजीन समाप्त हो गए हैं। वह उपद्रवियो के फायर के मुकाबले में अपर्याप्त रक्षात्मक फायर में आगे बढ़े जिससे कि वह गोलाबारूद का पुनर्भरण कर सकें। ऐसा करने के उपरान्त वह उसी स्थान पर वापस आये और जब सैक्शन के बचे हुए लोगों ने उपद्रवियों पर फायर चालू रखा तो उन्होंने अकेले ही कूल्हे से फायर करते हुए पुनः एक पार्श्व से उपद्रवियों पर हमला कर दिया। जब वह उपद्रवियों के केवल 5 गज की दूरी पर थे वह घातक रूप से घायल हो गये।

इस कार्यवाही में राईफलमैन नमल चन्द्र कोच ने वीरता तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

6. कप्तान मनजिन्दर पाल सिंह (आई० सी०-20250)
जाट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—10 जनवरी 1969)

10 जनवरी 1969 को कप्तान मनजिन्दर पाल सिंह जब मीजो पहाड़ियों में एक कम्पनी की कमान कर रहे थे तो उन्हें सूचना मिली कि तीन उपद्रवी जंगल में छिपे हुए है। तत्काल एक गश्त के साथ वह उस स्थान की ओर चल पड़े और घने जंगलों तथा कठिन भूभाग को पार कर उस स्थान पर पहुंचे। इससे उपद्रवी पूर्णतः स्तब्ध रह गये और सभी उपद्रवियों को एक भी फायर किये बिना पकड़ लिया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक राईफल, कुछ गोलाबारूद तथा बहुमूल्य कागजात भी प्राप्त किये। पुनः 25/26 अप्रैल 1969 की रात को यह सूचना मिलने पर कि कुछ उपद्रवी जंगल में उनकी चौकी से लगभग 4 मील दूर एक झोंपड़े में छुपे हुये हैं, वह एक गश्त के साथ उस ओर चल दिये। उपद्रवियों के संतरी को गश्त टुकड़ी का पता चल गया तथा उसने फायर प्रारम्भ कर दिया। उपद्रवियों के फायर से भयभीत हुये बिना कप्तान मनजिन्दर पाल सिंह ने छुपाव स्थान पर अपने जवानों के साथ धावा बोल दिया। इस मुठभेड़ में दो उपद्रवी मारे गये तथा शेष भाग गये। उन्होंने अपने जवानों के साथ भागते उपद्रवियों का पीछा किया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना उन्होंने एक उपद्रवी पर जो कि उनकी ओर फायर कर रहा था हमला किया तथा उसे जान से मार दिया। इस मुठभेड़ में उन्होंने दो राइफलें, भारी तादाद में गोलाबारूद और कुछ उपस्कर प्राप्त किये।

आद्योपान्त कप्तान मनजिन्दर पाल सिंह ने वीरता तथा नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

7. 180034 जमादार प्रेम बहादुर राय,
आसाम राईफल्स,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 फरवरी 1969)

4 फरवरी 1969 को जमादार प्रेम बहादुर राय लुशाई पहाड़ियों के एक क्षेत्र में असम राइफल की एक बटालियन के प्लाटून कमांडर थे। उनके प्लाटून ने उपद्रवियों के स्वयं बने हुये कारपोरल पर सफलतापूर्वक घात लगाई तथा उसे पकड़ लिया। इस उपद्रवी से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर वह एक उपद्रवी कैम्प पर धावा करने चल पड़े जो कि उनके घात की स्थिति से लगभग दो मील की दूरी पर था। उपद्रवी कैम्प के परिमा में पहुंचते ही वह तथा उनका अग्रिम सैक्शन उपद्रवियों के फायर से घिर गये। समय नष्ट किये बिना तथा अपनी सुरक्षा की पूरी उपेक्षा करके वह पहाड़ी से नीचे की ओर कैम्प की तरफ अपने हथियार से फायर करते हुये दौड़े। इस साहसिक तथा वीरतापूर्ण कार्य से प्रोत्साहित होकर उनका प्लाटून भी उनके पीछे चल पड़ा। कैम्प पहुंच कर यह पाया गया कि उन्होंने पहले ही स्वयं बने हुये कप्तान को उसके बरे राइफल समेत शांत कर दिया था तथा तीन उपद्रवियों को मार दिया था। कुछ हथियार तथा गोलाबारूद भी पकड़ा गया।

इस मुठभेड़ में जमादार प्रेम बहादुर राय ने वीरता तथा दृढ़ निश्चय करा प्रदर्शन किया।

8. कप्तान योगेश्वर बहल (आई० सी०-14727) गोरखा राईफल्स।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 फरवरी 1969)

कप्तान योगेश्वर बहल 17/18 फरवरी, 1969 की रात्रि को 53 अप नागल डैम ऐक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। रात के लगभग साढ़े ग्यारह बजे जब ट्रेन मेरठ के समीप पहुंच रही थी, एक कुख्यात डाकू रेल के एक डिब्बे में घुस आया तथा फायर प्रारम्भ कर दिया जिससे एक यात्री मारा गया। कप्तान योगेश्वर बहल जो निकट के ही डिब्बे में थे, गोली चलने की आवाज सुनकर डिब्बे से बाहर गलियारे में आये तथा देखा कि दूसरे कक्ष में डाकू यात्रियों को धमकी दे रहा है। शस्त्रहीन होने पर भी सशस्त्र डाकू पर काबू पाने इरादे से उसके समीप बढ़ते गये। उनके कहने पर भी डाकू के निकल भागने को रोकने के लिये यात्री दरवाजा बन्द करने में असफल रहे। डाकू की गोली मार देने की चेतावनी के बावजूद भी वह वीरता से उसके समीप होते गये जब कि डाकू द्वारा चलाई गई गोली उनके पेट में लगी। गम्भीर घाव के होते हुये भी उन्होंने आपत्ति जंजीर खींच ली और इस प्रकार दूसरे यात्रियों तथा रेलवे प्राधिकारियों को सावधान किया किंतु अन्ततः डाकू भागने में सफल हो गया।

इस कार्यवाही में कप्तान योगेश्वर बहल ने वीरता और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया।

9. कप्तान मोहिन्दर सिंह चड्ढा (आई० सी०-18834) कुमाऊं

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—24 मार्च 1969)

24 मार्च, 1969 को उपद्रवियों के विरुद्ध संक्रियाओं में कप्तान मोहिन्दर सिंह चड्ढा को उसकी कम्पनी के साथ नागालैंड की सीमा पर एक गांव के चारों ओर तलाशी लेने के काम पर तैनात किया गया था। गांव पर घेरा डालने के उपरान्त उन्होंने अपने दो अन्य जवानों के साथ गांव के चारों ओर के बाहर जाने के मार्गों की टोह प्रारम्भ की। एक ऐसे ही मार्ग पर उन पर एक उपद्रवी ने फायर किया जो घने जंगल में छपा हुआ था। कप्तान चड्ढा ने घायल होने के बावजूद भी उपद्रवी का पीछा किया तथा गोली चलाकर उसे उलझाए रखा किन्तु उपद्रवी गायब हो गया। उन्होंने अपनी कम्पनी को निदेश दिया कि घने जंगल में उपद्रवी को खोजा जाये तथा उसका पता लगाया जाय। उन्होंने अपने को तभी वहां से हटाने की अनुमति दी जब खोज कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया तथा रक्त के बह जाने और दर्द के कारण वह चलने में असमर्थ हो गये। तलाशी में सात सशस्त्र उपद्रवी, भारी संख्या में गोलाबारूद और बहुमूल्य कागजात पकड़े गये।

इस कार्यवाही में कप्तान मोहिन्दर सिंह चड्ढा ने वीरता तथा दृढ़निश्चय का प्रदर्शन किया।

10. मेजर चांद नारायण कौल (आई० सी०-14464) सिख

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—7 मई 1969)

7 मई, 1969 को मेजर चांद नारायण कौल मीजो पहाड़ियों में एक चौकी से अपनी प्लाटून कालम के साथ निकट ही उपद्रवियों के कैम्प पर कब्जा करने के लिये चल पड़े। जब कौलम कैम्प के निकट था तो उपद्रवियों ने उस पर फायर कर दिया। उपद्रवियों को भागने से रोकने के लिये उन्होंने अपने कालम के साथ अपनी

व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह उपेक्षा करके कैम्प को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने प्लाटून के एक सैक्शन को आदेश दिया कि वह भागते हुए उपद्रवियों का पीछा करें तथा शेष जवानों के साथ उन्होंने प्रहार कार्य जारी रखा। इसके फलस्वरूप 5 उपद्रवी मारे गये और बहुत–से हथियार और गोलाबारूद पकड़े गये। उन्होंने लगभग 200 उपद्रवियों को समर्पण के लिये भी बाध्य किया।

आद्योपान्त मेजर चांद नारायण कौल ने वीरता तथा नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

11. शुकदेव प्रसाद साहनी
पेटी अफसर, इन्जीनियरिंग मैकेनिक नं० 48363

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—27 जून 1969)

27 जून, 1969 को पेटी अफसर इन्जीनियरिंग मैकेनिक शुकदेव प्रसाद साहनी बायलर रूम में निगरानी पर थे जब आई० एन० एस० कुठार बम्बई से दूर दोनों बायलरों का समुद्र परीक्षण कर रहा था। परीक्षण के दौरान स्टार बोर्ड बायलर से स्टीम के लीक करने के कारण बन्द करना पड़ा था। उस समय शैफ्ट का परिक्रमण 140 आर० पी० एम० था। दोपहर में लगभग 2 बजकर 50 मिनट पर पोर्ट टर्बो बलोवर लुबरीकेटिंग आयल प्रेसर गाज यूनियन दुर्घटनावश अलग हो गया और गर्म स्नेहक तेल मैन फील्ड पम्प केसिंग के परिवेष्टन पर बिखर गया जिससे आग लग गई। शीघ्र ही बायलर रूम धूंएं से भर गया। पेटी अफसर इन्जीनियरिंग मैकेनिक शुकदेव प्रसाद साहनी ने आग को नियंत्रण में करने के लिये तथा उसके साथ ही स्नेहक तेल के रिसने को हाथ से रोकने के लिये तत्क्षण कार्य किया। इसमें तेल का तापमान 1720 फार्नहाइट होने के कारण जल जाने का खतरा था।

इस कार्यवाही में पेटी अफसर इन्जीनियरिंग मैकेनिक शुकदेव प्रसाद साहनी ने वीरता तथा प्रत्युत्पन्नमति का प्रदर्शन किया।

12. 9405288 नायक दल बहादुर लिम्बू
गोरखा राईफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 अगस्त 1969)

4 अगस्त, 1969 को नायक दलबहादुर लिम्बू को नागालैंड के एक क्षेत्र में यूनिट की गाड़ियों की मार्ग रक्षा के कार्य पर नियुक्त किया गया था। प्रातः काल लगभग 8 बजकर 55 मिनट पर अगली गाड़ी पर, जिसमें नायक लिम्बू तथा दो अन्य जवान यात्रा कर रहे थे, घात में बैठे उपद्रवियों ने हल्की मशीनगनों, राईफलों स्टेनगनों तथा हथगोलों से 20-25 गज की दूरी से फायर करना प्रारम्भ कर दिया। चालक तथा एक जवान तत्क्षण मारे गये। ड्राइवर के मारे जाने से गाड़ी का नियंत्रण भंग हो गया और गाड़ी दाईं ओर मुड़ी और 40 फीट नीचे जाकर अन्त में रुक गई। नायक लिम्बू जो ड्राइवर के साथ सीट पर बैठे थे गाड़ी से बाहर आ गये और उन्होंने उपद्रवियों पर अपनी स्टेनगन से जवाबी फायर करना प्रारम्भ कर दिया। जब गोलाबारूद समाप्त हो गया तो उन्होंने हल्की मशीनगन उठाने तथा उपद्रवियों पर जवाबी फायर करने की चेष्टा की किन्तु हल्की मशीनगन उपद्रवियों के फायर के कारण बरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और कार्य योग्य नहीं थी। उन्होंने तत्काल ही ड्राइवर की राइफल उठा ली तथा उपद्रवियों पर जवाबी फायर प्रारम्भ कर दिया। इस बीच उपद्रवी लगातार छोटे हथियारों तथा हथगोलों से गाड़ी पर फायर करते रहे। निर्भय होकर वह उपद्रवियों पर फायर करते रहे। अन्त में लगभग 20 उपद्रवियों ने उन पर आक्रमण किया। उन्होंने तत्काल ही 2 हथगोले आक्रमणकारी उपद्रवियों पर फेंके जिससे दो उपद्रवी गम्भीर रूप से घायल हो गये और बाद में 4/5 अगस्त, 1969 की रात को घावों के के कारण मर गये। इस समय तक नायक लिम्बू के बायें हाथ पर चोट लग गई थी और दो गोलियां उनकी हथेली और कलाई को भेदती हुई पार हो गई थीं। गोलियों से घायल होने के कारण वह उपद्रवियों पर और जवाबी फायर नहीं कर सके और लगभग 25 गज तक रेंग कर वह घने जंगल में पहुंच गये।

इस कार्यवाही में नायक दलबहादुर लिम्बू ने वीरता तथा दृढ़-निश्चय का प्रदर्शन किया।

13. 3945788 लांस नायक पिरथी राम
डोगरा

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 अगस्त 1969)

17/18 अगस्त, 1969 की रात को लांस नायक पिरथी राम उत्तरी बंगाल के जलपाई गुड़ी जिले में निओरा पुल पर जहां बाढ़ के कारण काफी क्षति हुई थी, एक जल साफ करने के संयंत्र के सुरक्षा दल के प्रभारी ओहदेदार थे। ड्यूटी के समय उन्होंने निओरा नदी की तेज जल धारा में बहते हुये एक आदमी को देखा। वह तत्काल नदी के भंवर में कूद पड़े। वह तीव्र धारा से होते हुये डूबते हुये व्यक्ति तक पहुंचे जो कि अभी तक जीवित था और उन्होंने उसे बचा लिया। थोड़े ही मिनटों के उपरान्त जब उस व्यक्ति की दशा सुधरी तो उसने लांस नायक पिरथी राम को बताया कि वह जीप में यात्रा कर रहा था जो निओरा पुल की सड़क टूटी होने के कारण पानी में गिर गई थी। उसने बताया कि जब जीप पानी में गिरी थी तो उसमें तीन और व्यक्ति थे। लांस नायक पिरथी राम उस व्यक्ति के साथ जिसको उन्होंने बचाया था तथा एक और जवान के साथ जीप तथा अन्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिये तत्काल पुल पर गये। पुल पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि पुल पश्चिमी ओर का पीलपाया बह गया था तथा जीप और उसके यात्रियों का कोई पता नहीं था। इस आशंका से कि कोई अन्य गाड़ी पुल पर आ सकती है उन्होंने दूसरे जवान की सहायता से सड़क के दोनों किनारों से सड़क मार्ग को रोकने का कार्य आरम्भ कर दिया ताकि खतरे का चिन्ह अंकित हो सके। एक ओर पत्थर रखने के उपरान्त वे पुल पार करके पूर्व की ओर सड़क में रुकावट करने गये ताकि दूसरी ओर से आने वाली गाड़ियों को रोका जा सके। जब वह ऐसा कर रहे थे, तो उन्होंने चालसा की ओर से एक बस को पुल की ओर आते हुये देखा। बस को रोकने के लिये उनके चिल्लाने तथा चेतावनी संकेत देने के बावजूद वह उनसे आगे निकल गई और पानी में गिर गई। बस अन्दर की ओर गिरी थी और शीघ्र ही डूब गई, केवल बाहरी भाग ऊपर रह गया। लांस नायक पिरथी राम ने दूसरे जवान से शीघ्र लाइन बैंडिंग (रस्सियां) लाने के लिये कहा। यह देखकर कि स्थिति कहीं पूरी तरह बेकाबू न हो जाये वह पुल पर से बस के ऊपर कूद पड़े। उन्होंने बस का निकासी द्वार बहार की ओर खोल दिया जो कि अभी पानी के

बाहर था । वह चारों यात्रियों को बाहर ले आये । इसी समय लम्बी रस्सियों में बंधे लाइन बैडिंगों को बस की ओर निलम्बित कर दिया गया । दूसरे जवान की सहायता से लांस नायक पिरथी राम ने सब यात्रियों को बचा लिया ।

इस कार्यवाही में लांस नायक पिरथी राम ने वीरता और पहलशक्ति का परिचय दिया ।

14. जे० सी० 44459 नायब सूबेदार हरीहर सिंह
कुमाऊं

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 सितम्बर, 1969)

3 सितम्बर, 1969 को नायब सूबेदार हरीहर सिंह नागालैंड में एक चौकी के प्रभारी थे अपने उत्तरदायित्व क्षेत्र के जंगल के घने भाग में उपद्रवियों के छिपने के स्थान की सूचना पाकर वे 19 जवानों के एक गश्ती दल के साथ उपद्रवियों को पकड़ने के लिये गये । कठिन भूभाग के होते हुये उन्होंने अपने गश्ती दल का छुपाव स्थान के निकट तक बिना पता चले नेतृत्व किया । अपने गश्ती दल को एक पक्के आधार पर स्थित करके वह दो सिपाहियों के साथ आगे खोज करने के लिये गये । अचानक उपद्रवी संतरी चिल्लाया और उसने बहुत नजदीक से फायर कर दिया, किन्तु अग्रिम स्काउट ने उसे गोली से मार डाला । शेष गश्ती दल की प्रतीक्षा किये बिना उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा की पूरी तरह उपेक्षा करके छुपाव स्थान पर स्वयं धावा बोल दिया । इस कार्यवाही में दो उपद्रवी मारे गये, दो घायल हुये तथा दो पकड़े गये । भारी तादाद में हथियार, गोलाबारूद, उपस्कर और कागजात पकड़े गये ।

आद्योपान्त नायब सूबेदार हरी हर सिंह ने वीरता तथा दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया ।

15. 4156512 लांस नायक नरपत सिंह
कुमाऊं

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 सितम्बर, 1969)

3 सितम्बर, 1969 को लांस नायक नरपत सिंह एक गश्ती दल के सदस्य थे जिसे नागालैण्ड में उपद्रवियों के छुपाव स्थान का पता लगाने के लिये नियुक्त किया गया था । छुपाव स्थान के निकट पहुंचने पर गश्ती दल के नेता लांस नायक नरपत सिंह और एक अन्य सिपाही के साथ विस्तृत खोज के लिये आगे बढ़े । उपद्रवी संतरी अचानक चिल्लायातथा उसने निकट से गोली चला दी किन्तु अग्रिम स्काउट के द्वारा गोली से मार दिया गया । लांस नायक नरपत सिंह ने दो अन्य जवानों के साथ छुपाव स्थान पर हमला कर दिया । व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना, उन्होंने भागते हुए उपद्रवियों का लगभग 50 मीटर तक पीछा किया तथा वे एक उपद्रवी को पकड़ने में सफल हुये । इस मुठभेड़ में दो उपद्रवी मारे गये, दो घायल हुये तथा दो पकड़े गये । भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद, उपस्कर और कागजात पकड़े गये थे ।

इस मुटभेड़ में लांस नायक नरपत सिंह ने वीरता और दृढ़-निश्चय का प्रदर्शन किया ।

सं० 14-प्रेज/70—राष्ट्रपति निम्नांकित कार्मिकों को असाधारण कर्तव्यनिष्ठा अथवा साहस के कार्यों के लिए "नौ सेना पदक"/ "नेवी मैडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

1. कमांडर विश्वनाथ दत्ता,
भारतीय नौ सेना

26 मई 1969 को कमांडर विश्वनाथ दत्ता आई० एन० एस० गंगा के कमान में थे, जब जहाज को अल्प सूचना पर ही कोचीन से लगभग 100 मील उत्तर में मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी व्यापारिक जहाज 'शुजात' की सहायता के लिए जाना पड़ा । कमांडर विश्वनाथ दत्ता ने बड़े उत्साह और शक्ति से कार्य किया और अपने अफसरों और नाविकों को खराब मौसम में लगातार 18 घंटे काम करने के लिए प्रेरित किया । काफी हद तक उनके द्वारा दिखाए गए नेतृत्व तथा नाविक के गुणों के कारण संक्रिया में अंततः सफलता मिली ।

इस संक्रिया में कमांडर विश्वनाथ दत्ता ने भारतीय नौ सेना की उत्कृष्ट परम्परा के अनुरूप नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया ।

2. कमांडर काजेतन जोजफ डी' सोजा,
भारतीय नौ सेना

15 जनवरी 1969 को आई० एन० एस० कारवार बम्बई से ओखा जा रहा था । कमांडर काजेतन जोजफ डी'सो जा जो जहाज की कमान कर रहे थे, प्रातः सात बजे के लगभग ऊपर आये और कुछ दूरी पर एक अजीब-सी शक्ल देखकर उन्होंने जहाज की दिशा बदलने और उसे करीब से देखने का निश्चय किया । उन्होंने देखा कि समुद्र में लकड़ी का कूड़ा-कबाड़ पड़ा हुआ था और एक उल्टी हुई नाव के बचे हुए अधमरे सवारों ने खोखे को पकड़ा हुआ था । अशांत समुद्र और तेज हवा के कारण किश्ती उतारना सम्भव नहीं था । लकड़ी के तैरते टुकड़े और टूटे हुए मस्तूलों, बादवानों और आसपास बहते हुए अन्य सामान के कारण जहाज को उल्टे हुए खोखे के पास लाना खतरनाक था । फिर भी जहाज की चाल को धीमा करके तथा एक अन्य नौ सेना अफसर के द्वारा उल्टी हुई किश्ती के पास रस्सी द्वारा एक मैकशिफ्ट ब्रीचेन बाय बनाया गया और बचे हुओं को जहाज पर लाया गया ।

इस संक्रिया में कमांडर काजेतन जोजफ डी' सोजा ने साहस तथा नेतृत्व का परिचय दिया ।

3. लेफ्टिनेंट कमांडर श्री निवास वामनराव लखकर
भारतीय नौसेना

लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीनिवास वामनराव लखकर आई० एन० एस० अम्बा के कमीशनिंग कर्मी-दल के सदस्य थे तथा उन्हें जहाज का प्रथम लेफ्टिनेंट व केवल अफसर नियुक्त किया गया था । जहाज पर लगे हुए उपस्कर भारतीय नौसेना द्वारा प्रयोग किये जाने वालों उपस्करों से भिन्न थे और उनके लिए अत्यधिक सतर्कता और योग्यता की आवश्यकता थी । जहाज को यथासंभव अल्प समय में संभालने का श्रेय लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीनिवास को ही था जिससे देश की काफी बचत हुई । जहाज को संभालने के दूसरे चरण में जहाज बर्फ के समुद्र में करीब एक सप्ताह तक फंसा रहा । अधिकतर समय में तेज झंझावातों के साथ लगातार वर्षा के साथ ओले और बर्फ गिरती रही जिससे तापमान—17 डिग्री सेंटिग्रेड तक गिर गया । इससे ऊपरी डैक पर काम करना बहुत ही कठिन

हो गया। भारी केबलों और अनजाने गियरों के साथ काम करने और जहाज तथा लंगरों की सुरक्षा के लिए बहुत ही सावधानी तथा योग्यता की आवश्यकता थी। लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीनिवास वामनराव लखकर ने अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा तथा उत्साह से केबल पार्टी के सम्मुख एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया।

लेफ्टिनेंट कमांडर श्रीनिवास वामनराव लखकर ने साहस, तथा असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

4. लेफ्टिनेंट मालविन चार्ल्स केन्डाल,
भारतीय नौ सेना

15 जनवरी, 1969 को आई० एन० एस० कारवार ने बम्बई से ओखा जाते हुए मार्ग में पारिजात नामक उल्टे हुए पाल जहाज के बचे हुए व्यक्तियों को देखा। अशांत समुद्र और तेज़ हवा के कारण नाव उतारना सम्भव नहीं था। लकड़ी के तैरते टुकड़े और टूटे हुए मस्तूलों, बादबानों और आस-पास बहते हुए अन्य सामान के कारण भी जहाज़ पास लाना ख़तरनाक था। फिर भी जहाज की चाल को धीमा करके लेफ्टिनेंट मालविन चार्ल्स केन्डाल पानी में कूद पड़े और एक रस्सी को साथ लेकर अशांत सागर और तैरते भग्नावशेष में से उल्टे जहाज़ तक जा पहुंचे और उन्होंने एक रस्सी द्वारा मेकशिफ्ट ब्रीच बाय बनाया तथा बचे हुये व्यक्तियों को जहाज़ तक लाया गया। वे सभी बुरी हालत में थे, अतः लेफ्टिनेंट केन्डाल ने बचे हुए व्यक्तियों को जहाज तक पहुंचाने में भी सहायता की। उनकी सहायता के बिना सम्भव था कि कुछ बचे हुए व्यक्ति मर जाते।

इस संक्रिया में लेफ्टिनेंट मालविन चार्ल्स केन्डाल ने भारतीय नौ सेना की उत्कृष्ट परम्परा के अनुरूप साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

5. लेफ्टिनेंट नरेश चन्द्र वैश्य,
भारतीय नौ सेना

26 मई, 1969 को लेफ्टिनेंट नरेश चन्द्र वैश्य आई० एन० एस० गंगा में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, जब कि जहाज को अल्प सूचना पर ही कोचीन से लगभग 100 मील उत्तर में मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी व्यापारिक जहाज़ 'शुजात' की सहायता के लिए जाना पड़ा। संपर्क स्थापित करने पर पता चला कि 'शुजात' में आवश्यक गियर नहीं थे। लेफ्टिनेंट वैश्य ने अत्यधिक उत्साह से खराब मौसम में लगातार 18 घंटे काम किया और इस प्रकार बचाव संक्रिया की सफलता में एक बड़ा योग दिया।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेंट नरेश चन्द्र ने साहस और व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया।

6. लेफ्टिनेंट अशोक राय,
भारतीय नौ सेना

18 जुलाई, 1969 को लेफ्टिनेन्ट अशोक राय एलाइज विमान के पाइलट के रूप में कम्पनी के दो अन्य विमानों के साथ एक भारतीय नौ सैनिक जहाज पर अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास पूरा होने पर अपनी टुकड़ी में पुनः शामिल होते समय उन्होंने देखा कि दुबारा इंजन खोलने पर हवा रोकने की नली में इंजन की कोई हल-चल नहीं सुनाई दी और इंजन 12,000 आर० पी० एम० और 120 पी० एम० आई० पर बन्द हो गया था। प्राप्त शक्ति के आधार पर, सम्पूर्ण अतिरिक्त ईंधन तथा सामान के फेंक दिये जाने पर भी ऊंचाई बनाये रखना सम्भव नहीं था। विमान तट से 25 मील दूर 1,200 फुट की ऊंचाई पर था। उसे मजबूर होकर विमान को झुका कर समुद्र में गोता लगाना पड़ा। उसने "मे० डे०" आह्वान किया और समुद्र में सावधानी से गोता लगा दिया। कर्मी-दल के तीनों सदस्य एक हेलीकाप्टर द्वारा बचा लिये गए।

इस सम्पूर्ण कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट अशोक राय ने साहस और व्यवसायिक कुशलता का परिचय दिया।

7 बी. सी० महापत्तरा, एम० सी० पी० ओ०, सी० डी० 1
सं० 60128

एम० सी० पी० ओ० महापत्तरा के नेतृत्व में 7 सदस्यों के निकासी गोतादल को एक जहाज को गोदी में ले जाए बिना उसमें नष्ट पंखे को बदलने का कार्य सौंपा गया। पानी के अन्दर पंखे को बदलने का काम अत्यन्त जटिल प्रकृति का होता है और उसके लिए विशिष्ट औजारों का प्रयोग करना पड़ता है। एम० सी० पी० ओ० महापत्तरा को की जाने वाली क्रियाविधि के विषय में प्रमुख अनुदेश दिये गए। 19 जुलाई 1969 की सुबह खराब मौसम की परिस्थितियों में पानी के अन्दर काम शुरू किया गया जहां कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लगातार भारी वर्षा और तेज़ हवा के कारण काम और भी कठिन हो गया था। गोताखोरी का काम बिना रुके 20 जुलाई 1969 को प्रातः नौ बजे तक चलता रहा। एम० सी० पी० ओ० महापत्तरा ने गोता-दल का नेतृत्व किया और काम के कठिन भाग को स्वयं किया और उसे समय पर ही पूरा कर दिया।

इस कार्य में एम० सी० पी० ओ० बी० सी० महापत्तरा ने भारतीय नौसेना की उत्कृष्ट परम्परा के अनुसार सहास और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

8. ब्रह्मा नन्द शर्मा, पैटी अफसर (टी ए एस 1),
संख्या 46291

पैटी अफसर (टी ए एस 1) ब्रह्मा नन्द शर्मा आई एन एस अम्बा के कमीशनिंग कर्मीदल के सदस्य थे और उन्हें अपने व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त फोरकेशल के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया तथा वे केबल पार्टी के भी सदस्य थे। 7 फरवरी 1969 को रात के करीब 8 बजकर 2 मिनट पर इस जहाज की टक्कर हो गई। उस समय होने वाले गड़गड़ाहट से लगा कि जहाज़ का केबल अलग हो गया था। पैटी अफसर शर्मा तत्काल अधूरे कपड़ों में ही जहाज़ के फोरकेशल की ओर भागे। यह मालूम हो जाने पर भी कि केबल सुरक्षित है, वह पोत शिल्पियों के पास रुके रहे और अस्थायी मरम्मत करने में उनकी सहायता करते रहे। उसके थोड़ी ही देर बाद आंधी की चेतावनी मिली व तापमान—17 डिग्री सैंटिग्रेड से नीचे गिर गया तथा 50 नाट के हिसाब से बर्फानी तूफान आया और भारी हिमपात होने लगा। ये हालात छः दिन तक रहे और समुद्र पूर्ण रूप से जम चुका था। ऐसी संकटमय हालत में जहाज घाट में स्थिर न रह सका और जहाज की सुरक्षा के लिए लगातार लंगर पर कार्य करना पड़ा। केबल पार्टी का अंग होने के कारण पेटी अफसर शर्मा को प्रायः 6 दिन तक लगातार फोरकेसल पर रहना पड़ा। इस अवधि के दौरान उन्होंने गम्भीर रूप से घायल एक नाविक को तट पर हस्पताल पहुंचाने में भी सहायता की।

इस कार्यवाही में पेटी अफसर ब्रह्मा नन्द शर्मा ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

9 रामाराव एकनाथ गौडसे, सीमैन श्रेणी 1, संख्या 86751

15 जनवरी 1969 को जब आई एन एस करवार बम्बई से ओखा जा रहा था तो पारिजात नामक जहाज के तैरते अवशेष में में बचे हुए यात्रियों को देखा गया। अशांत सागर और तेज हवा के कारण नाव उतारना सम्भव नहीं था। फिर भी जहाज की चाल को धीमा करके और अशांत सागर और तैरते भग्नावशेष में से डूबते जहाज तक रस्सी द्वारा एक मेकशिफ्ट ब्रिचेज बाय बनाया गया और बचे हुओं को जहाज तक लगाया गया। वे सभी बुरी हालत में थे, अतः प्राण रक्षा सिद्धहस्त सीमैन रामाराव एकनाथ गौडसे ने उन्हें जहाज पर पहुंचाने में भी सहायता की। तैरता हुआ भग्नावशेष उनके मार्ग में लगातार रुकावट बन रहा था किन्तु अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना उन्होंने सभी व्यक्तियों को जहाज पर सुरक्षित पहुंचाने में मदद की। उनकी सहायता के बिना सम्भव था कि कुछ व्यक्ति मर जाते।

इस कार्यवाही में सीमैन रामाराव एकनाथ गौडसे ने साहस, शारीरिक सामर्थ्य, और संकटमय परिस्थितियों में वैयक्तिक सुरक्षा का परिचय दिया।

सं० 15-प्रेज/70—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को असाधारण कर्त्तव्यपरायणता अथवा साहस के कार्यों के लिए "सेना पदक"। "आर्मी मैडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

1 लेफ्टिनेन्ट कर्नल निरंजन सिंह (आई० सी०-7233) गोरखा राईफल्स

29 जुलाई 1967 को लेफ्टिनेन्ट कर्नल निरंजन सिंह ने नागालैण्ड के एक क्षेत्र में आसाम राईफल्स की एक बटालियन की कमान संभाली। 24 फरवरी 1968 को यह सूचना मिलने पर कि उपद्रवियों द्वारा अनधिकृत हथियारों को छिपाने के लिए एक कैम्प का प्रयोग किया जा रहा है, उन्होंने स्वयं कैम्प पर अचानक आक्रमण किया तथा उसको अपने कब्जे में कर लिया। 7 मार्च 1968 को एक गांव में हथियारों से लैस 25 उपद्रवियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर उन्होंने रात भर चलने के उपरान्त उपद्रवियों को गांव के अन्दर ही घेर लिया। उपद्रवी पूर्णतया घबड़ा गए तथा बहुत से गोलाबारूद और हथियारों के समेत बाध्य होकर उन्होंने समर्पण कर दिया। 14 जनवरी 1969 को उन्होंने उपद्रवियों के दो कैम्पों पर सफलता-पूर्वक आक्रमण किया। अपने कठिन परिश्रम, धैर्य तथा कुशल नेतृत्व के कारण वे अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्र से उपद्रवियों के प्रभुत्व को समाप्त करने में सफल हुए।

लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन सिंह ने निरन्तर साहस तथा नेतृत्व का परिचय दिया।

2 मेजर दिनेश नारायण (आई० सी०-18790) जाट

23 अगस्त से 23 नवम्बर 1968 के दौरान मेजर दिनेश नारायण मीजो पहाड़ियों में उपद्रवियों के विरुद्ध संक्रिया में व्यस्त इन्फैन्ट्री यूनिट की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उपद्रवियों के विरुद्ध संक्रियाओं के नेतृत्व में बड़ी कुशलता, दृढ़ निश्चय तथा साहस का प्रदर्शन किया और तीन महीने की अल्पावधि में ही भारी संख्या में उपद्रवियों के कैम्पों को नष्ट कर दिया तथा बहुत से उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद अपने कब्जे में कर लिया।

मेजर दिनेश नारायण ने निरन्तर साहस तथा नेतृत्व का परिचय दिया।

3 मेजर कुन्दन लाल (आई० सी०-8484) (**मरणोपरान्त**) इन्जीनियर

17 जून 1969 को मेजर कुन्दन लाल को जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में बनाई जाने वाली एक संक्रियात्मक महत्व की सड़क के लिए नई मार्ग-रेखा निर्धारण की सम्भावनाओं का पता लगाने का आदेश दिया गया। उन्हें उसी दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी इस कार्य के लिए उन्हें अति कठिन और भयानक पहाड़ी भू-प्रदेश में कार्य करना पड़ा। 17 जून 1969 को सबेरे जब यह अफसर दो अन्य जवानों के साथ अपने प्रारम्भिक सर्वेक्षण पर निकले तो मौसम अत्यन्त खराब था। फिसलने वाली पहाड़ी सतह और प्रतिकूल मौसम से भयभीत हुए बिना उन्होंने अपना खोज कार्य चालू रखा। इस प्रक्रिया में जब वह एक विशेष रूप से खराब भाग में कार्य कर रहे थे तो फिसल गए और लगभग 1000 फीट नीचे जाकर गिरे जिससे उनके सिर में गम्भीर चोट आई और उसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

इस संक्रिया में मेजर कुन्दन लाल ने साहस और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया।

4 मेजर प्रेम लाल कुकरेती (आई० सी०-8104) राजपूत

अक्तूबर 1965 में मेजर प्रेम लाल कुकरेती मणिपुर राज्य और उत्तरी-पूर्वी मीजो पहाड़ियों में संक्रिया कर रहे एक माउंटेन ब्रिगेड के उप-सहायक एडजूटेंट तथा क्वार्टर मास्टर जनरल तथा बाद में ब्रिगेड मेजर के पद पर नियुक्त थे। उपद्रवियों के कार्यकलापों को रोकने के लिए 10 माह की अवधि में बहुत सी संक्रियाएं की गईं। इस समय में उन्होंने स्टाफ कार्यों को करने के लिए कठिन परिश्रम किया तथा अपने कर्तव्य बड़ी योग्यता से पूरे किए। उनकी सुव्यवस्थित योजना से ब्रिगेड बड़ी संख्या में उपद्रवियों को पकड़ने और दूसरों को समर्पण करने के लिए मजबूर करने में सफल हो सका। उन्होंने स्वयं उपद्रवियों के छिपाव स्थानों/कैम्पों पर अनेक सफल धावे बोलने की आयोजना की। उन्होंने स्वयं कई धावों का नेतृत्व किया तथा उपद्रवियों के कैम्पों को नष्ट कर दिया और भारी संख्या में हथियार और उपस्कर अपने कब्जे में किए।

आद्योपान्त मेजर प्रेम लाल कुकरेती ने निरन्तर साहस और कर्त्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

5 मेजर यशवन्त शंकर राव शिन्दे (आई० सी०-14755); मराठा

11 मार्च 1969 को यह सूचना मिली कि उपद्रवियों का एक दल नागालैण्ड के एक क्षेत्र में घूम रहा है। मेजर यशवन्त शंकर

राव शिन्दे के अधीन एक प्लाटून को उपद्रवियों का पीछा करने के लिए भेजा गया। उस स्थान पर पहुंचते ही उन्होंने तत्काल अपने प्लाटून को आस पास के क्षेत्र का गश्त लगाने के काम पर लगाया। 15 मार्च 1969 को प्रात: 0700 बजे उपद्रवियों के एक गिरोह की स्थिति की उन्हें सूचना मिली। 7 बजकर 50 मिनट पर वह अपने प्लाटून के साथ गिरोह का पता लगाने के लिए गए, किन्तु इस बीच गिरोह जिस स्थान पर कैम्प लगाए हुए बताया गया था वहां से चला गया। पदचिह्नों का पीछा करते हुए मेजर शिन्दे अपने जवानों के साथ उस ओर गए जिधर उपद्रवी गए थे। गिरोह को भी पता चल गया कि उनका पीछा किया जा रहा है, उन्होंने जल्दी से घात लगाई और प्लाटून को अग्रिम सैक्शन पर गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। मेजर शिन्दे ने जवाबी फायर किया और घात की स्थिति पर धावा बोल दिया। फलस्वरूप गिरोह, यद्यपि वह अच्छी सामरिक स्थिति में था, छोटे-छोटे दलों में विभक्त हो गया और जंगल में बिखर गया। 19 मार्च 1969 को पुन: प्रात: 0300 बजे मेजर शिन्दे को एक उपद्रवियों के छिपाव स्थान के बारे में सूचना मिली। उन्होंने अपने प्लाटून को एकत्रित किया और 5 बजकर 30 मिनट पर उस स्थान पर पहुंच गए। उपद्रवियों ने गोली चलाना आरम्भ कर दिया जिसका प्लाटून ने जवाब दिया। इस कार्यवाही में एक उपद्रवी घायल हुआ तथा अन्य उपद्रवी एक राईफल, एक पिस्तौल, 13 ग्रनेड तथा एक हजार कारतूस छोड़कर भाग खड़े हुए।

आद्योपान्त मेजर यशवन्त शंकर राव शिन्दे ने साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

6. कप्तान गोपालन दिनामनी (एम०-30937)
आर्मी मेडिकल कोर

मई 1968 से अप्रैल 1969 तक कप्तान दिनामनी को नागालैण्ड के एक क्षेत्र में राजपूताना राईफल की एक बटालियन में रेजीमेंटल चिकित्सा अफसर के रूप में तैनात किया गया था। अपनी रेजीमेंटल चिकित्सा अफसर की ड्यूटी के अलावा उन्होंने स्थानीय सिविल जनता को भी चिकित्सा सहायता दी। कई बार उन्हें ऐसे मरीजों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए पैदल लम्बी यात्रा करनी पड़ी जिन्हें समुचित संचार-व्यवस्था न होने के कारण चिकित्सालय लाना सम्भव नहीं होता था। एक बार जब सैनिक घात लगाने तथा गश्त के लिए गए हुए थे, एक उपद्रवी गिरोह गांव से एक मील से भी कम दूरी पर आ गया तो उन्होंने मीडियम मशीन गन एवं 3 इंच मार्टर से फायर करके उपद्रवियों को चौकी तक पहुंचने को रोका और गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखने का भी प्रबन्ध किया।

कप्तान गोपालन दिनामनी ने निरन्तर साहस और कर्त्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

7. कप्तान स्वर्ण सिंह सैनी (आई० सी०-13934),
गार्ड्स

9 दिसम्बर 1968 को कप्तान स्वर्ण सिंह सैनी को नागालैंड क्षेत्र में एक गश्ती दल का नेतृत्व करने और उपद्रवियों के गुप्त स्थानों पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। गश्ती दल को दिया गया काम अत्यन्त कठिन और जोखिम पूर्ण था तथा इसके लिए बहुत पहलशक्ति और साहस की आवश्यकता थी। गश्ती दल को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी जिसमें घने जंगल, खतरनाक तथा कठिन भू-प्रदेश से होकर गुजरना था और पहाड़ों पर भी चढ़ना था। यद्यपि जिन स्थानों पर छापे मारे गए थे वे खाली थे किन्तु वहां पर भारी तादाद में हथियार और गोला-बारूद पाया गया। कप्तान सैनी ने बड़ी सफलतापूर्वक कार्य को पूरा किया और उन्होंने प्रेरणापूर्ण नेतृत्व, साहस और दृढ़-निश्चय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। वह लगातार घात लगाने तथा गश्तों पर जाते रहे। उनके प्रयत्नों के कारण बहुत से उपद्रवी पकड़े गए तथा उस क्षेत्र में उपद्रवियों का प्रभाव काफी कम हो गया।

कप्तान स्वर्ण सिंह सैनी ने निरन्तर साहस तथा नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

8. लेफ्टिनेन्ट गणपति राधा कृष्णन् (आई० सी०-16824)
गार्ड्स

14 मार्च 1969 को लेफ्टिनेन्ट गणपति राधा कृष्णन् को अपनी कम्पनी के साथ नागालैंड के एक गांव में जाकर एक उपद्रवी कैम्प को घेरने का आदेश हुआ। जब अफसर को ये आदेश मिले उस समय वह उपद्रवियों के कैम्प से ऐसी दूरी पर थे कि 16 घंटे मार्च करके वहां तक पहुंचा जा सकता था। अत्यन्त खराब मौसम, कठिन भू-प्रदेश, घोर अंधेरी रात तथा बिना किसी स्थानीय मार्ग-दर्शक के होते हुए भी वह बहुत कम समय में रातभर में उपद्रवियों के कैम्प के क्षेत्र में पहुंच गए, उपद्रवियों के कैम्प को घेर लिया तथा कुमक आने तक उनके विश्रृंखल होने के प्रयत्नों को असफल बना दिया। बाद में उपद्रवियों द्वारा किए गए भागने के प्रयत्न भी उन्होंने असफल कर दिए।

लेफ्टिनेन्ट गणपति राधा कृष्णन् ने निरन्तर साहस और दृढ़-निश्चय का प्रदर्शन किया।

9. लेफ्टिनेन्ट राकेश दास (आई० सी०-17267)
राजपूताना राईफल्स

26 मार्च, 1969 को यह सूचना मिलने पर कि नागालैंड क्षेत्र में एक नाले में उपद्रवियों के छोटे गिरोह हैं, लेफ्टिनेन्ट राकेश दास को आदेश दिया गया कि वह उस क्षेत्र की तलाशी लें और उपद्रवियों को पकड़ें। उन्होंने स्वयं को भारी खतरे में डाल कर तलाशी के कार्य को संगठित किया तथा पहले छापे में 5 सशस्त्र उपद्रवियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की और दूसरे छापे में तीन उपद्रवियों तथा काफी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद को कब्जे में कर लिया।

इस कार्यवाही में लेफ्टिनेन्ट राकेश दास ने साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

10. सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट दयाल सिंह (आई० सी०-19902)
गार्ड्स

25 जून 1969 को सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट दयाल सिंह को उनकी कम्पनी के साथ नागालैण्ड क्षेत्र में उपद्रवियों के एक कैम्प पर छापा मारने का आदेश दिया गया। वह 5 जवानों के एक स्काउट दल के साथ आगे बढ़े। शेष कम्पनी 400 मीटर की दूरी पर पीछे-पीछे आ रही थी। जब स्काउट दल जंगल से होकर गुजर

रहा था तो अचानक उस पर एक ओर से उपद्रवियों ने फायर कर दिया जो वहां कैम्प लगाए थे। शेष कम्पनी के आने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने अपने स्काउट दल को तुरन्त कैम्प पर संगीन चढ़ाकर कूल्हे से फायर करके धावा करने का आदेश दिया। उपद्रवियों ने हमला करने वाले स्काउट दल पर जिसका नेतृत्व वह कर रहे थे, अपने कैम्प से फायर किया। उपद्रवियों के फायर से भयभीत हुए बिना और अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट दयाल सिंह और उनके जवान आगे बढ़े। उपद्रवी इस धावे को देखकर घबरा गए और भागने लगे। फिर भी उपद्रवियों का कम्पनी कमांडर पकड़ा गया। कुछ हथियार, गोलाबारूद और कागजात भी पकड़े गए।

इस कार्यवाही में सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट दयाल सिंह ने साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

11. सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट मीर साहब अब्दुल रशीद (एस० एस०-19781), सिगनल्स

सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट मीर साहब अब्दुल रशीद एक टास्क फोर्स के सिगनल डिटेचमेंट के प्रभारी थे। 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर 1968 तक लगभग एक सप्ताह की अल्प अवधि में जब उन्होंने टास्क फोर्स के उपनेता के पद पर कार्य किया तो उन्होंने विश्वसनीय संचार व्यवस्था को खतरनाक हालतों में बनाए रखा और अपने डिटेचमेंट और तदर्थ इन्फैन्ट्री सेक्शन के साथ उपद्रवियों के जिस कैम्प पर आक्रमण किया जा रहा था उससे लगभग 100 मीटर दूर निकासी मार्ग को रोकने के लिए सफलतापूर्वक एक अवरोध संगठित किया। 17 मार्च से 14 अप्रैल 1969 तक संक्रिया के दूसरे चरण में नागालैण्ड में घुस आए उपद्रवियों को पकड़ने के उद्देश्य से उन्होंने शीघ्रता से सैक्टर में संचार-व्यवस्था को दक्षता के साथ संगठित किया। उन्होंने प्रशासनिक अफसर व रिलीफ स्टाफ अफसर के रूप में कार्य किया और सैक्टर मुख्यालय के सुचारू रूप से कार्य संचालन में भारी सहायता की।

सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट मीर साहब अब्दुल रशीद ने निरन्तर साहस और कर्त्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

12. सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट नदुवाथ विश्वम्भरन नायर (एस० एस०-20629), जाट

25 जनवरी 1969 को, रात के लगभग 11-00 बजे सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट नदुवाथ विश्वम्भरन नायर को मीजो पहाड़ियों में अपनी चौकी से लगभग 5 मील दूरी पर उपद्रवियों की उपस्थिति की सूचना मिली। उन्होंने तत्काल ही एक सेक्शन को इकट्ठा किया और गश्ती दल का स्वयं नेतृत्व किया। वह उस स्थान पर तड़के लगभग तीन बजकर 50 मिनट पर पहुंचे और उपद्रवी दल को अचम्भे में डाल दिया। उन्होंने दो उपद्रवियों को मार डाला और दो राइफलों पर कब्जा कर लिया। पुनः 14 मार्च 1969 को उपद्रवियों की उपस्थिति की सूचना पाकर, उन्होंने गश्ती दल का घने जंगलों और कठिन देहाती क्षेत्रों से होकर नेतृत्व किया। वह उस स्थान पर पहुंचे तथा भारी तादाद में गोला बारूद, उपस्कर और बहुमूल्य कागजात प्राप्त किए। 17 अप्रैल 1969 को उन्हें अपनी चौकी से लगभग 8 मील की दूरी पर उपद्रवियों के होने की पुनः सूचना मिली। उस स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने तुरन्त अपने जवानों को कार्य पर तैनात किया और वह स्वयं चार जवानों के साथ शीघ्र ही छुपाव स्थान की ओर गए। उपद्रवियों ने फायर प्रारम्भ कर दिया और भागने की कोशिश की। निर्भय होकर उन्होंने उनका पीछा किया तथा चारों उपद्रवियों को मार दिया और हथियार, भारी तादाद में गोला बारूद, कागजात और अन्य उपस्कर प्राप्त किए।

सैकण्ड लेफ्टिनेन्ट नदुवाथ विश्वम्भरन नायर ने निरन्तर साहस और दृढ़-निश्चय का प्रदर्शन किया।

13. सूबेदार बलभदर सिंह (जे० सी०-14152) जाक राईफल्स

18 अप्रैल 1969 को सूबेदार बलभदर सिंह को उनके प्लाटून के साथ मीजो जिले के घने जंगल और अत्यन्त कठिन भू-प्रदेश में उपद्रवियों के गिरोह को जिसकी वहां होने की सूचना मिली थी, बीच में रोकने का काम सौंपा गया। जब प्लाटून उस क्षेत्र में गहरे नाले में खोज कर रहा था तो उपद्रवियों ने अचानक फायर करना प्रारम्भ कर दिया। दृश्यगोचरता बहुत कम थी और उपद्रवी सुस्थिति में थे। सूबेदार बलभदर सिंह ने शीघ्र ही स्थिति को समझ लिया और वह एक ऐसे स्थान पर चले गए जहां से वह उपद्रवियों पर प्रभावशाली फायर करके उलझा सकते थे। इस बीच उन्होंने अपने जवानों को भी स्थित कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि वे किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं जहां से उपद्रवियों को प्रभावकारी ढंग से उलझा सकें। इस मुठभेड़ में दो उपद्रवी मारे गए और कुछ हथियार तथा गोला-बारूद पकड़ा गया।

इस मुठभेड़ में सूबेदार बलभदर सिंह ने साहस और दृढ़-निश्चय का प्रदर्शन किया।

14. सूबेदार गुरचरन सिंह (जे० सी०-15901), सिख

12 जून 1969 को जब सूबेदार गुरचरन सिंह मीजो पहाड़ियों में एक इन्फैन्ट्री यूनिट के प्लाटून की कामान कर रहे थे तो उन्हें उपद्रवियों की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त करने और उन्हें पकड़ने का काम सौंपा गया।

उन्होंने अपने प्लाटून के साथ रात को एक बजे अपना बेस छोड़ दिया और एक प्रेक्षण चौकी स्थापित कर ली। कुछ घंटों तक अवलोकन करने के उपरान्त वह दूसरे स्थान को चले गए तथा वहां पर दोपहर 2 बजे तक एक चौकी स्थापित कर ली। इस चौकी से उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ धुंआ देखा जिससे उन्हें उस क्षेत्र में उपद्रवियों के होने का संदेह हो गया। उन्होंने बड़ी सावधानी से योजना बनाई तथा रात में देहात के रास्ते से संदेहयुक्त कैम्प के अधिक समीप गए और 13 जून 1969 को तड़के 4 बजे सन्देहास्पद कैम्प पर आक्रमण कर दिया। उन्हें वहां पर एक गुप्त "बाशा" मिला किंतु वहां कोई निवासी नहीं था। यद्यपि इस बात के प्रमाण थे कि कुछ घंटे पूर्व इसे छोड़ा गया है। उन्होंने उस क्षेत्र की तलाशी ली और नदी की ओर जाते हुए पैरों के चिह्न देखे और अपने प्लाटून के साथ उनका अनुसरण किया। जब वे नदी की ओर जा रहे थे, उन्होंने एक आदमी को सिविल वस्त्रों में देखा जो नदी से पानी ला रहा था

और दो अन्य के साथ जा मिला था जो हथियारबन्द थे । उन्होंने तुरन्त अपने प्लाटून को उन उपद्रवियों को घेरने का संकेत दिया जिन्होंने राईफलों से फायर करना प्रारम्भ कर दिया था । उन्होंने तत्काल ही धावा बोल दिया । मुठभेड़ मे एक उपद्रवी मारा गया था शेष दो घायल हो गए थे जो कि बाढ़ वाली नदी में कूद पड़े थे । कुछ हथियार और गोलाबारूद पकड़ा गया था । इस विशेष कार्यवाही के अलावा सूबेदार गुरचरन सिंह ने कठिन परिस्थितियों में संक्रियाओं में लगातार अच्छा कार्य किया है।

सूबेदार गुरचरन सिंह ने निरन्तर साहस और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

15. सूबेदार जेठू भा, जे० सी०-26941
राजपूताना राइफल्स

22 सितम्बर 1969 को रात के लगभग साढ़े बारह बजे बटालियन मुख्यालय में सूचना मिली कि दो सम्प्रदायों के लगभग तीन-तीन सौ व्यक्ति बदबराक्स अहमदाबाद में एकत्रित हैं । यह भी सूचना दी गई कि भीड़ के पास घातक हथियार हैं तथा इस बात का भी संदेह था कि भारी पैमाने पर दंगा होगा। सूबेदार जेठू भा दस जवानों के साथ शीघ्र ही उस स्थान की ओर गए। वहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि भीड़ उन्मत्त थी और एक दूसरे पर ईंट-पत्थर फेंके जा रहे थे । उन्होंने लोगों को सीढ़ी तथा पेट्रोल की बोतलें लिए हुए भी देखा । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह दोनों दलों के बीच गए। यह देख कर उनके जवान भी उनके पीछे गए और वह दलों को हथियार रहित तथा शान्त करने में सफल हो गए।

इस कार्यवाही में सूबेदार जेठू भा ने साहस और पहल शक्ति का परिचय दिया ।

16. सूबेदार सुल्तान सिंह, जे० सी०-12168
जाट

28 अगस्त 1968 को सूबेदार सुल्तान सिंह मीजो पहाड़ियों में एक चौकी की कमान कर रहे थे । यह सूचना मिलने पर कि कुछ उपद्रवी जंगल में छुपे हुए हैं, वह तत्काल ही अपने जवानों के साथ उस स्थान को गए और उन्होंने उपद्रवियों को घेर लिया, उनमें से दो को मार दिया और उनसे एक राईफल गोलाबारूद के साथ प्राप्त की । 5 अक्तूबर, 1968 को दूसरे अवसर पर उन्हें यह सूचना मिली कि जंगल में छुपे हुए उपद्रवी 40 किलो चावल मांग रहे हैं । उन्होंने उपद्रवियों को देने के लिए अपेक्षित चावल एक व्यक्ति को दे दिए तथा अपने जवानों के साथ उस स्थान तक उसका पीछा किया। उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दो उपद्रवी चावल ले रहे हैं। उन्होंने तत्काल ही उनको घेर लिया उनमें से एक को मार दिया तथा दूसरे को घायल कर दिया । उन्होंने गोलाबारूद समेत दो राईफलों पर कब्जा किया । उन्होंने और भी कई संक्रियाओ में भाग लिया जिनमें कि कुछ उपद्रवियों के अतिरिक्त कुछ हथियार और गोलाबारूद भी पकड़ा गया

सूबेदार सुल्तान सिंह ने निरंतर साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

17. सूबेदार तालमन लिम्बू, जे० सी०-15343
गोरखा राईफल्स

19 मार्च 1969 को सूबेदार तालमन लिम्बू उस गोरखा राईफल की कम्पनी के सेकेण्ड-इन-कमान थे जिसे नागालैण्ड में एक गांव की तलाशी लेने के काम पर तैनात किया गया था । 20-21 मार्च, 1969 की रात को कम्पनी वहां गई और उसने सुबह साढ़े चार बजे तक गांव को घेर लिया । कम्पनी कमांडर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के जवानों के साथ तलाशी लेने के लिए गांव में गए और उन्होंने सूबेदार तालमन लिम्बू को गांव के दक्षिणी और तीनों अवरोधों का सर्वोपरि प्रभारी बना दिया । लगभग चार बजकर 45 मिनट पर सूबेदार लिम्बू ने लगभग 5 व्यक्तियों को अपने एक अवरोध की ओर आते देखा । ललकारे जाने पर वे पहाड़ी के नीचे की ओर नाले के साथ-साथ भागने लगे । सूबेदार लिम्बू ने तत्काल ही अपने एक अवरोध-दल को गोली चलाने का आदेश दिया जिसके फलस्वरूप एक उपद्रवी मारा गया और दूसरा पकड़ा गया । उनसे एक राईफल, एक स्टेनगन, गोलाबारूद, उपस्कर और कुछ कागजात प्राप्त हुए । 26 मार्च 1969 को वह अपनी कम्पनी के साथ एक दूसरे क्षेत्र में गए ताकि बन्दी बनाए गए उपद्रवियों की निगरानी के लिए कैम्प बनाया जा सके । उन्होंने उपद्रवियों को पृथक करने, और उनके अभिलेखों को तैयार करने में और बन्दियों की निगरानी में रात-दिन काम करके अपने कम्पनी कमांडर की सहायता की । 5 अक्तूबर, 1968 को जब उनकी यूनिट का एक गश्ती दल जिसे संक्रियात्मक खोज पर भेजा गया था 48 घंटे से भी अधिक विलम्बित हो गया तो उन्हें एक गश्ती दल के साथ उसकी तलाश करने के लिए भेजा गया । 20 घंटों तक लगातार ढूंढने के उपरान्त उन्होंने गश्ती दल के सब सदस्यों का पता लगा लिया और सबको सुरक्षित वापस ले आए।

सूबेदार तालमन लिम्बू ने निरंतर साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया ।

18. नायब सूबेदार बिशन सिंह, जे० सी०-34208
इंजीनियर

1965 में पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारी मात्रा में मानव घातक सुरंगें रण कच्छ के एक क्षेत्र में बिछाई गई थीं । युद्ध समाप्त होने पर बहुत सी सुरंगें हटा ली गई थीं या समाप्त कर दी गई थी । किन्तु फिर भी बरसात के पानी के कारण क्षेत्र के नम और दलदल हो जाने से सुरंगें उसमें दब गई और वह नहीं उठाई जा सकीं । बाद में बहुत सी सुरंगें अपने मूलस्थान से हट गईं और उनको खोज पाना अत्यधिक खतरनाक हो गया । कच्छ पंचाट के प्रकाशन के उपरान्त सुरंगों को उस क्षेत्र से हटा देना और भी आवश्यक हो गया क्योंकि वहां से नई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गुजर रही थी चूंकि क्षेत्र बड़ा व्यापक था और सुरंगों की स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं था अतः सुरंगों को नष्ट करने के लिए सड़क कूटने वाले रोलर का प्रयोग किया गया तथा उससे यथोचित संशोधित किया गया जिससे वह शक्तिशाली भूमि के नीचे अज्ञात पड़ी सुरंगों के फटने को सहन कर सके । 16 अप्रैल, 1969 को जब उस क्षेत्र में सुरंग तोड़ने का कार्य प्रगति पर था एक सुरंग सड़क कूटने वाले इंजन के

नीचे फटी जिससे रोलर रुक गया और इंजन को काफी क्षति पहुंची । नायब सूबेदार बिशन सिंह ने, जो सक्रिया का पर्यवेक्षण कर रहे थे, जमीन को नर्म देख कर और इस बात का सन्देह करके कि उस क्षेत्र में काफी सुरंगें बिछी हैं, तत्काल स्वयं निर्णय किया कि सड़क कूटने वाले इंजन से सुरंगों के तोड़ने के कार्य को बन्द कर दिया जाए ताकि उसे और क्षति न हो । अपने जीवन को बड़े जोखिम में डाल कर उस क्षेत्र को हाथ से तोड़कर साफ करने का निर्णय किया । उन्होंने हवलदार प्रेम सिंह की सहायता से लगातार 3 दिन तक काम करके बहुत सी सुरंगें समाप्त कर दीं ।

इस संक्रिया में सूबेदार बिशन सिंह ने साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

19. नायब सूबेदार कृष्ण चन्द, जे० सी०-44985
जम्मू व काश्मीर राईफल्स

17 मार्च 1969 को नायब सूबेदार कृष्ण चन्द को अपने प्लाटून के साथ मीजो जिले में एक अति कठिन भू-प्रदेश में स्थित उपद्रवियों के छुपाव स्थान पर छापा मारने का कार्य सौंपा गया था । छुपाव स्थान पर पहुंचने के पूर्व ही उनके प्लाटून पर ऊंचे स्थानों से उपद्रवियों ने राईफलों और स्टेनगनों से फायर करना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने तत्काल ही उपद्रवियों पर धावा बोल दिया तथा चार उपद्रवियों को मार डाला और दो हथियार तथा कुछ गोलाबारूद कब्जे में कर लिया । उनके प्लाटून में कोई भी हताहत या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ । पुनः 25 मार्च 1969 को जब वह एक घने जंगल में तलाशी ले रहे थे तो उनके प्लाटून पर अचानक उपद्रवियों ने फायर करना प्रारम्भ कर दिया । उन्होंने तुरन्त ही अपने प्लाटून को संगठित कर उपद्रवियों का पीछा किया और दो उपद्रवियों को मार गिराया तथा तीन हथियार व गोलाबारूद बरामद किए ।

नायब सूबेदार कृष्ण चन्द ने निरंतर साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

20. नायब सूबेदार रेवत सिंह, जे० सी०-39445
राजपूताना राईफल्स

22 सितम्बर, 1969 को तड़के 3 बजकर 30 मिनट पर नायब सूबेदार रेवत सिंह अहमदाबाद में 6 जवानों के साथ गश्ती ड्यूटी पर थे । उनका सामना घातक हथियारों से युक्त लगभग 50 आदमियों की भीड़ से हो गया जो कुछ मकानों में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे । उन्होंने भीड़ को तितर-बितर होने के लिए चेतावनी दी किन्तु भीड़ ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । अचानक उन्होंने एक संकरी अंधेरी गली में कुछ हलचल देखी । चूंकि उनके सब जवान कार्यरत थे, अतः वह अकेले ही उस गली में गए और देखा कि दो व्यक्ति एक मकान को आग लगाने की चेष्टा कर रहे थे । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वह एक उपद्रवी पर झपट पड़े और उस सीढ़ी को खींच लिया जिस पर दूसरा व्यक्ति मकान को आग लगाने के लिए चढ़ रहा था । इस प्रकार उन्होंने अनेक घरों में फैल सकने वाली आग को लगने से रोक दिया ।

इस मुठभेड़ में नायब सूबेदार रेवत सिंह ने साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

21. जमादार मणिकुमार राय, 61785
आसाम राईफल्स

4 जून, 1969 को रात के दस बजे एक चौकी पर मीजो पहाड़ियों के एक क्षेत्र में कुछ सशस्त्र उपद्रवियों की उपस्थिति की सूचना मिली । खराब मौसम के कारण बेतार संचार-व्यवस्था में गड़बड़ होने से बटालियन मुख्यालय तक सूचना नहीं पहुंचाई जा सकी । जमादार मणिकुमार राय, जो उस समय चौकी पर मौजूद थे, जरा भी देरी किए बिना 20 जवानों के एक गश्ती दल के साथ उपद्रवियों को ढूंढने निकल पड़े । तड़के 4 बजकर 10 मिनट पर जब दल उस क्षेत्र में खोजकार्य कर रहा था तो उपद्रवियों ने स्टेनगनों, राईफलों तथा छोटे हथियारों से फायर किया । जे० सी० ओ० ने उपद्रवियों की स्थिति पर आक्रमण किया । इस मुठभेड़ में 3 उपद्रवी मारे गए तथा 3 पकड़े गए । कुछ हथियारों, गोलाबारूद, उपस्कर, कागजात तथा रुपए पैसे पर भी कब्जा किया गया ।

इस मुठभेड़ में जमादार मणिकुमार राय ने साहस तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

22. कम्पनी हवलदार मेजर धोंडीराम जगतप, 2743608
-मराठा

21 मार्च, 1968 को प्रातः आठ बजे यह सूचना मिलने पर कि नागालैण्ड के एक गांव में कुछ उपद्रवी छुपे हुए हैं, कम्पनी हवलदार मेजर धोंडीराम जगतप को 19 सिपाहियों के एक गश्ती दल तथा 11 सशस्त्र पुलिसवालों के साथ उस क्षेत्र में खोजकार्य करने का आदेश दिया गया । इस दल ने कार्य को निभाया तथा 11 हथियारों, 3,590 कारतूसों और 11 हथगोलों सहित 10 उपद्रवियों पर कब्जा करने में सफल हुआ । निर्भय होकर उन्होंने अपना कार्य किया और पूरी तरह सशस्त्र उपद्रवी दल का साहसपूर्वक सामना करने के लिए अपने जवानों को प्रोत्साहित किया ।

इस कार्यवाही में कम्पनी हवलदार मेजर धोंडीराम जगतप ने साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

23. हवलदार मोहिन्दर सिंह, 3343775
सिख

9 जुलाई, 1968 को हाई आल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के हवलदार प्रशिक्षक मोहिन्दर सिंह चार एन० सी० ओ० प्रशिक्षणार्थियों के "रोप" का नेतृत्व कर रहे थे जो जम्मू तथा कश्मीर में सड़क पहाड़ प्रशिक्षण क्षेत्र में उच्च पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । वह लगभग 120 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे और एक ठोस उभरे चट्टान को पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे । जब उन्होंने उभरे चट्टान पर दबाव डाला वह हिल गई और इसके फिसलने का खतरा हो गया । यह जान कर कि उनके "रोप" के कार्मिकों को और आठ अन्य आदमियों को जो उनके "रोप" के नीचे के दो रोपों पर हैं खतरा है, उन्होंने बड़ी ही खतरनाक स्थिति में चट्टान पर पैर रखा, एक हाथ से सामने चट्टान को पकड़ कर फिसली हुई चट्टान को दूसरे हाथ से सहारा दिया और उसे फिसलने से रोके रखा । वे 40 मिनट तक, भारी शारीरिक श्रम के बावजूद, ऐसा करते रहे जब तक कि

प्रशिक्षकों का दूसरा दल ऊपर से नीचे नहीं आया और फिसली हुई चट्टान को रस्सों से संभाला नहीं गया ।

इस कार्यवाही में हवलदार मोहिन्दर सिह ने साहस और कर्त्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया ।

24. 1409342 हवलदार प्रेम सिह,
इन्जीनियर्स

1965 में पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारी तादाद में मानव घातक सुरंगें रण-कच्छ के क्षेत्र में बिछाई गईं थी । युद्ध समाप्त होने पर बहुत सी सुरंगें हटा ली गई या समाप्त कर दी गई थीं । किन्तु फिर भी बरसात के पानी के कारण क्षेत्र के नम और दलदल हो जाने से बहुत सी सुरंगें उसमें दब गईं और उनको हटाया नहीं जा सका । फलस्वरूप बहुत सी सुरंगे अपने मूलस्थान से हट गईं और उनको खोज पाना अत्यधिक खतरनाक हो गया । कच्छ पंचाट के प्रकाशन के उपरान्त सुरंगों को उस क्षेत्र से हटा देना और भी आवश्यक हो गया क्योंकि वहा से नई अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गुजर रही थी । चूंकि क्षेत्र बड़ा व्यापक था और सुरंगों की स्थिति का ठीक-ठीक पता नही था अत: सुरंगों को नष्ट करने के लिए सड़क कूटने वाले रोलर का प्रयोग किया गया तथा उसमें यथोचित संशोधित किया गया जिससे वह शक्तिशाली भूमि के नीचे अज्ञात पड़ी सुरंगों के फटने को सहन कर सके । 16 अप्रैल, 1969 को जब उस क्षेत्र में सुरंग तोड़ने का कार्य प्रगति पर था एक सुरंग रोलर इंजन के नीचे फटी, जिससे रोलर रुक गया और इंजन को काफी क्षति पहुंची । यह बात जान कर कि भूमि नर्म है और भूमि में बहुत सी सुरंगें हैं हवलदार प्रेम सिह ने सड़क धकूटने वाले इंजन का प्रयोग बन्द कर दिया ताकि उसे और आगे क्षति न हो और अपने पर्यवेक्षक के मार्ग-दर्शन में हाथ से सुरंगें साफ करने में लग गए । वह अपने पर्यवेक्षक नायब सूबदार बिशन सिह के साथ लगातार 3 दिन तक उस क्षेत्र में सुरंगें तोडते रहे और उन्होंने अनेक सुरंगें समाप्त कर दी ।

इस संक्रिया मे हवलदार प्रेम सिंह ने साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

25. 2739528 लांस हवलदार गणपत जाधव
मराठा

15 मार्च 1969 को लांस हवलदार गणपत जाधव के अधीन एक प्लाटून को नागा क्षेत्र में घुस आए एक उपद्रवी दल के घेरे को मजबूत करने के कार्य पर नियुक्त किया गया था । जो उपद्रवी घेरे में थे और जिनका पीछा दूसरे जवान कर रहे थे वे निकल भागने की जी जान से चेष्टा कर रहे थे । लांस हवलदार गणपत जाधव ने अपने जवानों को रात-दिन सजग रखा और अपने घेरे के क्षेत्र से किसी भी उपद्रवी को नहीं भागने दिया । 17 मार्च 1969 को प्रात: 9-00 बजे उन्होंने अपनी स्थिति से लगभग 60 गज की दूरी पर एक झाड़ी में कुछ हलचल देखी । उन्होने संदिग्ध क्षेत्र का बारीकी से अवलोकन करने की चेष्टा की और उनके ऐसा करते ही उनकी और उपद्रवियों ने हल्की मशीन-गन से दो फायर किए । उन्होंने तत्काल हल्की मशीन-गन से दो फायर किए तथा बाद में अपने कुछ जवानो के साथ उस क्षेत्र पर, जहां से उपद्रवियों ने फायर किया था, हमला कर दिया । तीन उपद्रवियों को जंगल की ओर भागते देखकर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, उनका पीछा किया और एक उपद्रवी को दो अर्ध-स्वचालित राईफलों, बहुत से कारतूसों और उपस्कर के साथ पकड़ लिया । अगले दिन उन्होंने दो और उपद्रवियो को पकड़ लिया ।

इस कार्यवाही में लांस हवलदार गणपत जाधव ने साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

26. 4141518 नायक भगवान सिह
राजपूताना राईफल्स

नायक भगवान सिंह को राजपूताना राईफल्स की एक कम्पनी के सैक्शन के साथ नागालैंड के एक गांव में उपद्रवियों को रोकने का काम सौंपा गया था । 27 मार्च 1969 की रात को लगभग डेढ़ बजे 5 सशस्त्र उपद्रवियों का दल फन्दे में आ गया । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की जरा भी परवाह किए बिना वे निकट से ही उपद्रवियों पर झपटे । उपद्रवियों को अत्यन्त आश्चर्य हुआ, उन्हे प्रतिक्रिया का अवसर नहीं मिला और अन्त में उपद्रवियो ने कुछ हथियारों, गोला-बारूद तथा उपस्करों के समेत समर्पण कर दिया ।

इस कार्यवाही मे नायक भगवान सिंह ने साहस तथा पहल-शक्ति का परिचय दिया ।

27. 3348955 नायक गुरबचन सिंह
सिख

7 मई 1969 को नायक गुरबचन सिह एक प्लाटून के अग्रिम सैक्शन के कमान में थे जिसको मीजो पहाड़ियों में उपद्रवियों के एक कैम्प पर आक्रमण करने का काम सौंपा गया था । कैम्प के निकट पहुंचने पर उपद्रवियो के सन्तरी ने टुकड़ी पर फायर कर दिया किन्तु गुरबचन सिंह के नेतृत्व वाले सैक्शन ने उसे तत्काल काबू में कर लिया और मार दिया । कैम्प के दूसरे उपद्रवियों ने तत्काल फायर प्रारम्भ कर दिया और लगातार 10 मिनट तक फायरिंग करते रहे । शीघ्र ही स्थिति को जानकर कालम कमांडर ने अपने प्लाटून के साथ कैम्प को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया । जब उपद्रवियो ने भागने की चेष्टा की तब नायक गुरबचन सिंह ने अपने सैक्शन के साथ भागते हुए उपद्रवियों का घने जंगलों में पीछा किया और तीन उपद्रवियों को गोली से मार दिया और उनके हथियार कब्जे में कर लिए ।

इस कार्यवाही में नायक गुरबचन सिंह ने साहस तथा नेतृत्व का परिचय दिया ।

28. 16885 नायक खिम बहादुर गुरुंग
आसाम राईफल्स

9 सितम्बर, 1968 को आसाम राईफल्स की एक प्लाटून को मीजो पहाड़ियों में एक गांव की तलाशी लेने का आदेश दिया गया था । दो सैक्शनों को रुकावट के रूप में तैनात करने के बाद तड़के लगभग चार बजे प्लाटून ने गांव में प्रवेश किया । नायक खिम बहादुर गुरुंग के अधीन एक सैक्शन जब गांव के पास एक जंगल में तलाशी ले रहा था, तो एक सेक्शन के लगभग उपद्रवियों के ग्रुप ने गोली चलाना शुरू कर दिया । अपने सैक्शन की सहायता से उन्होंने भारी गोलाबारी होने पर भी उपद्रवियों पर धावा बोल दिया जिसके परिणामस्वरूप, उपद्रवियों का हौसला टूट गया और वे अपने पीछे 3 राईफल, 93 कारतूस और कुछ कीमती कागजात छोड़कर

भाग गए। दुबारा 23 अक्तूबर 1968 को प्रातः 6 बजे अन्य सैक्शनों के साथ नायक खिम बहादुर गुरुंग का सैक्शन भी घात में था। जब सैक्शन घात लगाए हुए थे तो उन्होंने 2 उपद्रवियों को कुछ कीमती कागजातों के साथ पकड़ लिया।

नायक खिम बहादुर गरुंग ने निरन्तर साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

29. 2854309 राईफल मैन भंवर सिंह
राजपूताना राईफल्स

7/8 मार्च, 1969 की रात्रि को गश्त लगाते समय राईफल मैन भंवर सिंह ने नागालैंड के एक गांव के पास उस पगडंडी के पास सशस्त्र उपद्रवियों के एक गिरोह को देखा जहां गश्त हो रही थी। उन्होंने उपद्रवियों के अन्धेरे में तितर-बितर होने से पूर्व ही उन पर तत्काल धावा बोल दिया। इसके फलस्वरूप होने वाली हाथापाई में उन्होंने उपद्रवियों में से दो को घायल करके गिरा दिया।

इस मुठभेड़ में राईफलमैन भंवर सिंह ने साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

30. 2860897 राईफलमैन झाला प्रवीण सिंह कनुभा,
राजपूताना राईफल्स

गुजरात में दंगों के दौरान 25 सितम्बर, 1969 को जब अहमदाबाद के एक मकान की तलाशी ली जा रही थी तो राईफलमैन झाला प्रवीण सिंह कनुभा संरक्षण दल के सदस्य थे। अचानक घर में से एक उपद्रवी तलवार घुमाते हुए निकला और उसने राईफलमैन कनुभा पर हमला करना चाहा जो उसका रास्ता रोक रहा था। जवान ने इस बार को बचाया और उपद्रवी को नीचे गिरा दिया। इस उपद्रवी के पकड़े जाने के फलस्वरूप सात अन्य उपद्रवियों को घातक हथियारों के साथ पकड़ा गया।

इस कार्यवाही में राईफलमैन झाला प्रवीण सिंह कनुभा ने साहस तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

31. 2751431 सिपाही बावन नगारे
मराठा

17 मार्च, 1968 को प्राप्त नागालैंड में मराठा रेजिमेंट की एक प्लाटून को उपद्रवियों के एक गिरोह को ढूंढने का कार्य सौंपा गया था। सिपाही बावन नगारे प्लाटून की एक सेक्शन के अग्रिम स्काउट थे। सुबह 5 बजकर 45 मिनट के लगभग जब प्लाटून जंगल में एक नाले को पार कर रहा था तो उपद्रवियों ने स्वचालित हथियारों से अग्रिम दल पर गोलाबारी आरम्भ कर दी। सिपाही बावन नगारे ने उस स्थान को खोज लिया जहां से गोली चलाई जा रही थी और अपने सैक्शन कमांडर के आदेश पर उपद्रवियों के स्थान पर आक्रमण कर दिया और एक सब-मशीनगन तथा गोलाबारूद पर कब्जा कर लिया। अपने सैक्शन कमांडर और एक सिपाही के साथ उन्होंने एक मील तक उपद्रवियों का पीछा किया और तीन उपद्रवियों को पकड़ लिया।

इस कार्यवाही में सिपाही बावन नगारे ने साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

32. 7047085 सिपाही ड्राइवर रिकवरी वच्छमन्दरा उथाप्पा पूवाप्पा इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन्जीनियर्स।

7 सितम्बर, 1969 से 11 सितम्बर, 1969 तक गुजरात में लगातार वर्षा हुई जिससे अधिकतर नदियों में बाढ़ आ गई थी। 10 सितम्बर, 1969 की रात को बड़ौदा में विश्वामित्री नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसके किनारे का बहुत सा भाग पानी में डूब गया था। इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन्जीनियरिंग स्कूल, बड़ौदा, का एक जवान हारनी कैम्प को लौटते समय बाढ़ के पानी में घिर गया। अपने को बचाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया तथा उसने पूरी रात वहीं गुजारी। 11 सितम्बर, 1969 को प्रातः सात बजे तक वह तेज गति से बहने वाले 10 से 15 फुट गहरे पानी में घिर गया। 11 सितम्बर, 1969 को सुबह नौ बजे खोज करने वाली एक पार्टी ने उसे ढूंढ लिया। बहुत तेज धार तथा गहरे पानी के कारण बचाव कार्य खतरनाक था। सिपाही वच्छमन्दरा उथाप्पा पूवाप्पा तथा एक अन्य जवान जो खोज करने वाली पार्टी के सदस्य थे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिये स्वेच्छा से तैयार हो गए। एक कामचलाऊ बेड़ा बनाया गया जिसकी सहायता से इन व्यक्तियों ने बाढ़ से घिरे सिपाही तक पहुंचने का प्रयत्न किया। वे तेज धारा में बह गए और असफल हो गए थे। तब सिपाही पूवाप्पा ने पेड़ों की सहायता से तेज धार के पार एक मार्ग बनाना चाहा और मनीला रस्सी की सहायता से दो बार तैर कर पार जाने का प्रयत्न किया किन्तु तेज धार में बह गए। तीसरी बार पेड़ों के बीच रस्सी द्वारा मार्ग स्थापित करने में वह सफल हो गए। तब उन्होंने बाढ़ में घिरे हुए व्यक्ति को अपने कन्धे पर उठाया और पेड़ों पर बन्धी रस्सी की सहायता से उसे बहते पानी में सुरक्षित निकाल लाए।

इस कार्यवाही में सिपाही ड्राइवर रिकवरी वच्छमन्दरा उथाप्पा पूवाप्पा ने साहस तथा पहल शक्ति का परिचय दिया।

33. 3547450 सिपाही चिनाप्पन
मद्रास

सिपाही चिनाप्पन को नागालैंड में उपद्रवियों को रोकने के लिए भेजी गई एक विशेष गश्ती पार्टी का सदस्य नियुक्त किया गया था। 9 अप्रैल, 1969 को उन्होंने तीन सशस्त्र उपद्रवियों को गश्ती टुकड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखा। उन्होंने तुरन्त गश्ती टुकड़ी के नेता को सावधान किया जिसने गश्ती टुकड़ी को घात लगाने का आदेश दिया। उपद्रवियों ने तुरन्त ही गोली चलाना आरम्भ कर दिया जवाब में गश्ती दल ने भी गोलियां चलाईं। जब गोलाबारी हो रही थी तो सिपाही चिनाप्पन अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए अपने स्थान से बाहर कूद पड़े और एक सशस्त्र उपद्रवी को पकड़ लिया।

इस कार्यवाही में सिपाही चिनाप्पन ने साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

34. 7075436 सिपाही ड्राइवर (एम० टी०) शांता राम मोरे इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल इन्जीनियर्स।

10 सितम्बर, 1969 की रात को बड़ौदा में विश्व मित्री नदी में बाढ़ आई हुई थी और किनारों का बहुत सा भाग पानी में डूब गया था। इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन्जीनियरिंग स्कूल, बड़ौदा, का एक जवान हारनी कैम्प को लौटते समय बाढ़ के पानी में घिर गया।

अपने को बचाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया तथा उसने पूरी रात वहीं व्यतीत की। 11 सितम्बर, 1969 को प्रात: सात बजे तक वह तेज गति से बहने वाले 10 से 15 फुट गहरे पानी में घिर गया था। 11 सितम्बर, 1969 को प्रात: नौ बजे उसे खोज पार्टी ने ढूंढ लिया। बहुत तेज धार तथा गहरे पानी के कारण उसे बचाना खतरे से भरा था। सिपाही शांता राम मोरे तथा एक अन्य जवान जो खोज पार्टी के सदस्य थे, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना ही उसे बचाने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए। एक काम चलाऊ बेड़ा बनाया गया जिसकी सहायता से इन व्यक्तियों ने बाढ़ से घिरे सिपाही तक पहुंचने का प्रयत्न किया किन्तु वे तेज धार में बह गए और असफल हो गए थे। तब तेज धार आर-पार पेड़ों की सहायता से एक मार्ग बनाने का निश्चय किया गया। सिपाही मोरे ने मनीला रस्सी की सहायता से दो बार तैर कर नदी पार करनी चाही। लेकिन तेज धार में बह गए। तीसरी बार वह पेड़ों के मध्य रस्सी द्वारा मार्ग स्थापित करने में सफल हो गए। तदनन्तर दूसरे जवान ने बाढ़ से घिरे सिपाही को कन्धे पर उठाया और उसे पेड़ों पर बन्धी रस्सी की सहायता से बहते हुए पानी में से सुरक्षित बाहर ले आए।

इस कार्यवाही में सिपाही ड्राइवर (एम०टी०) शांता राम मोरे ने साहस तथा दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

सं० 16—प्रेज़०/70—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को उच्च कर्त्तव्यपरायणता अथवा साहस के उपलक्ष में "वायु सेना पदक/एयर फोर्स मैडल" प्रदान करने का अनुमोदन करते हैं:—

1. विंग कमांडर अरुण कान्ति मुखर्जी (4416)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर अरुण कान्ति मुखर्जी भारतीय वायु सेना के सुपरसौनिक विमान चालकों में से एक हैं। उन्होंने 2430 घण्टों की उड़ान की है तथा 1200 से अधिक उड़ानें सुपरसौनिक वायुयान पर की हैं। उन्होंने जून 1967 में एक स्क्वाड्रन की कमान संभाली जो कि विमान चालकों को सुपरसौनिक वायुयानों पर संपरिवर्तन प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी था। इस स्क्वाड्रन से बहुत से विमान चालकों ने बिना किसी गम्भीर दुर्घटना के सफलता प्राप्त की है। विंग कमांडर मुखर्जी के योग्य नेतृत्व में स्क्वाड्रन न केवल एक अच्छी संपरिवर्तन यूनिट ही बनी, वरन् संक्रियात्मक तत्परता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। सन् 1968 में स्क्वाड्रन ने 3 ट्राफियां (पुरस्कार), सर्वोत्तम गठित सुपरसौनिक स्क्वाड्रन के लिए, सर्वोत्तम स्क्वाड्रन तथा व्यक्तिगत राकेट ट्राफी, प्राप्त की।

विंग कमांडर अरुण कान्ति मुखर्जी ने सदैव साहस, दृढ़-निश्चय व कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

2. विंग कमांडर भूपेन्द्र नाथ मिश्र (4079)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर भूपेन्द्र नाथ मिश्र पिछले 18 महीनों से भारतीय वायुसेना के एक लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमान कर रहे हैं। इस अवधि में स्क्वाड्रन ने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया और मुख्यालय, पश्चिमी वायु कमान द्वारा आयोजित सभी अभ्यासों में सराहनीय रूप से भाग लिया है। 1968-69 में इस स्क्वाड्रन को कमान में अपने ढंग का सर्वोत्तम माना गया। इस अफसर ने स्क्वाड्रन के वायु सैनिकों में उत्साह और उद्देश्यपूर्ण भावना उत्पन्न की उसके कारण ही उनको पहली बार स्क्वाड्रन के सम्पूर्ण उपकरणों का निर्धारण करने में सहायता मिली। स्क्वाड्रन को वर्तमान संक्रियात्मक तैयारी की उच्च स्थिति में पहुंचाने का श्रेय इस अधिकारी को है।

विंग कमांडर भूपेन्द्र नाथ मिश्र ने सदैव साहस और व्यावसायिक कुशलता का प्रदर्शन किया।

3. विंग कमांडर सेसिल विवियन पारकर (4346)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर सेसिल विवियन पारकर ने अक्तूबर 1966 में एक संक्रियात्मक प्रशिक्षण यूनिट का गठन किया तथा इस यूनिट के प्रथम कमान अफसर थे। यूनिट से निकलने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उच्च तकनीक, सिखलाई, मानकीकरण और स्तर का श्रेय उन्हीं को है। यूनिट ने अपनी स्थापना से ही प्रशिक्षण तथा संक्रियात्मक दोनों प्रकार के कार्यों को निभाया। कई प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी इन दोनों कार्यों में सफलता मिल सकी। यह विंग कमांडर पारकर की उच्च कोटि की संगठन क्षमता के कारण ही सम्भव हो सका। इनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ही विमानों का अधिकतम प्रयोग करके तथा न्यूनतम दुर्घटनाओं के साथ यूनिट ने अपने उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

विंग कमांडर सेसिल विवियन पारकर ने सदैव साहस एवं असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

4. विंग कमांडर दलबीर यादव (4241)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर दलबीर यादव 4 अक्तूबर 1966 से एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने अपनी यूनिट की उच्च संक्रियात्मक तत्परता व उत्थान के लिए पूर्ण संलग्नता से कार्य किया उन्होंने युवा व नए पायलटों को पूर्ण संक्रियात्मक" प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कठोर परिश्रम किया। स्क्वाड्रन की संक्रियात्मक क्षमता के निरन्तर निर्धारण के लिए परमावश्यक "गनरी-मीट" अभ्यासों की योजना व संचालन में उन्होंने मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान के वायु सैनिकों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

विंग कमांडर दलबीर यादव ने सदैव साहस एवं असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया।

5. विंग कमांडर डेन्ज़िल सतूर (4339)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर डेन्ज़िल सतूर पिछले ढाई वर्ष से एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे हैं। संक्रियात्मक उड़ानों में उन्होंने विशिष्ट क्षमता प्रदर्शित की है और लगभग 3507 घण्टे लड़ाकू विमानों पर उड़ानें की हैं। उनके नेतृत्व में स्क्वाड्रन को सौंपे गए सभी कार्य दक्षता के साथ पूर्ण हुए हैं। समाघात उड़ानों में उनकी व्यावसायिक योग्यता उनके अधीनस्थ पायलटों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। अनेक विषमताओं के बावजूद उन्होंने स्क्वाड्रन को समाघात तैयारी के उच्चस्तर पर पहुंचाया।

विंग कमांडर डेन्ज़िल सतूर ने सदैव नेतृत्व तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

6. विंग कमांडर जयराम नीलकंठ जातार (4040)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर जयराम नीलकंठ जातार अगस्त 1967 से एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे हैं। उनके उत्साह और अथक प्रयत्नों के द्वारा मासिक उड़ान की घण्टों में वृद्धि हुई और दुर्घटना

आकस्मिकता दर में कमी हुई। स्क्वाड्रन ने 1968 में कमाण्ड गन्नरी-ट्राफी को जीता। उनके कमान की अवधि में स्क्वाड्रन को अनेक टुकड़ियों का परिचालन करना पड़ा। उन्होंने इन उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निवाहा। भूमि उपकरणों की कार्य-उपयोगिता में वृद्धि करने की युक्ति सुझाने के साथ-साथ स्क्वाड्रन की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए उन्होंने चालू करने की हल्की वजन पद्धति का भी सफलतापूर्वक विकास किया। उनको 1968 की कमान गन्नरी-मीट में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। एक बार एक विमान को विवश होकर एक पट्टी पर उतरना पड़ा और आस-पास की रुकावटों और धावन-पथ के असमतल होने के कारण उसके क्षतिग्रस्त होने की समस्या थी, उस समय उन्होंने अपने अद्वितीय हवाबाजी के द्वारा विमान की उड़ान भरकर उसे सुरक्षापूर्वक अड्डे में वापिस ले आए।

विंग कमांडर जयराम नीलकंट जातार ने सदैव साहस, कर्त्तव्य-निष्ठा और असाधारण हवाबाजी का परिचय दिया।

7. विंग कमांडर क्षिरोद कृष्णा सेन, वी० एम० (4495) (वायुसेना मैडल का बार) जनरल ड्यूटीज (पायलट)

27 फरवरी, 1969 को क्षिरोद कृष्णा सेन एक परिशिक्षार्थी को एकाकी उड़ान-पूर्व निर्देश देते हुए एक जेट वायुयान पर उड़ान ले रहे थे। अन्तिम पहुंच के समय हवाई अड्डे से 10 किलो मीटर की दूरी पर वायुयान के इंजन से अचानक लपटें निकलने लगीं। उन्होंने तुरन्त ही तेजी से नीचे गिरते हुए वायुयान का नियन्त्रण संभाल कर प्रशिक्षार्थी पायलट को कूद जाने को कहा। उसके कूदने पर उनको अपनी सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया क्योंकि इससे उनका परिदर्शी काला हो गया और उनको सामने कुछ भी नजर न आने लगा। इसके बावजूद उन्होंने दृढ़ निश्चय और साहस के साथ विमान की दिशा तथा नियन्त्रण को कायम रखा और अन्ततः उसका हवाई अड्डे पर ध्वंस-अवतरण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने केवल जमीन पर बहुत से नागरिकों का जीवन ही नहीं बचाया वरन् प्रशासन के लिए भी इंजन के खराब होने के कारण ढूंढ़ना और उनका प्रतिकार करना सम्भव हो सका।

विंग कमांडर क्षिरोद कृष्णा सेन ने सदैव साहस और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

8. विंग कमांडर कृष्ण कान्त सेनी (4436) वी० च०
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर कृष्ण कान्त सेनी जनवरी 1953 में भारतीय वायुसेना में भरती हुए। अपने सेवाकाल में उन्होंने उड्डयन के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जिनमें से एक स्क्वाड्रन की कमान भी है। नवम्बर 1968 से अगस्त 1969 की अवधि में उनको चार विभिन्न प्रकार के हेलीकाप्टरों पर पारिस्थिक उड़ानें करने का कार्य सौंपा गया। ये परीक्षण उड़ानें बहुत अधिक उंचाई पर दुर्गम क्षेत्रों और प्रतिकूल मौसम मेंकी गई थीं। अवसरों पर उन्होंने संकटपूर्ण परिस्थितियों का अद्वितीय बुद्धिमता व साहस के साथ सामना किया। 8 मई 1969 को उन्होंने एक मूल्यांकन परीक्षण के दौरान 22,500 फीट की ऊंचाई पर अवतरण करके और उड़ान भरके किसी भी हेलीकाप्टर का विश्व-रिकार्ड कायम किया।

विंग कमांडर कृष्ण कान्त सैनी ने सदैव अद्वितीय बुद्धिमता तथा साहस का परिचय दिया।

9. विंग कमांडर मंडोकोल्लाथुर गोपालस्वामी रामचन्द्र (4033)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर मंडोकोल्लाथुर गोपालस्वामी रामचन्द्र 18 जुलाई 1966 से 16 अगस्त 1969 तक एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे थे। यद्यपि उनके अड्डे के आस-पास कोई फायरिंग रेंज नहीं था फिर भी उन्होंने अपने वायु और भूमि कर्मी-दल को विभिन्न संक्रियात्मक कार्यों में प्रभावशाली ढंग से प्रशिक्षित किया। कमान तथा वायुसेना मुख्यालय द्वारा आदेशित विभिन्न वायु अभ्यासों के दौरान उन्होंने सदैव आवश्यकता से अधिक संख्या में विमानों को संक्रियात्मक कर्मी-दलों के साथ भेजा। उनके कर्मी-दल ने दिए गए सदैव पूर्ण सफलता के साथ सम्पन्न किया। उनके अवधिकाल में स्क्वाड्रन के वायुयानों की मासिक उड़ान और उपयोगिता अधिकतम रही जिसमें दुर्घटनाएं आकस्मिकताएं न्यूनतम थीं।

विंग कमांडर मंडोकोल्लाथुर गोपालस्वामी रामचन्द्र ने सदैव साहस और कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

10. विंग कमांडर मोहिन्दर सिंह बावा (4494)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर मोहिन्दर सिंह बावा ने 1968 में एक लड़ाकू स्क्वाड्रन की कमान संभाली। स्क्वाड्रन का उसी समय गठन हो रहा था और उसमें आधुनिकतम विमानों को सम्मिलित किया गया था। सीमित साधनों के होने पर भी उन्हें एक ऐसे आधार का निर्माण करना पड़ा जिससे भारतीय वायुसेना की बाद में और स्क्वाड्रनें स्थापित की जा सकें। कार्मिकों को बहुत व्यवहार कुशल वायुयानों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त स्क्वाड्रन को इस उपस्कर के लगाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक वर्ष की थोड़ी अवधि में ही स्क्वाड्रन पूर्ण संक्रियात्मक स्थिति में पहुंच गया। इस अफसर ने अतिस्वन वायुयान पर उच्चतम उपकरण योग्यता प्राप्त कर के व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित दिया।

विंग कमांडर मोहिन्दर सिंह बावा ने सदैव साहस व कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

11. विंग कमांडर कपिल देव चड्ढा (3845)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर कपिल देव चड्ढा ने 1967 में एक परिवहन स्क्वाड्रन की कमान सम्भाली। उनके कमान की अवधि में स्क्वाड्रन ने एक वर्ष के अन्दर ही 12,000 टन माल ढोने के काम को पूरा कर 12,000 घन्टों से अधिक दुर्घटना रहित उड़ानें कीं। स्क्वाड्रन के इतिहास में यह सर्वदा के लिए एक रिकार्ड बन गया। पिछले 15 वर्षों के दौरान इस अफसर ने एक कप्तान के रूप में दुर्घटना रहित 4,500 घन्टों से अधिक उड़ान कर सर्वोच्च व्यवसायिक योग्यता को बनाए रखा।

विंग कमांडर कपिल देव चड्ढा ने सदैव साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

12. विंग कमांडर सुरेन्द्र नाथ कालरा (3945)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर सुरेन्द्र नाथ कालरा पिछले 15 महीनों से एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे हैं। इस समय के दौरान प्रशंसीय शक्ति

और उत्साह के साथ वे अपने स्क्वाड्रन की संक्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने में लगे रहे। उन्होंने अपने स्क्वाड्रन की कार्यक्षमता का उच्च-स्तर केवल सौंपे गए प्रारम्भिक कार्यों में ही नहीं वरन सर्विस के अन्य क्षेत्रों में भी सुनिश्चित किया। उनकी कमान की अवधि में स्क्वाड्रन ने कई अभ्यासों में भाग लिया और लगातार जो अच्छा प्रदर्शन किया वह इनके कुशल नेतृत्व के कारण ही सम्भव हुआ। एक वायुसेना अभ्यास के दौरान उनके कार्य-प्रदर्शन की वायुसेना अध्यक्ष ने भी सराहना की। स्क्वाड्रन ने वार्षिक एयर-ट्राफी जीतकर केवल समग्र रूप से सर्वोत्तम परिणाम ही नहीं प्राप्त किया वरन विंग कमांडर कालरा का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी उत्कृष्ट रहा। इसके कारण उन्हें सर्वोत्तम व्यक्तिगत बमबारी की ट्राफी प्रदान की गई।

विंग कमांडर सुरेन्द्र नाथ कालरा ने सदैव नेतृत्व तथा असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

13. विंग कमांडर सुरिन्दर सिंह (4239)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर सुरिन्दर सिंह सन् 1966 से एक परिवहन स्क्वाड्रन की कमान कर रहे हैं। यह स्क्वाड्रन मुख्यत: उत्तरी सीमा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में वायु सैनिक कार्यवाहियों के लिये जिम्मेदार था। अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने स्क्वाड्रन को सुसंगठित कर थोड़े समय की सूचना पर सौंपे गये कार्यों को पूर्ण करने के योग्य बनाया। उन्होंने नेफा, नागा पहाड़ियों, आदि दुर्गम क्षेत्रों में 1,500 घंटों से अधिक उड़ाने की हैं। उन्होंने देश में बाढ़ राहत के लिये असंख्य उड़ाने की है। उन्होंने 1960 में कांगों में संयुक्त राष्ट्र आपात सेना में भी कार्य किया जहां उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना बड़ी संख्या में अनेक मिशनों पर उड़ाने कीं।

विंग कमांडर सुरिन्दर सिंह ने सदैव साहस तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

14. विंग कमांडर विजय चन्द मनकोटिया (4041)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

विंग कमांडर विजय चन्द मनकोटिया जनवरी 1951 से एक परिवहन विमान चालक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जून 1967 में उन्होंने एक परिवहन स्क्वाड्रन की कमान संभाली। यथासंभव थोड़े समय के भीतर अधिकतम संक्रियात्मक स्थिति को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने एक वृहद प्रशिक्षण और संक्रियात्मक कार्यक्रम तैयार किया। संक्रियात्मक स्थिति को बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान है। स्क्वाड्रन को सौंपे गये विभिन्न संक्रियात्मक कार्यों से संबंधित मामलों के बारे में उनका वैयक्तिक मार्ग दर्शन रहा। वे एक योग्य और अनुभवी उड़ाकू हैं जिन्होंने कुल 4,850 घंटे उड़ाने कीं इनमे से 1,280 घंटों की संक्रियात्मक उड़ाने हैं। वे वैयक्तिक रूप से भी किसी भी उड़ान कार्य को करने में समर्थ हैं।

विंग कमांडर विजय चन्द मनकोटिया ने सदैव साहस तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

15. स्क्वाड्रन लीडर वीरेन्द्र दत्त डंगवाल (4839)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर वीरेन्द्र दत्त डंगवाल नवम्बर 1965 से एक हेलीकाप्टर यूनिट की कमान कर रहे हैं। उन्होंने 470 घंटो की संक्रियात्मक उड़ान सहित कुल 730 घंटे की दुर्घटना रहित उड़ानें की हैं। साथ ही एक सफल उड़ान-प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने अपने विमान चालकों को संक्रियात्मक प्रशिक्षण भी दिया। उनके प्रयत्नों के कारण ही स्क्वाड्रन ने अपने संक्रियात्मक कार्यों को योग्यता के साथ पूरा किया। सन् 1968 में उत्तरी बंगाल में बाढ़ के दौरान उनकी यूनिट ने कठिन और अगम्य स्थानों पर रसद गिराई तथा घायल व बाढ़ग्रस्त लोगों को निकाला। उन्होंने दक्षतापूर्वक वायु और भूमि कर्मी-दलों को गठित कर संपूर्ण कार्यों को पूरा किया।

स्क्वाड्रन लीडर वीरेन्द्र दत्त डंगवाल ने साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

16. स्क्वाड्रन लीडर बृजेश धर जयाल (4972)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर बृजेश धर जयाल ने 26 सितम्बर 1966 से 30 दिसम्बर 1968 तक एक टेस्ट पायलट के रूप में कार्य किया। इस समय के दौरान वे विभिन्न वायुयानों पर कई परीक्षणों से संबंधित रहे। उन्होंने एक नए प्रकार के अतिस्वन विमान की विभिन्न आकृतियों की कार्य रेखा और उड़ान भरने की तकनीकों में परीक्षण किया। उन्होंने सफलतापूर्वक इसकी गनरी तकनीक का विकास किया तथा ठीक और आसान प्रकार की गन साइट को अपनाने में सहायता दी। पुन: एक नए प्रशिक्षण विमान के दोष बताने और उनका निवारण करने के हेतु सुझाव देने की जिम्मेदारी भी उन पर सौंपी गई, जिससे कि विमान निरापद उड़ सकें। सैनिक विमान के अन्य क्षेत्रों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी यूनिट को सौंपे गये हर परीक्षण कार्य को उन्होंने सम्पन्न किया। प्रत्येक मामलों में उनका कार्य प्रशंसनीय रहा। परीक्षणों को यथासंभव थोड़े समय में ही पूरा करने की दृष्टि से उन्होंने देर तक कई घंटों कार्य किया।

आद्योपांत स्क्वाड्रन लीडर बृजेश धर जयाल ने साहस, पहल-शक्ति और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

17. स्क्वाड्रन लीडर देवेन्द्र नाथ मुकर्जी (4670)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर देवेन्द्र नाथ मुकर्जी एक नए प्रकार के परिवहन विमान पर संपरिवर्तन प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद अक्तूबर 1966 को संचार स्क्वाड्रन पद पर नियुक्त हुए। प्रशिक्षण के दौरान वे अपने कोर्स के एक सर्वोत्तम पायलेट समझे गए। स्क्वाड्रन में आने पर वे इस प्रकार के प्रारम्भिक परिक्षणों और इसके संक्रियात्मक अभ्यासों का आयोजन करने में सहायक सिद्ध हुए। उन्होंने इस प्रकार की घटना रहित 840 घंटों की उड़ानें की हैं। उन्होंने 1960 से सितम्बर 1966 तक उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में विमान-वहन और विमान से रसद गिराने के लिए उड़ानें की हैं। इस अवधि में उन्होंने 1,500 से अधिक घंटों तक संक्रियात्मक क्षेत्रों में उड़ानें की हैं। 1965 भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण वायु रसद मिशनों के लिए उड़ानें कीं। उन्हें लगभग 5,200 घटों की दुर्घटना रहित उड़ान करने का गौरव प्राप्त हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर मुकर्जी को जो भी काम सौंपे गए उनको उन्होंने पूर्ण कुशलता और उत्साह के साथ पूरा किया।

स्क्वाड्रन लीडर देवेन्द्र नाथ मुकर्जी ने सदैव साहस, व्यवसायिक कुशलता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

18 स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह सभरवाल (4756)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह सभरवाल करीब 6 वर्ष से विमान-वहन संक्रिया में संलग्न हैं। उन्होंने 6,700 घंटों की उड़ानें की जिनमें से 1,670 घंटे संक्रियात्मक मिशनों पर थी। उन्हें दिसम्बर 1967 में एक सीमावर्ती क्षेत्र में भारी परिवहन विमान संक्रिया की संभावना का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वयं कठिन भू-प्रदेशों में बहुत सी परीक्षण उड़ानें कर अन्तत. परिचालन विधि को संचालित किया जिससे उस क्षेत्र में तदनन्तर की उड़ाने उत्पादक व सुरक्षित हो गई। मार्च 1969 में जब वे एक संक्रियात्मक क्षेत्र में डिटैच कमाण्डर थे तो कुछ ही वायुयानो द्वारा उन्होंने एक महीने के भीतर 1,000 टन से अधिक सामान विमान-वहन कर एक रिकार्ड कायम किया।

स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह सभरवाल ने सदैव साहस तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

19. स्क्वाड्रन लीडर दीनानाथ नादकर्णी (5587)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर दीनानाथ नादकर्णी ने 2,000 घंटो से अधिक की उड़ानें की हैं। उनका प्रदर्शन उड़ान के दौरान सदैव उत्कृष्ट रहा। वे तुलनात्मक दृष्टि से कनिष्ठ होते हुए भी भारतीय वायु-सेना की एक मात्र एरोबेटिक टीम के सदस्य बनाये गये। पिछले साढ़े चार वर्षो से सक्रियात्मक स्क्वाड्रन में रहने के दौरान उन्होने कुल 955 उड़ाने की जिसमे से 112 उड़ान रात में थी। वे सर्वदा भूमि पर या वायु में स्क्वाड्रन को सौंपे गए सभी कठिनतम कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका साहस, नेतृत्व और पहल स्क्वाड्रन में सभी के लिए प्रेरणा का श्रोत रहा है।

स्क्वाड्रन लीडर दीनानाथ नादकर्णी ने सदैव साहस, नेतृत्व और पहलशक्ति का परिचय दिया।

20. स्क्वाड्रन लीडर (किरपाल सिंह (5115)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर किरपाल सिंह अप्रैल 1967 से तेज रफ्तार के विभिन्न वायुयानो पर उड़ान परिक्षण कर रहे हैं। इस कार्यवाही में उन्होने 400 घंटो की उड़ान की है। उत्पादकता परिक्षण के प्रति उनकी पहुंच सदैव बौद्धिक और गत्यात्मक रही है तथा वायु में विमान के दोषो के पहचानने की उनकी योग्यता से भूमि कर्मीदल को उनके कार्यों में काफी सहायता मिली है। उन्होने आपात कालीन अवसरों पर प्रतिकूल मौसम के बावजूद सदैव अत्यन्त साहस का प्रदर्शन किया।

स्क्वाड्रन लीडर किरपाल सिंह ने सदैव धैर्यपूर्ण साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

21. स्क्वाड्रन लीडर कुथिरोदन भास्करन (5208)
जनरल ड्यूटीज (नेवीगेटर)

एक नये प्रकार के वायुयान पर संपरिवर्तन प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद स्क्वाड्रन लीडर कुथिरोदन भास्करन फरवरी 1967 में दिकचालन के कार्य पर एक संचार स्क्वाड्रन में नियुक्त हुए। प्रशिक्षण के दौरान वे अपने दल में सबसे अच्छे प्रमाणित हुए थे। स्क्वाड्रन में आने के बाद उन्होने स्क्वाड्रन के दूसरे दिक्चालकों को उस प्रकार के वायुयानो पर संपरिवर्तन का कार्य संभाला और बहुत ही थोड़े समय में इस कार्य को पूरा किया। दिक्चालक प्रशिक्षक के रूप में उन्होने पहले भी दिक्चालन स्कूल और परिवहन प्रशिक्षण शाखा में कार्य किया तथा अपने प्रशिक्षार्थियों को सबसे उच्चस्तर पर पास कराने का गौरव प्राप्त किया। उन्होने 5,000 घंटो की उड़ानों में से 1,300 घंटे की उड़ान सचार स्क्वाड्रन में रहते हुए की हैं। उनके कठिन परिश्रम तथा उच्चकोटि के व्यावसायिक कुशलता से ही दिक्चालको की क्षमता उच्चस्तर पर पहुंची।

स्क्वाड्रन लीडर कुथिरोदन भास्करन ने सदैव साहस तथा व्यवसायिक कुशलता का परिचय दिया।

22 स्क्वाड्रन लीडर मंगातिल करक्द चन्द्रशेखर (4720)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर मंगातिल करक्द चन्द्रशेखर लगभग एक साल पहले एक परिवहन स्क्वाड्रन मे आये। इस दौरान उन्होंने सक्रियात्मक थकान की परवाह किये बिना 800 घंटो से अधिक संक्रियात्मक उड़ाने की। उन्होंने सक्रिया पायलटों के स्तर को ऊंचा करने तथा नये नियुक्त हुए अफसरो के प्रशिक्षण मे बहुत योगदान दिया। उपस्करो के निर्धारण में उनका कौशल उच्चकोटि का है तथा वे ए 2 प्रशिक्षक हैं। किये गये सभी कार्यों मे उन्होने उच्चस्तर के पहल का परिचय दिया।

स्क्वाड्रन लीडर मंगातिल करक्द चन्द्रशेखर ने सदैव साहस, पहल-शक्ति तथा व्यवसायिक कुशलता का परिचय दिया।

23 स्क्वाड्रन लीडर नौरबर्ट जोसफ मिसक्विटा (5314)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर नौरबर्ट जोसफ मिसक्विटा फरवरी 1966 से एक परिशिक्षण यूनिट मे उड़ान प्रशिक्षक हैं। इस अवधि मे उन्होने-1,300 घंटो की उड़ाने की हैं, जिसमे 950 घंटो की प्रशिक्षणात्मक उड़ानें हैं। 12 अगस्त 1968 को जब अवतरण की अन्तिम स्थिति मे उनके वायुयान के इंजन मे आग लग गई तो उन्होने शीघ्र "ग्लाइड" क्रिया द्वारा वायुयान को आसानी से उतार दिया पुन फरवरी 1969 मे चाप के ऊपरी भाग पर "फ्लिक" का प्रदर्शन करते समय वह एक उल्टे "स्पिन" में चले गये। उन्होने साथ के पायलट को कूद जाने का आदेश दिया किन्तु स्वयं अपात सुधार कार्य में लगे रहे तथा अन्त में वायुयान को उस "स्पिन" से मुक्त कर सुरक्षित उतार दिया।

स्क्वाड्रन लीडर नौरबर्ट जोसफ मिसक्विटा ने सदैव साहस, व्यवसायिक कुशलता तथा दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

24 स्क्वाड्रन लीडर नरेश कुमार (5057)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर नरेश कुमार को जो एक हेलीकाप्टर यूनिट की कमान कर रहे थे, 1968 में उत्तरी बंगाल मे बाढ़ पीड़ितो को सहायता पहुंचाने के लिए आदेश दिये गये। 5 अक्तूबर, 1968 को एक ऐसे मिशन के दौरान उन्होने 9 व्यक्तियों को बचाया। उसी दिन की संध्या को साथी पायलट के रूप मे उड़ान करते समय उन्होने अनेक व्यक्तियो को बाढ़ के पानी से घिरे हुए देखा। वे

वे गंभीर खतरे में थे तथा उन्हें शीघ्र निकालने की आवश्यकता थी। इस समय शाम हो चुकी थी तथा दृष्टिगोचरता कम होती जा रही थी। यूनिट के कमान अफसर होने के नाते उन्होंने साथ के पायलट को निकासी कार्य के लिए प्रयत्न करने को कहा। चूंकि अवतरण सम्भव नहीं था उन्होंने हेलीकाप्टर को भूमि से कुछ इंचकी ऊँचाई पर ठहराये रखा। अत्याधिक कमजोर हो जाने के कारण जब घिरे हुए व्यक्ति हेलीकाप्टर में प्रविष्ट न कर सके तो अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना वह हेलीकाप्टर से कूद पड़े तथा तीन व्यक्तियों को हेलीकाप्टर में चढ़ा दिया। इसी प्रकार उन्होंने 6 अक्तूबर को कुछ और बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को बचाया। उनकी योजना के फलस्वरूप ही 14 दिनों में 650 टन खाना और सामान वायुयानों द्वारा गिराया गया तथा 1,400 व्यक्तियों को निकाला गया।

स्क्वाड्रन लीडर नरेश कुमार ने सदैव साहस, पहल तथा कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

25 स्क्वाड्रन लीडर राजगोपाल जयगोपाल (4977)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर राजगोपाल जयगोपाल अक्तूबर 1966 से एक संक्रिया स्क्वाड्रन के उड़ान कमाडर हैं। उन्होंने इस प्रकार के वायुयानों पर अनेक पायलटों को प्रशिक्षित तथा सुयोग्य बनाया और इस प्रकार स्क्वाड्रन की सक्रियात्मक क्षमता को उच्च-स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने 5,300 घटों की उड़ानें की हैं जिनमें 2,190 घंटे दुर्घटना रहित उड़ानें प्रशिक्षण की हैं। 16 जनवरी 1967 को एक प्रशिक्षणात्मक सार्टी के दौरान जब प्रशिक्षणार्थी असमतित अवतरण का अभ्यास कर रहा था तो अवतरण की अन्तिम दशा में एलीवेटर नियंत्रण सहसा लुप्त होने का अनुभव हुआ उन्होंने वायुयान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया तथा उसे सुरक्षित उतार दिया। पुनः 22 अप्रैल 1969 को जब वह एक उड़ान प्रशिक्षण दे रहे थे तब वायुयान की काफी नीची स्थिति में "रैम्प" द्वारा अटक गया। ऐसी स्थिति में अवतरण के समय भूमि निर्बाधिता केवल डेढ़ इंच होती है। उन्होंने इस बार भी वायुयान को बिना किसी क्षति के उतार कर उच्च कोटि की व्यवसायिक कुशलता का परिचय दिया।

स्क्वाड्रन लीडर राजगोपाल जयगोपाल ने सदा साहस, व्यवसायिक कुशलता तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

26. स्क्वाड्रन लीडर सतीश कुमार सरीन (5370)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर सतीश कुमार सरीन 1957 से लगातार लड़ाकू विमानों पर उड़ानें करते रहे हैं। उन्होंने 2,140 घटे की जेट विमानों पर उड़ानें की हैं। उन्होंने दिसम्बर 1961 में पुर्तगालियों के विरुद्ध 'विजय' संक्रिया में भाग लिया। उसके कुछ महीनों बाद उन्होंने पी० ए० आई० कोर्स में तीन आर्मामेन्ट रिकार्ड तोड़कर अच्छे नतीजे प्राप्त किये। 1964 से 1966 के मध्य उन्होंने उड़ान कमाडर के सेवा काल में मीजो पहाड़ियों में सफलतापूर्वक 10 मिशनों का नेतृत्व किया। अगले वर्ष एक दूसरे स्क्वाड्रन में उन्होंने बहुत थोड़े समय में 200 घटे की उड़ान की। मई 1967 से वह एक स्क्वाड्रन में फ्लाइट कमांडर के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 350 घंटे से अधिक सुपरसोनिक वायुयानों पर उड़ानें की हैं। उन्होंने प्रारम्भिक स्क्वाड्रन उड़ानों में "मास्टर ग्रीन" उपस्कर निर्धारण प्राप्त किया। स्क्वाड्रन के सभी पायलटों के सम्मुख उन्होंने उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया तथा स्क्वाड्रन की उपस्कर और संक्रियात्मक अवस्था को उच्चकोटि के स्तर पर पहुंचाया।

स्क्वाड्रन लीडर सतीश कुमार सरीन ने सदैव साहस तथा कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

27. स्क्वाड्रन लीडर शशिकुमार सेमुअल रामदास (4930)
टेक्निकल/इंजीनियरिंग

स्क्वाड्रन लीडर शशिकुमार सेमुअल रामदास फरवरी 1966 से एक परीक्षण यूनिट इंजीनियरिंग अफसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 150 घटे से अधिक उड़ान की है। यह उनके पहल, कठिन परिश्रम तथा निरीक्षण का परिणाम था कि यूनिट में भूमि उपस्करों का निर्माण किया गया और एक नये प्रकार के वायुयान के सर्विसिंग कार्य अनुसूची को बनाये रखा गया। उन्होंने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड से लिये गये भूमि उपस्करों का भी पूर्ण पर्यवेक्षण किया और उनके पुनर्निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। यह उनके ही प्रयत्नों का परिणाम है कि अब प्रयुक्त होने वाले भूमि उपस्कर, निर्माताओं द्वारा प्रारम्भ में दिये गये उपस्करों से काफी अच्छे होंगे। स्क्वाड्रन लीडर रामदास ने अमुक प्रकार के वायुयान के लिए विभिन्न मूल्यांकन प्रणालियों का भी सृजन किया। इस कार्य में उन्होंने अपने इंजीनियरी के ज्ञान नहीं बल्कि अपने पायलट के ज्ञान का भी प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप उनके द्वारा की गई सिफ़ारिशें लागू किये जाने के उपरान्त मरम्मत के कार्य आसान हो जायेंगे।

स्क्वाड्रन लीडर शशिकुमार सेमुअल रामदास ने सदैव उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता, पहल तथा व्यवसायिक कुशलता का परिचय दिया।

28. स्क्वाड्रन लीडर विवियन क्रिस्टोफर गुडविन (4798)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

स्क्वाड्रन लीडर विवियन क्रिस्टोफर गुडविन एक संक्रिया स्क्वाड्रन में उड़ान कमाडर के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 1,350 घंटे की उड़ानें की हैं। उन्होंने गोवा तथा कांगो संक्रियाओं और 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भाग लिया। 29 नवम्बर 1968 को उन्होंने एक क्षेत्रपार उड़ान की। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों पश्चात् उनके बाजू में आग लग जाने के कारण महपक्ष नियंत्रण समाप्त हो गया। यद्यपि इस आपदा में वायुयान को छोड़ा जा सकता था, परन्तु वह उसे अड्डे पर सुरक्षित ले आये। ऐसा करते समय उन्होंने वायुयान को घनी बस्तियों से दूर रखा। यद्यपि ऐसा करने से उड़ान लम्बी हो गयी जिससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिये अधिक खतरा पैदा हो गया।

स्क्वाड्रन लीडर विवियन क्रिस्टोफर गुडविन ने सदैव साहस तथा व्यवसायिक कुशलता का परिचय दिया।

29. फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आशुतोष कुमार त्रिपाठी (8686)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आशुतोष कुमार त्रिपाठी 1964 में एक उड़ान यूनिट में आये। इस स्क्वाड्रन में अपने सेवाकाल के दौरान

उन्होंने 2,586 घंटे की उड़ानें की हैं जिसमें 1,500 घंटे की पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ी कठिन भू-भाग के ऊपर वायु संरक्षा सक्रियाओं में की हैं। उन्होंने सदैव अति कठिन तथा आवश्यक मिशनों पर तत्परता से उड़ाने कर सफलतापूर्वक उन्हें पूरा किया। इस प्रकार वह स्क्वाड्रन के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आशुतोष कुमार त्रिपाठी ने सदैव साहस, तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

30 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मजीत सिंह ढिलो (7021)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मंजीत सिंह ढिलो ने तीन साल से भी कम समय में अग्रिम क्षेत्रों में 1,375 घंटों की उड़ानें की हैं। उन्होंने हेलीकाप्टरों पर 2,305 घंटे दुर्घटना-रहित उड़ाने की है। अधिकतर उड़ानें कठिन पहाड़ी स्थानों में हुईं। 27 मार्च 1967 को दो हेलीकाप्टरों को जिनमें से एक को फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ढिलो उड़ा रहे थे, एक बड़े दलदली भू-भाग में खोई हुई सैनिक गश्ती टुकड़ी को खोजने तथा निकालने के कार्य पर भेजा गया था। फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ढिलो ने उस क्षेत्र की विस्तृत और संकटपूर्ण खोज की तथा अन्त में टुकड़ी को खोज निकाला। उन्होंने उतरने के एक सुयोग्य स्थान को खोजकर अवतरण किया तथा गश्ती टुकड़ी को निकाल लाए। अपने सेवाकाल में उन्होंने पायलटों को प्रशिक्षण देने में कठिन कार्य किया। इस प्रकार उनकी यूनिट सक्रियात्मक तैयारियों में सदा उच्च-स्तर पर रही।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मंजीत सिंह ढिलो ने सदैव साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

31 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ओम प्रकाश सिंह (9143)
टेक/सिगनल (एयर)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ओम प्रकाश सिंह अपने चतुर्थ सक्रियात्मक कार्यकाल के दौरान दिसम्बर 1965 से एक भारी परिवहन स्क्वाड्रन में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कुल 5,620 घंटों की उड़ानें की हैं जिनमें से 2,260 घंटों की उड़ान जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वी क्षेत्र के सक्रियात्मक क्षेत्रों के ऊपर की। स्क्वाड्रन के सिगनल कमांडर के रूप में उन्होंने स्क्वाड्रन के सिगनल कर्मीदल को बहुत ही उच्च-स्तर का प्रशिक्षण दिया जिसके वर्गीकरण वर्णन में बहुत प्रशंसा की गई है और परिणामस्वरूप वर्गीकरण की स्क्वाड्रन ट्राफी जीतने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवहन स्क्वाड्रन के कर्मी-दल को हर समय विभिन्न अवसरों पर सुरक्षा और विश्वासपूर्वक विमान चलाने का प्रशिक्षण देकर सक्रियात्मक क्षमता बढ़ाई है।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट ओम प्रकाश सिंह ने सदैव साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

32 फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रोहितौन बुरजोर फ्रेमजी (7706)
जनरल ड्यूटीज (पायलट)

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रोहितौन बुरजोर फ्रेमजी अक्तूबर 1966 से एक परिवहन स्क्वाड्रन में नियुक्त किये गए है। उन्होंने 2,600 घंटे की उड़ानें की हैं जिसमें लगभग 900 घंटे की उड़ान एक वर्ष में की गई और कई बार एक मास में 100 घंटे की उड़ान की। 17 सितम्बर 1968 को जब वह एक भरे हुए जहाज को उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे विमान के जेट पेक में आग लग गई और उसका पिछला भाग भस्म हो गया। विमान एक ऐसी खतरनाक स्थिति में था कि उसकी उड़ान को छोड़ा नहीं जा सकता था। उन्होंने उड़ान को साहसपूर्वक चालू रखा तथा इंजन की आग पर काबू पाकर विमान को सुरक्षापूर्वक वापस उतार दिया। दूसरी बार फिर 8 जनवरी 1969 को जब वह एक भरे हुए परिवहन विमान को, जिसमें बहुत से यात्री भी सवार थे, उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उन्हें बाह्य टायर के फटने से विमान में एक असामान्य कंपन तथा उपकरण पेनल में धुंधलेपन का अनुभव हुआ। उन्होंने शीघ्र ही बाकी दौड़-पट्टी पर विमान को उतारने का निश्चय किया जो कि बहुत अधिक नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्होंने कुशलतापूर्वक विमान को ओ० आर० पी० पर रोक लिया। इस 600 गज की दौड़ में बायीं ओर का अन्दर का टायर भी फट गया और शीघ्र ही पोट ब्रेक में आग लग गई। विद्यमान व्यक्तियों और विमान पर उपलब्ध आग बुझाने के यंत्रों की सहायता से उन्होंने शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया तथा इस प्रकार कीमती जीवनों और विमान को को बचा लिया। पुनः एक बार अग्रिम क्षेत्र में इंजन के फेल हो जाने पर उन्होंने कुशलतापूर्वक उस आपत्ति पर काबू पा लिया और मिशन को पूरा किया तथा बाद में एक ही इंजन से विमान को सावधानी-पूर्वक अड्डे पर उतार दिया।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट रोहितौन बुरजोर फ्रेमजी ने सदैव, साहस व्यवसायिक कुशलता और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

33 41183 वारन्ट अफसर चानन सिंह गिल
जी०टी०आई०/पी०जे०आई०

वारन्ट अफसर चानन सिंह गिल सन् 1944 में रायल इंडियन एयर फोर्स में भर्ती हुए। उन्होंने सन् 1947 में एक पैराशूट ड्रापिंग प्रशिक्षक के रूप में चकलाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। विभाजन के बाद पैराट्रूपर्स प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए चुने हुए प्रशिक्षकों में से वे एक थे। तब से वे हवाई छतरी से सामान गिराने के काम में उपयोग के लिए उचित उपकरण के विकास और सामान गिराने के प्रयोगात्मक परीक्षणों से संबधित रहे हैं। इन परीक्षणों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों व अन्य भारी उपकरणों के गिराने के साथ-साथ नये ढंग के वायुवाहित यंत्रों फिटबैग, स्टैचर्स आदि सहित जीवन्त कूद सम्मिलित है। अधिकतर परिक्षण दुर्गम भू-प्रदेशों में किये गये। एक बार जब वे एक निष्कासन कर्मीदल के कमांडर के रूप में एक भारी परिवहन वायुयान से सामान गिराने वाली कर्षण पद्धति के प्रयोग का परिक्षण कर रहे थे कि सहसा प्लेटफार्म से लग्न रहने वाला फीता टूट गया। उस समय वायुयान एक गांव के ऊपर उड़ रहा था जहां से सामान गिराने का क्षेत्र अब भी एक मील दूर था। फलस्वरूप प्लेटफार्म वायुयान से बाहर खिसकने लगा। गांव के ऊपर सामान के गिरने से महान धन-जन की क्षति होने की आशंका से उन्होंने स्वयं को वायुयान से बाहर फेंके जाने के खतरे की परवाह किए बिना ही प्लेटफार्म से बंधी रस्सी को पकड़ कर उसके खिसकने को रोक लिया। उन्होंने अपने जीवन को महान खतरे में डाल कर रस्सी को तब तक पकड़े रखा जब तक कि वायुयान से सामान को उसके गन्तव्य स्थान पर गिरा नहीं दिया गया।

वारन्ट अफसर चानन सिंह गिल ने सदैव साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

34. 209673 फ्लाइट सार्जेन्ट सेमुअल पूनिया जेम्स मार्टिन फ्लाइट गनर

फ्लाइट सार्जेन्ट सेमुअल पूनिया जेम्स मार्टिन अप्रैल 1967 से एक फ्लाइट गनर व लोड मास्टर के रूप में एक भारी परिवहन स्क्वाड्रन में सेवा कर रहे हैं। यद्यपि आरम्भ में वह स्क्वाड्रन में एक वायु कर्मी-दल के रूप में प्रविष्ट हुए थे परन्तु उनके दृढ़-निश्चय, पहल शक्ति व उत्सुकता ने उन्हें शीघ्र ही स्क्वाड्रन के अन्दर एक सर्वोत्तम संक्रियात्मक कर्मी बना दिया। उन्होंने कुल 2,173 घंटों की उड़ानें की हैं जिसमें 1,405 घंटे सीमावर्ती दुगम पहाड़ियों के ऊपर थीं। इस वरिष्ट गेर-कमीशन अफसर ने सदैव कठिन और संकटमय उड़ान मिशनों के लिए स्वयं को सहर्ष प्रस्तुत करते हुए भूमि पर भी अपनी सुरक्षा व आराम की परवाह किए बिना प्रत्येक कार्य के लिए सहयोग वह सहायता प्रदान की। उन्होंने सामान-भरण व गिराने की नई पद्धतियों का प्रयोग कर स्क्वाड्रन की संक्रियात्मक क्षमता की अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

फ्लाइट सार्जेन्ट सेमुअल पूनिया जेम्स मार्टिन ने सदैव साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

नागेन्द्र सिंह,
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1970

सं० वाई०-15012/70-तकनीकी—सांख्यिकी विभाग अधिसूचना संख्या 8/3/65-संस्थापन-II दिनांक 1 फरवरी 1966 के परा (कंडिका) 2 के अनुसार भारत सरकार ने

(i) निदेशक,
अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कार्यालय,
गुजरात सरकार,
अहमदाबाद।

(ii) निदेशक,
अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कार्यालय,
केरल सरकार,
त्रिवेन्द्रम्।

(iii) निदेशक,
आर्थिक, प्रज्ञा एवं सांख्यिकी,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

को 1 फरवरी 1970 से दो वर्ष के लिए समिति में सम्मिलित राज्य सांख्यिकीय कार्यालय के निदेशकों के स्थान पर मूल्य आंकड़ा एवं निर्वाह-व्यय सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य (इस विभाग की अधिसूचना संख्या 11/1/68-तकनीकी दिनांक 7 जून 1968 देखें) नियुक्त किया है।

के० पी० गीताकृष्णन्, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1970

सं० 823/70-सी० एस० II—सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी III में अस्थाई रिक्तियों को भरने के लिए सितम्बर 1970 में ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम जन-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, गृह-मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएंगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा यथानियत रिक्तियों के सम्बन्ध में आरक्षण किये जाएंगे।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अर्थ उस जाति/आदिम जाति से है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधित) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा व न गर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 और संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 के साथ पठित अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित है।

3. सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, गृह मंत्रालय द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ली जाएगी।

परीक्षा की तारीखें और स्थान सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा नियत किये जाएंगे।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी का नियमित रूप से नियुक्त किया गया कोई भी स्थायी अस्थाई अधिकारी, जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता है, इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा :—

(1) **सेवा की विधि** :—उसने निम्नलिखित में 1 जनवरी 1970 को कम-से-कम तीन वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा कर ली हो :—

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी अथवा

(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य श्रेणी में जिसके वेतनमान का 1 जुलाई, 1959 से पहले न्यूनतम और अधिकतम क्रमश: 55 रु० और 130 रु० से कम न था और 1 जुलाई, 1959 को या

उसके बाद क्रमश: और 110 रु० और 180 रु० से कम नहीं है।

टिप्पणी 1:—यदि किसी उम्मीदवार की गिनने योग्य कुल सेवा अंशत: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी में और अंशत: किसी दूसरी जगह, जैसा क्रमश: (क) और (ख) में उल्लिखित है, की गई हो तो भी तीन वर्ष की अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा की सीमा लागू होगी।

टिप्पणी 2:—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी के वे अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नि:संवर्ग पदों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों तो, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यह शर्त उस अधिकारी पर भी लागू होती है जो स्थानान्तरण पर किसी नि:संवर्ग पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है और यदि उस अधिकारी का केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी में फिलहाल कोई पूर्वाधिकार चलता आ रहा हो।

टिप्पणी 3:—अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारी का अर्थ उस अधिकारी है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के आरम्भ में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के किसी संवर्ग में आवंटित हो या उसके पश्चात् उस सेवा की अवर श्रेणी या उच्च श्रेणी में दीर्घकालीन आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित कार्य-पद्धति के अनुसार नियुक्त हो।

(2) आयु—उसकी आयु 1 जनवरी, 1970 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 1 जनवरी, 1930 से पहले नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी—40 वर्ष की आयु-सीमा केवल 1970 और 1971 में ली जाने वाली परीक्षाओं पर ही लागू होगी। उसके बाद आयु-सीमा 35 वर्ष होगी।

5. ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र पांडीचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और अक्टूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और कैन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व-टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रव-ग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक; और

(xii) किसी दूसरे से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रव-ग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणाम-स्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

ऊपर निर्धारित की गई आयु-सीमाओं में उपर्युक्त शर्तों के अलावा किसी भी मामले में ढील नहीं दी जायगी।

6. उस उम्मीदवार को, जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का नहीं है या पांडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का

निवासी नहीं है या गोवा, दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं है या कैन्या, उगाण्डा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हुआ व्यक्ति नहीं है, इस परीक्षा में तीन से अधिक बार बैठने की अनुमति नहीं दी जायगी; यह प्रतिबन्ध वर्तमान परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी :—कोई उम्मीदवार परीक्षा में बैठा हुआ तब समझा जायगा यदि वास्तव में वह एक या अधिक विषयों में परीक्षा दे।

7. परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी उम्मीदवार की पात्रता व अपात्रता के सम्बन्ध में स्कूल का निर्णय अन्तिम होगा।

8. ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जायगा यदि उसके पास स्कूल द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

9. उम्मीदवारों को स्कूल के नोटिस के अनुलग्नक एक में निर्धारित फीस देनी होगी।

10. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार की ओर से कोई प्रयास किये जाने से प्रवेश के लिए उसे अनर्ह किया जा सकेगा।

11. कोई ऐसा उम्मीदवार जो पररूप-धारण का अथवा झूठे दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को जिनमें हेर-फेर की गई हो प्रस्तुत करने का या ऐसे बयान देने का जो असत्य या झूठे हैं, या महत्वपूर्ण सूचना को दबाने या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अनियमित अथवा अनुचित तरीके अपनाने का या परीक्षा-कक्ष में अनुचित तरीके काम में लाने अथवा काम में लाने के प्रयास करने का या परीक्षा-कक्ष में दुर्व्यवहार करने का दोषी स्कूल द्वारा घोषित किया गया है या किया जाता है, तो उस पर अपराधिक मुकदमा चलाए जाने के अतिरिक्त :—

(क) उम्मीदवारों के चयन के लिए स्कूल द्वारा लिये गये किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अथवा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये रोक लगाई जा सकती है, और

(ख) उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

12. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को स्कूल द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल अंकों द्वारा प्रकट होने वाले योग्यता-क्रम के अनुसार रखा जाएगा और इसी क्रम में उतने उम्मीदवारों की, जिन्हें स्कूल परीक्षा द्वारा अर्ह समझे, परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने के लिये निश्चित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

परन्तु शर्त यह भी है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई उम्मीदवार यद्यपि स्कूल द्वारा निर्धारित स्तर पर अर्ह न हो परन्तु प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने पर ध्यान देते हुए सेवा की श्रेणी III में नियुक्ति के लिए उनके द्वारा उपयुक्त घोषित किया जाता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति, जैसा भी स्थिति हो, के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त के लिए उसकी सिफारिश की जाएगी।

टिप्पणी :—उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा की श्रेणी III में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निश्चय करने के लिए सरकार पूर्णतया सक्षम है। अतः किसी भी उम्मीदवार का इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर, एक अधिकार के तौर पर, श्रेणी III आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

13. अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणामों की सूचना का स्वरूप तथा प्रकार के बारे में स्कूल द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णय किया जाएगा और स्कूल उनके साथ परीक्षाफल के बारे में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

14. परीक्षा में सफलता, नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करती जब तक कि सरकार यथावश्यक जांच-पड़ताल के पश्चात् सन्तुष्ट न हो जाय कि वह उम्मीदवार सेवा की श्रेणी III में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

15. वह उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के पश्चात् अथवा इसमें बैठने के पश्चात् अपने पद से त्याग-पत्र दे देता है अथवा सेवा को अन्यथा छोड़ देता है अथवा उसके साथ सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है, अथवा उसके विभाग द्वारा जिसकी नौकरी समाप्त कर दी जाती है अथवा जो उम्मीदवार "स्थानान्तरण" पर किसी निःसंवर्ग पद अथवा किसी दूसरी सेवा में नियुक्त किया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उसका पूर्वाधिकार नहीं होता है, इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

किन्तु, यह उस उम्मीदवार पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट

उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिन्दी में दो श्रुतलेख दिये जाएंगे—एक 100 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट का तथा दूसरा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का—जिनका उन्हें क्रमशः 50 और 65 मिनट में लिप्यन्तरण करना होगा।

2. उन उम्मीदवारों का स्थान, जो 100 शब्द प्रति मिनट पर श्रुतलेख में न्यूनतम अर्हक स्तर पर पास होते हैं, 80 शब्द प्रति मिनट पर श्रुतलेख में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से ऊपर रखा जाएगा और प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये कुल अंकों द्वारा प्रकट परस्पर योग्यताक्रम में रखा जाएगा।

3. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि के नोटों का टाइपराईटर पर लिप्यन्तरण करना होगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपने साथ अपने-अपने टाइपराइटर लाने होंगे।

वित्त मंत्रालय

(अर्थ-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 1970

सं० एफ० 3(6)-एन० एस०/70—राष्ट्रपति ने डाकघर (सावधि जमा) नियमावली, 1968 में संशोधन करने के लिए एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियम बनाये है, अर्थात् :—

1(I) इन नियमों को डाकघर (सावधि जमा) (संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम 16 मार्च, 1970 से लागू होंगे।

2. डाकघर (सावधि जमा) नियमावली, 1968 में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"8 शोधन :

(1) किसी जमाकर्ता के खाते में जमा की गयी प्रत्येक सावधि जमा रकम ऐसी प्रत्येक जमा की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ही देय होगी।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के बावजूद (1) कोई जमा रकम जमाकर्ता द्वारा उस डाकघर में, जिसमें उसका खाता हो, आवेदन पत्र दिये जाने पर जमा की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वापस की जा सकेगी।

(3) (क) किसी जमाकर्ता के खाते में, जमा की गयी, 50 रुपये की प्रत्येक सावधि जमा रकम के लिए उप-नियम (1) के अन्तर्गत जो रकम देय होगी वह :—

(i) 16 मार्च, 1970 से पहले खोले गये खाते के सम्बन्ध में—62.50 रुपये, और

(ii) 16 मार्च, 1970 को या उसके बाद खोले गये खाते के सम्बन्ध में 63.00 रुपये होगी।

(ख) अन्य रकमों की सावधि जमा के लिए देय रकमों का हिसाब आनुपातिक आधार पर लगाया जायगा।

(4) (क) किसी जमाकर्ता के खाते में, जमा की गयी 50 रुपये की प्रत्येक सावधि जमा रकम के लिए, उपनियम, (2) के अन्तर्गत जो रकम देय होगी वह :—

(i) 16 मार्च, 1970 से पहले खोले गये खाते के सम्बन्ध में—56.55 रुपये, और—

(ii) 16 मार्च, 1970 को या उसके बाद खोले गये खाते के सम्बन्ध में—57.00 रुपया होगी।

(ख) अन्य रकमों की सावधि जमा के लिए देय रकमों का हिसाब, आनुपातिक आधार पर, लगाया जायगा।

(5) किसी सावधि जमा रकम की वापसी, फार्म (ख) में प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ साथ पास-बुक के पेश किये जाने पर ही की जायगी।

(6) वापस की गयी हर रकम पास बुक में दर्ज की जायगी उसके नीचे पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर होंगे और तारीख की मुहर होगी।"

संख्या० एफ(3)-एन० एस०/70

राष्ट्रपति ने एतद्-द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनायी है, अर्थात् :—

डाकघर (सावधि जमा) नियमावली, 1970

1. **लघु-शीर्षक और आरम्भ**—(1) इस नियमावली को, डाकघर (सावधि जमा) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(2) यह नियमावली 16 मार्च, 1970 से लागू होगी।

2. **सामान्य** :—डाकघर (सावधि जमा) योजना डाकघरों की मारफत क्रियान्वित की जायगी, और इस योजना सम्बन्धी जिन मामलों के लिये इस नियमावली में व्यवस्था नहीं की गयी है उन पर डाकघर बचत बैंक नियमावली, 1965 लागू होगी।

3. **परिभाषाएं**:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्य बात अपेक्षित न हो :—

(क) खाते का अर्थ होगा, इस नियमावली के अन्तर्गत डाकघर में सावधि जमा के अधीन जमाकर्ता द्वारा खोला गया खाता ;

(ख) 'फार्म' का अर्थ है वह फार्म, जो इस नियमावली से संलग्न हो।

(ग) किसी नाबालिग या विकृत चित्त व्यक्ति के सम्बन्ध में अभिभावक का अर्थ है :

(i) पिता अथवा माता; और

(ii) यदि माता-पिता में से कोई जीवित न हो अथवा माता-पिता में से जो भी जीवित हो, वह कारंवाई करने के योग्य न हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसे उस समय लागू कानून के अन्तर्गत नाबालिग अथवा यथास्थिति विकृत चित्त व्यक्ति की सम्पत्ति की देखरेख करने का हक हो ;

(घ) 'डाकघर' का अर्थ है, बचत बैंक का काम करने वाला भारत का कोई भी डाकघर ;

(ङ) 'सावधि जमा' का अर्थ है इस नियमावली के अधीन डाकघर में उल्लिखित अवधि के लिए की गयी जमा,

(च) वर्ष का अर्थ है, बारह कलेण्डर महीने जो उस तारीख से शुरू हों, जिस से इसकी गिनती की जाय।

4. **खातों के वर्ग**—खाते तीन वर्गों के होंगे अर्थात् 1 वर्षीय खाता, 3 वर्षीय खाता और 5 वर्षीय खाता।

5. खातों की किस्में और उनसे सम्बन्धित मामले

जो खाते खोले जा सकते हैं, उनकी किस्में, ऐसे खाते, जो व्यक्ति खोल सकते हैं, और उनमें रकम जमा करा सकते हैं या उनसे रकम निकलवा सकते है, वे व्यक्ति, तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामले वैसे ही होंगे जैसे नीचे की सारणी में तत्सम्बन्धी कालमों में उल्लिखित हैं :—

सारणी

खाते की किस्म	खाता कौन खोल सकता है	कितने खाते खोले जा सकते हैं।	कौन खाते में रकम जमा करा सकता है और उसे निकलवा सकता है ।
(1)	(2)	(3)	(4)
(1) अकेले व्यक्ति का खाता	(क) ऐसा व्यक्ति जो बालिग होने की उम्र प्राप्त कर चुका हो और जो स्वस्थ-चित्त हो (जिसे इसके बाद बालिग कहा गया है)	एक	वही बालिग : जो बालिग पढ़ा लिखा न हो, वह अपने खाते में किसी ऐसे पढ़े लिखे अभिकर्ता की मारफत रकम जमा करा सकता है और उससे रकम निकलवा सकता है जिसे वह इस काम के लिए नामजद करे।
	(ख) कोई नाबालिग	एक	वही नाबालिग
	(ग) नाबालिग की ओर से अभिभावक	हर नाबालिग की ओर से एक	उस नाबालिग की नाबालिगी के दौरान अभिभावक और उसके बाद वह भूतपूर्व नाबालिग
	(घ) विकृत चित्त व्यक्ति का अभिभावक	प्रत्येक अस्वस्थ चित्त व्यक्ति की ओर से एक	अभिभावक

टिप्पणी :—यदि कोई विकृत-चित्त व्यक्ति मानसिक रोग के किसी अस्पताल में दाखिल हो, तो उसकी ओर से, मानसिक रोग के उस अस्पताल का अधीक्षक खाता खोल सकता है और उसमें रुपया जमा करा सकता है और उससे रुपया निकलवा सकता है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
(2) संयुक्त खाता	दो बालिग; (क) संयुक्त रूप से दोनों को अथवा उत्तरजीवी को या (ख) दो में से एक को या उत्तरजीवी को देय	एक	(क) संयुक्त रूप से दोनों जमाकर्ता अथवा उत्तरजीवी (ख) दो में से एक जमाकर्ता या उत्तरजीवी ।

टिप्पणी : यदि कोई जमाकर्ता मर जाय, तो उसका खाता उस जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से उत्तरजीवी जमाकर्ता के नाम अकेले व्यक्ति का खाता समझा जायगा ।

6. **खाते खोलने के सम्बन्ध में सीमाएं** : कोई व्यक्ति अपने नाम से, या संयुक्त रूप से दूसरे व्यक्ति के साथ, एक ही वर्ग के एक-से ज्यादा खाते नहीं खोल सकेगा ।

7. **जमा** : सावधि जमा, उस जमा की तारीख से लेकर जमाकर्ता के आवेदन-पत्र के अनुसार, एक वर्ष, तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

8. **जमा का तरीका** : (1) जो व्यक्ति नियम 5 के अन्तर्गत खाता खोलने का अधिकारी हो और पहली बार सावधि जमा कराना चाहता हो, वह फार्म "क" में आवेदन करके उसे डाकघर में देगा और उसके साथ जमा की रकम देगा, जो पचास रुपये के पूर्ण सांख्यिक गुणितों में होगी । (2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने पर वह डाकघर, उस जमाकर्ता के नाम खाता खोलेगा और जमाकर्ता को पास-बुक देगा, जिसमें जमा की गयी रकम तथा उस वर्ग के खाते में उसके द्वारा बाद में जमा की जाने वाली रकमें दर्ज की जायेंगी और उसके नीचे तारीख की मुहर के साथ पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर होंगे । (3) प्रत्येक सावधि जमा, की रकम नकदी के रूप में या जमाकर्ता अथवा पोस्ट मास्टर के नाम लिखे गये रेखित चैक के रूप में जमा करायी जायगी ।

परन्तु यदि वह चैक बाहर के स्थान का हो तो उसकी वसूली का खर्च, उस दर पर देना पड़ेगा, जो डाक और तार के महानिदेशक द्वारा निर्धारित की जाय ।

9. **शोधन** :(1) प्रत्येक जमाकर्ता के खाते में की गयी सावधि जमा की रकम उस अवधि की समाप्ति के बाद ही लौटायी जा सकेगी, जिसके लिए आवेदन-पत्र दिया गया हो, अर्थात् इस प्रकार

की प्रत्येक जमा की तारीख से एक वर्ष, तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर ।

(2) सावधि जमा की रकम की वापसी पास बुक पेश किये जाने तथा उसके साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही की जायगी ।

(3) वापस की गयी प्रत्येक रकम पास बुक में दर्ज की जायगी और उसके नीचे तारीख की मुहर के साथ पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर होंगे ।

10. **नाबालिग अथवा विकृत-चित्त व्यक्ति की ओर से खोले गये खातों का शोधन :** किसी नाबालिग अथवा विकृत-चित्त व्यक्ति की ओर से खोले गये खातों की सावधि जमा की रकमें नाबालिग की नाबालिगी के दौरान अथवा विकृत-चित्त व्यक्ति के पागलपन के दौरान, उसके अभिभावक को वापस की जायेंगी ।

11. **ब्याज** :—सावधि जमा रकम पर, नीचे की सारणी में उल्लिखित दर से ब्याज दिया जायगा । ब्याज की रकम प्रतिवर्ष अदा की जायगी और उस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा; पर कर की रकम स्रोत पर ही काट ली जायगी ।

अवधि	ब्याज की वार्षिक दर
1 वर्ष	5-1/2 प्रतिशत
3 वर्ष	6-1/4 प्रतिशत
5 वर्ष	6-3/4 प्रतिशत

12. **नामजदगी**:—(1) ऐसा जमाकर्ता जो बालिग हो, फार्म "ग" में ऐसे एक व्यक्ति या एक-से अधिक व्यक्तियों को नामजद कर सकेगा, जो उसके खातों की सावधिक जमा की रकम के देय होने से पहले या उसके देय हो जाने के बाद उसके वापस किये जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर वह रकम पाने का हकदार होगा ।

(2) यदि सावधिक जमा की रकम दो या दो से अधिक नामजद व्यक्तियों को दी जानी हो और उनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो वह रकम उत्तरजीवी नामजद व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जायगी ।

(3) जो खाता किसी नाबालिग व्यक्ति या विकृत-चित्त व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से खोला जायगा, उसके सम्बन्ध में नामजदगी नहीं की जा सकेगी ।

(4) किसी जमाकर्ता ने उपनियम (1) के अन्तर्गत जो नामजदगी की हो उसे वह उस डाकघर में, जिसमें उसका खाता खुला हो, फार्म 'घ' में आवेदन-पत्र देकर और उसके साथ पास-बुक पेश करके रद्द कर सकेगा या बदल सकेगा ।

(5) हर नामजदगी और उसे रद्द करने या बदलने की कार्रवाई उस तारीख से लागू होगी जिस तारीख को यह डाकघर में पंजीबद्ध होगी और वह तारीख पास-बुक में भी दर्ज की जायगी ।

(6) यदि नामजद व्यक्ति नाबालिग हो, तो जमाकर्ता उस नामजद व्यक्ति की नाबालिगी के दौरान जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, सावधिक जमा रकम प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

13. **एक डाकघर से दूसरे डाकघर में खाते का अन्तरण** जमाकर्ता, अपने सावधि जमा खाते को, आवेदन-पत्र देकर किसी दूसरे डाकघर में निःशुल्क अन्तरित करा सकेगा ।

14. **खातों को गिरवी रखना** : (1) डाक तार के महानिदेशक द्वारा निर्धारित कार्य में अन्तरिक और अन्तरिती द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर पंजीकरण करने वाले डाकघर का पोस्ट मास्टर कोई खाता चालू रहने की अवधि में किसी भी समय उस खाते को प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखितों के नाम अन्तरित करने की अनुमति दे सकता है :—

(क) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को, उनकी सरकारी हैसियत में;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अनुसूचित-बैंक अथवा सहकारी बैंक सहित सहकारी समिति को;

(ग) किसी निगम अथवा सरकारी कम्पनी को; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को ।

बशर्ते कि किसी खाते के अन्तरण के समय, उस में एक से ज्यादा जमा रकम न हो ;

परन्तु किसी नाबालिग की ओर से खोले गये खाते को, इस उपनियम के अन्तर्गत अन्तरित करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी, जब तक उसका अभिभावक यह प्रमाणित न करे कि नाबालिग जीवित है और यह अन्तरण नाबालिग के लाभ के लिए है ।

(2) जब कोई खाता उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रतिभूति के रूप में अन्तरित कर दिया जाय, तो (1) पंजीकरण करने वाले डाकघर का पोस्टमास्टर, पास-बुक में जिस जगह जमा रकम दर्ज की गयी हो उसके नीचे और जिस पृष्ठ पर खाताधारी का नाम और पता लिखा गया हो उस पृष्ठ पर लाल स्याही से निम्नलिखित शब्द अंकित करेगा,

"........के नाम प्रतिभूति के रूप में अन्तरित ।"

(3) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित को छोड़ कर, इसके अन्तर्गत किसी खाते का अन्तरिती तब तक उस खाते का धारक समझा जायगा जब तक वह खाता उपनियम (4) के अन्तर्गत पुनरांतरित न कर दिया जाय ।

(4) उपनियम (2) के अन्तर्गत अन्तरित खाता, गिरवीदार द्वारा लिखित अनुमति दिये जाने पर, प्राधिकृत पोस्टमास्टर की पहले से प्राप्त लिखित मंजूरी से, पुनरांतरित किया जा सकेगा और जब इस प्रकार का पुनरांतरण किया जाय, तब पंजीकरण करने वाले डाकघर का पोस्टमास्टर पास बुक में उन जगहों पर निम्नलिखित शब्द अंकित करेगा, जो उपनियम (2) में सूचित की गयी हैं :—

"......................के नाम पुनरांतरित"

टिप्पणी 1—राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से उपनियम (1) के अन्तर्गत किसी खाते को प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत करने वाला या उपनियम (4) के अन्तर्गत गिरवी को छोड़ने वाला सरकार का राजपत्रित अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 299 के अन्तर्गत, भारत सरकार,————

——————————मंत्रालय ————————
राज्य सरकार की दिनांक——————————
की अधिसूचना संख्या——————————के
द्वारा भारत के राष्ट्रपति——————————
राज्य के राज्यपाल की ओर से इस प्रकार की लिखतों या विलेखों को निष्पादित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है ।

टिप्पणी 2—यथास्थिति भारतीय रिजर्व बैंक, या किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक सहित किसी सहकारी समिति या किसी निगम या सरकारी कम्पनी या किसी स्थानीय प्राधिकरण का, कोई पदाधिकारी, जो उपनियम (1) के अन्तर्गत उस संस्था की ओर से खाते को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करे और उपनियम (4) के अन्तर्गत गिरवी छोड़ दे, यह प्रमाणित करेगा कि उक्त संस्था की नियमावली के अनुसार वह उस की ओर से इस प्रकार की लिखतों या विलेखों को निष्पादित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है और इसके नीचे वह अपने हस्ताक्षर करेगा, तारीख डालेगा और अपने पद की मुहर लगायेगा ।

15. **सावधि जमा खाते को बन्द करने का अधिकार** : यदि यह मालूम हो कि कोई सावधि जमा खाता इस नियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करके खोला गया है, तो प्रधान पोस्टमास्टर, किसी भी समय उस खाते को बन्द करा सकेगा और उसमें जमा रकमों को बिना व्याज के वापस करा सकेगा ।

फार्म 'क'

(नियम 8 का उपनियम (1) देखिए)

भारतीय डाक-तार विभाग सावधि जमा खाता खोलने का आवेदन-पत्र

(एक वर्ष, तीन वर्षों या पांच वर्षों का खाता)

सेवा में,

पोस्टमास्टर ——————————
मैं/हम——————————के
नाम/नामों में जो——————————
——————का पुत्र/की पुत्री /की पत्नी है और जिसका/
जिनका पता——————————
——————है——————————वर्षों के
लिए सावधि जमा खाता खोलने के लिए इसके साथ केवल ——
——————रुपये ——————————
(शब्दों में) प्रस्तुत करता हूं/करते हैं ।

यदि खाता नाबालिग की ओर से खोला जाना हो तो (नाबालिग की जन्म तिथि———)
(बालिग होने की तारीख———)

अभिभावक ——————————

(यदि लागू न हो तो काट दीजिए । से सम्बन्ध

मैं/हम एतद्द्वारा, डाकघर (सावधि जमा) नियमावली 1970 और उसमें समय समय पर किये जाने वाले संशोधनों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे का/अंगूठों के निशान

दिनांक ——————————

फार्म 'ख'

(नियम 9 का उपनियम (2) देखिये,

वापसी के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

पोस्टमास्टर ——————————
खाता संख्या ——————————

मैं एतद्द्वारा ——————————रुपये की सावधि जमा की रकम की वापसी के लिए आवेदन करता हूं जो उपर्युक्त खाते में, ——————————तारीख को जमा कराया गया था ।

वाहक का ब्यौरा

वाहक का नाम
वाहक के हस्ताक्षर
——————————

——————————
पहचानने वाले के हस्ताक्षर
(यदि आवश्यक हो)

——————————
जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

दिनांक—————— दिनांक——————

नोट :—जमाकर्ता का ध्यान पास-बुक की जिल्द पर लिखी हुई हिदायतों की ओर दिलाया जाता है ।

सावधानी

अदायगी की रसीद पर, वास्तविक रूप से अदायगी किये जाने के समय, हस्ताक्षर किये जायेंगे । यदि जमाकर्ता द्वारा इस हिदायत की अवहेलना किये जाने के परिणामस्वरूप, उसे कोई हानि हो तो उसके लिए डाकघर पर कोई जिम्मेदारी नहीं आयेगी ।

पृष्ठ-भाग

शोधन की तारीख——————

अदायगी का अधिपत्र

खाता संख्या ——————
(शब्दों में)——————————रुपये
(आंकड़ों में)——————रुपये की अदायगी के लिए पास किया गया ।

डाकघर
तारीख——————————मुहर पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

अदायगी की रसीद

(शब्दों में)........................रुपये

(आंकड़ों में)............ रुपये का भुगतान प्राप्त किया।

(पहचानने वाले के हस्ताक्षर) (यदि आवश्यक हो)	जमाकर्ता/वाहक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
दिनांक.................	दिनांक.................

फार्म "ग"

[नियम 12 का उपनियम (1) देखिये]

मैं.............................. एतद्द्वारा नीचे लिखे व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करता हूं, जिसे/जिन्हें, अन्य सब व्यक्तियों को छोड़ कर, मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, मेरे सावधि जमा खाता संख्या........................... में जमा रकम अदा कर दी जाय।

....

क्रम संख्या	नामजद व्यक्ति का नाम	पूरा पता	यदि नामजद व्यक्ति नाबालिग हो तो उसकी जन्मतिथि
(1)	(2)	(3)	(4)

चूंकि क्रमसंख्या .... में दर्ज नामजद व्यक्ति नाबालिग हैं, इसलिए मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.......... (पूरा पता)...................को, नामजद व्यक्ति/व्यक्तियों की नाबालिगी के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में वाजिब रकम वसूल करने के लिए नियुक्त करता हूं।

गवाह के हस्ताक्षर और उसका पूरा पता	जमाकर्ता के हस्ताक्षर
(1)	(2)

प्रधान पोस्टमास्टर का आदेश

यह सावधि जमा खाता संख्या............ के अन्तर्गत ....तारीख को.................... रुपये के लिए खोला गया है और नामजदगी पंजीबद्ध कर दी गयी है।

तारीख मुहर

प्रधान पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

फार्म "घ"

[(नियम 12 का उप-नियम (4) देखिए)]

भारतीय डाक-तार विभाग

क्रम संख्या..................

डाकघर (सावधि जमा) नियमावली, 1970 के अन्तर्गत, सावधि जमा खाता संख्या.......... के सम्बन्ध में पहले की गयी नामजदगी को रद्द करने या बदलने के लिए आवेदन-पत्र।

(यदि खाता किसी उप-बचत बैंक या शाखा बचत बैंक की किताबों में दर्ज हो, तो आवेदन-पत्र उप-बचत बैंक या शाखा बचत बैंक की मारफत भेजा जाना चाहिए।)

सेवा में

प्रधान पोस्टमास्टर

(...............की मारफत)

मैं, ...सावधि जमा खाता संख्या.................से सम्बन्धित जमाकर्ता, सावधि जमा खाता संख्या............के सम्बन्ध में अपने द्वारा की गयी नामजदगी को एतद्द्वारा रद्द करता हूं।

*रद्द नामजदगी के स्थान पर, मैं एतद्द्वारा नीचे लिखे व्यक्तियों की नामजदगी करता हूं, जो, अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़ते हुए, मेरी मृत्यु के बाद उपर्युक्त खाते की देय रकम पाने के अधिकारी होंगे। पास-बुक संलग्न है।

क्रम संख्या	नामजद व्यक्ति का नाम	पूरा पता	यदि नामजद व्यक्ति नाबालिग हो तो उसकी जन्म तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)

*यदि नामजदगी को बदलना हो, तो इसे भरा जाय।

चूंकि क्रम-संख्या..........पर नामजद किया गया/किये गये व्यक्ति नाबालिग है/हैं, इसलिए मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...... ....(नाम और पूरा पता) को, नामजद व्यक्ति/व्यक्तियों की नाबालिगी के दौरान, मेरी मृत्यु हो जाने

की स्थिति में, सावधि जमा खाते की देय रकम वसूल करने के लिए नियुक्त करता हूं ।

भवदीय

पता : जमाकर्ता के हस्ताक्षर

(यदि जमाकर्ता अनपढ़ हो, तो पिता का नाम लिखें) (अगर जमाकर्ता अनपढ़ हो, तो अंगूठे का निशान)

गवाह :

नाम :

पता : (1)

नाम :

पता : (2)

टिप्पणी : यदि जमाकर्ता अनपढ़ हों तो गवाह ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके हस्ताक्षर डाकघर पहचानता हो ।

डाकघर की तारीख मुहर प्रधान पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

सं० एफ० 3(8) एन० एस०/70—राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनायी है; अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक और आरम्भ** :—

(1) इस नियमावली को डाकघर (आवर्तक जमा) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) यह नियमावली पहली अप्रैल, 1970 से लागू होगी ।

2. **सामान्य** : डाकघर (आवर्तक जमा) योजना डाकघर बचत बैंक की मारफत क्रियान्वित की जायगी और इस योजना सम्बन्धी जिन मामलों के लिए इस नियमावली में व्यवस्था नहीं की गयी है उन पर डाकघर बचत बैंक नियमावली, 1965 लागू होगी ।

3. **वे व्यक्ति जो खाता खोल सकते हैं** :—(1) डाक घर (आवर्तक जमा) खाता जिसे इस के बाद सिर्फ खाता कहा जायेगा निम्नलिखित व्यक्ति खोल सकते हैं :—

(क) अकेला बालिग; या

(ख) संयुक्त रूप से दो बालिग; रकम संयुक्त रूप से दोनों व्यक्तियों को या दो में से किसी एक को देय; या

(ग) नाबालिग या पागल व्यक्ति की ओर से उसका अभिभावक; या

(घ) नाबालिग अपने नाम में ।

(2) जमाकर्ता अपने नाम में या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक से अधिक खाते खोल सकता है ।

4. **जमा की अवधी** : खाता एक किस्म का अर्थात् 5-वर्षीय ही खोला जायगा और खाते की अवधि खाते में पहली रकम जमा कराने की तारीख से शुरू होगी ।

5. **जमा रकम** : जमा करायी जाने वाली रकम 5 रुपया या उसके किसी गुणि में होगी, पर खाता खोलते समय जो रकम जमा करायी जाय उसमें खाते की अवधि के दौरान परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

6. **रकम जमा कराने का तरीका** : (1) रकम हर कैलेण्डर मास में केवल एक बार जमा करायी जा सकेगी । यदि कोई जमा नहीं करायी जायगी तो खाते की परिपक्वता की तारीख उतने ही महीनो के लिये आगे बढ़ा दी जायगी जितने महीनों तक रकम जमा नहीं करायी जायगी, पर रकम जमा कराने में चूक पांच बार से अधिक बार नहीं होनी चाहिये । अगर चूक पांच बार से अधिक बार होगी, तो खाता बन्द कर दिया माना जायगा ।

(2) (क) जमाकर्ता जमा न करायी गयी किस्तें एक-मुश्त जमा करा सकता है या वह जमा न करायी गयी उतनी किस्तें एक-मुश्त जमा करा सकता है जितनी किस्तें जमा कराने से चूकों की संख्या उतनी रह जाय जितनी उप-नियम (1) के अनुसार रह सकती है और इस प्रकार जमा करायी जाने वाली रकम पर निम्नलिखित दर पर ब्याज लगेगा :—

(i) 5 रुपये महीने वाले खाते के संबंध में चूक के हर महीने के लिये 2 पैसे, और

(ii) 10 रुपये महीने वाले खाते के संबंध मे चूक के हर महीने के लिये 5 पैसे और इसके अलावा 10 रुपये से कम रकम के लिये 2 पैसे ।

(ख) जमा न करायी गयी जो किस्तें, इस उप-नियम के अधीन ब्याज समेत जमा करा दी जायेंगी, उनके कारण उप-नियम (1) के अन्तर्गत खाते की परिपक्वता की तारीख नहीं बढ़ायी जायगी और न उन्हें पूर्वोक्त उपनियम के अनुसार दूसरे प्रयोजनों के लिये चूक ही माना जायगा ।

(3) उपनियम (1) लिखी गयी किसी भी बात के बावजूद जमाकर्ता अपनी मर्जी से रकम अग्रिम रूप से भी जमा करा सकता है । अग्रिम के रूप में जमा करायी गयी रकम पर निम्नलिखित दर पर छूट मिल सकेगी, अर्थात् :—

(i) अगर 5 रुपये वाले खाते की 12 महीने की रकम इकट्ठी जमा करा दी जायगी तो उस पर 1.40 रुपये की छूट मिल सकेगी ।

(ii) अगर 5 रुपये वाले खाते की 6 महीने की रकम इकट्ठी जमा करा दी जायगी तो उस पर 35 पैसे की छूट मिल सकेगी ।

अन्य रकमों वाले खातों के संबंध में, 12 महीने या 6 महीने के लिये इकट्ठी जमा करायी गयी रकम पर मिलने वाली छूट का अनुपात मासिक जमा रकमों की उपर्युक्त प्रत्येक संख्या के सामने ऊपर उल्लिखित छूट के साथ वही होगा जो अन्य रकम का 5 से हो ।

टिप्पणी :—चैक, पे आर्डर या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी गयी रकम पास बुक में तभी दर्ज की जायगी जब उसकी रकम प्राप्त हो जायगी ; परन्तु चैक, पे आर्डर या डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो भी हो, उसके पेश किये जाने के दिन से ही रकम जमा मानी जायगी ।

7. **जमा की सीमा** : नियम 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, चाहे जितने खातों में, प्रतिमास चाहे जितनी रकम जमा करा सकता है।

8. **नाबालिग के बालिग हो जाने पर प्रक्रिया** : नाबालिग, जिसके नाम में खाता खोला गया हो, बालिग हो जाने पर —

(क) खाते को उसकी अवधि पूरी होने तक जारी रख सकता है :

पर उसे निम्नलिखित घोषणा करनी होगी :—

"मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने डाकघर (आवर्तक जमा) नियमावली 1970 पढ़ ली है / मुझे पढ़कर सुना दी गयी है और मैं इस नियमावली को, और समय-समय पर इसमें किये जाने वाले संशोधनों को, अपने ऊपर बाध्यकारी मानता हूं।

(ख) अगर वह अपना खाता जारी न रखना चाहे तो नियम 9 के अन्तर्गत आनुपातिक रकम ले सकता है।

9. **वापस की जाने वाली रकम** : 5 रुपये वाले खाते के सम्बन्ध में पांच वर्ष के बाद, ब्याज सहित 350 रुपये की रकम अदा की जायगी। 5 रुपये के गुनितों वाले खातों पर आनुपातिक रकम अदा की जायगी। अगर कोई खाता पूरी अवधि से पहले ही समाप्त कर दिया जायगा तो उसपर उस अवधि के बाद उतनी आनुपातिक रकम दी जायगी जो इस सम्बन्ध में अधिसूचित की जाय।

10. **पास-बुक** : हर खाते के लिए जमाकर्ता को एक पास-बुक दी जायगी, जो हर बार, रकम जमा कराते समय या रकम निकलवाते समय अथवा खाते की अवधि समाप्त होने पर या खाता बन्द करते समय पेश की जायगी।

11. **जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर** : एक व्यक्ति वाले खाते के सम्बन्ध में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या संयुक्त खाते के सम्बन्ध में उत्तरजीवी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जमाकर्ता या उत्तरजीवी व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी :—

(क) खाते को उसकी अवधि पूरी होने तक जारी रख सकता है, या

(ख) खाता बन्द कर सकता है और उसकी अवधि पूरी होने पर नियम 9 के अन्तर्गत आनुपातिक रकम ले सकता है, या

(ग) इस सम्बन्ध में अधिसूचित की जाने वाली आनुपातिक रकम ले सकता है।

(2) संयुक्त खाते के किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी जमाकर्ता उस खाते का एकमात्र मालिक माना जायगा।

12. **निकासी** : (1) खाता चालू होने के एक वर्ष के बाद, खाते में जमा रकम की अधिक से अधिक 50 प्रतिशत रकम निकाली जा सकती है बशर्ते कि वह खाता नियम 6 के अधीन बीच में बन्द न किया गया हो।

(2) (क) निकाली गयी रकम, खाते की अवधि के दौरान, ब्याज समेत एकमुश्त या 5 रुपये की या उसके गुणितों के बराबर की, अधिक से अधिक 20 मासिक किस्तों में जमा करायी जा सकती है पर शर्त यह है कि किस्तों की संख्या खाते की परिपक्वता की अवधि के बाकी महीनों की संख्या से अधिक न हो।

(ख) अगर कोई जमाकर्ता, ऊपर बताये गये अनुसार, वापस अदायगी किस्तों में करेगा, तो ऐसी अदायगी की अवधि में खाते में प्रतिमास जमा करायी जाने वाली रकम, मूल रकम और वापस की जाने वाली किस्त के जोड़ के बराबर मानी जायगी।

(ग) अगर खाते में से निकाली गयी रकम वापस नहीं की जायगी तो यह रकम खाते की परिपक्वता की अवधि तक के ब्याज सहित, उस रकम में से काट ली जायगी जो खाते के बन्द किये जाने के समय देय होगी।

(3) उप-नियम (2) के सम्बन्ध में :—

(क) अगर वापस अदायगी एक-मुश्त की जायगी तो उस पर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जायगा। रकम चाहे किसी भी तारीख को निकलवाई गयी हो या वापस की गयी हो, ब्याज पूरे महीनों का लिया जायगा।

लेकिन अगर निकाली गयी रकम महीने की छठी तारीख या उससे पहले वापस कर दी जायगी तो उस पर उस महीने के लिए ब्याज नहीं लिया जायगा, या

(ख) अगर वापसी किस्तों में की जायगी तो उस पर $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया जायगा। ब्याज का हिसाब वापसी की अवधि के अन्त में किया जायगा। ब्याज, जिस महीने में रकम निकाली गयी हो उसके बाद के हर महीने के अन्त में जो रकम बकाया होगी उस पर लिया जायगा। ब्याज, वापसी की अन्तिम किस्त के साथ या उसके अगले महीने में एक-मुश्त वसूल किया जायेगा।

13. **खातों का अन्तरण**: जमाकर्ता, अगर चाहे तो अपना खाता, बिना किसी फीस के, बचत बैंक का काम करने वाले किसी दूसरे डाकघर में आवेदन-पत्र देकर अन्तरित करा सकता है।

14. **खाता बन्द करने का अधिकार** : यह पता चल जाने पर कि खाता इन नियमों का उल्लंघन करके खोला गया है, उस डाकघर का प्रधान पोस्टमास्टर, जिसमें खाता खोला गया है, उस खाते को, किसी समय भी बन्द करा सकता है और खाते की रकम बिना ब्याज के वापस कर सकता है।

सं० एफ० 3(9)-एन० एस०/70—राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा, डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) नियमावली, 1959 में, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) की अधिसूचना संख्या एफ० 3(40)-एन० एस०/58, दिनांक 19 दिसम्बर, 1958 के साथ प्रकाशित की गयी थी, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) संशोधन नियमावली, 1970 कहा जायगा।

(2) ये नियम पहली अप्रैल, 1970 से लागू होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) नियमावली, 1959 में,

(क) नियम 8-ख के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जायगा, अर्थात् :—

"8-ग—पहली अप्रैल, 1970 को या उसके बाद खोले गये खातों के सम्बन्ध में वापस की जाने वाली रकमें :—

किसी 5-वर्षीय खाते, 10-वर्षीय खाते और 15-वर्षीय खाते की अवधि समाप्त होने पर, जमा की जाने वाली हर रकम के लिए, ब्याज सहित जो रकमें देय होंगी, वे वही होंगी जो इन नियमो से संलग्न सारणी 1 "च" में उल्लिखित है। यदि पूरी अवधि की समाप्ति से पहले खाते बंद कर दिये जायं, तो उस अवधि की समाप्ति पर वे ही आनुपातिक रकमें देय होंगी जो सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जायं"।

(ख) सारणी 1 घ के बाद, निम्नलिखित सारणी जोड़ी जायगी, अर्थात् :—

सारणी 1 ङ

(नियम 8 ग देखिये)

जमा की जाने वाली रकम	मीयाद पूरी हो जाने पर मूल्य		
	5-वर्षीय खाता	10-वर्षीय खाता	15-वर्षीय खाता
	रु०	रु०	रु०
5	337.50	765	1,327.50
10	675	1,530	2,655
20	1,350	3,060	5,310
50	3,375	7,650	13,275
100	6,750	15,300	26,550
200	13,500	30,600	53,100
500	33,750	76,500	1,32,750

नियम 5 में उल्लिखित अन्य रकमों वाले खातों के सम्बन्ध में परिपक्वता मूल्य ऊपर निर्धारित परिपक्वता मूल्यों के अनुपात में होगा।

ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव

विदेशी व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 1970

संकल्प

खनिज अयस्क निर्यात सलाहकार समिति

सं० 15/41/63-एम० एण्ड एफ०—भारत सरकार के संकल्प सं० 15/41/63-एम० एण्ड एफ० दिनांक 27 अगस्त 1963 का, जो कि सम-संख्यक संकल्प दिनांक 14 अक्तूबर, 1968 द्वारा पहले संशोधित किया गया था, अग्रेतर संशोधन करते हुए भारत सरकार ने सदस्यों की सूची में निम्नलिखित जोड़ने का निश्चय किया है :—

"28" गुजरात मिनरल इण्डस्ट्री एसोसियेशन,
अहमदाबाद—सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक 6 अप्रैल 1970

संकल्प

सं० 1/52/67-एम० एंड एफ०—निर्यात संवर्धन करने, विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाने और सुदृढ़ आधार पर अभ्रक उद्योग के विकास की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार ने अभ्रक सलाहकार समिति नामक एक समिति स्थापित करने का विनिश्चय किया है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री सी० एन० मोडावल, — अध्यक्ष
   निदेशक, गुण नियंत्रण,
   विदेशी व्यापार मंत्रालय,
   नई दिल्ली।
2. खान तथा धातु विभाग का प्रतिनिधि।
3. खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधि।
4. श्री एस० बी० राय,
   उप-निदेशक,
   केन्द्रीय कांच गवेषणा संस्थान,
   यादवपुर विश्वविद्यालय,
   कलकत्ता।
5. श्री आर० जी० अग्रवाल,
   पो० आ० डोमचांच हजारी बाग,
   बिहार।
6. श्री एम० आर० रेड्डी,
   पो० आ० गुड्डूर जिला,
   नेल्लोर, आंध्र प्रदेश।
7. श्री एस० एस० मानसिंहका,
   पूसा निवास, राजस्थान,
   भीलवाड़ा।
8. श्री ओम पी० वधवा,
   मेटोर्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमि०,
   कलकत्ता।
9. श्री कोटा रेड्डी,
   पो० आ० गुड्डूर जिला,
   नेल्लोर, आंध्र प्रदेश।
10. श्री सी० एम० राजगढ़िया,
    गिरीडिह,
    बिहार।
11. श्री एम० आर० सेनगुप्ता,
    सचिव,
    बिहार अभ्रक निर्यातक संघ।
12. श्री आर० एन० मुखर्जी — सचिव

2. अभ्रक सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय निम्नोक्त होंगे :—

(1) अभ्रक उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करना और अभ्रक तथा अभ्रक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना;

(2) बाजार सर्वेक्षण तथा उत्पाद विकास कार्यक्रम तैयार करना; और

(3) अभ्रक के खनन का सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

3. समिति लगभग दो महीने की अवधि में अपना प्रतिवेदन दे देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इसे सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० के० मुखर्जी, उप-सचिव

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1970

सं० को-6-2(1)/69-कोयला-7—यह निश्चय किया गया है कि इसी समय से भूतपूर्व इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय, खान तथा धातु विभाग की अधिसूचना संख्या को-6-2(10)/68, दिनांक 11 दिसम्बर, 1968 द्वारा गठित खनन इंजीनियरिंग शिक्षा तथा प्रशिक्षण विषयक संयुक्त बोर्ड का सदस्य-सचिव खान तथा धातु विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय के निदेशक के स्थान पर उप-सचिव होगा।

उपरोक्त अधिसूचना को निम्न प्रकार से संशोधित करने का भी निश्चय किया गया है।

1. **अध्यक्ष**

"सचिव, खान तथा धातु विभाग, इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय" **के स्थान पर**
"सचिव, खान तथा धातु विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय" **पढ़ें**

2. **सदस्य**

"1-कोयला खनन सलाहकार, खान तथा धातु विभाग, इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय" **के स्थान पर**
"1-कोयला खनन सलाहकार, खान तथा धातु विभाग, पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय" **पढ़ें**
"2-शिक्षा मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि" **के स्थान पर**
"2-शिक्षा मन्त्रालय तथा युवक सेवाएं" **पढ़ें**

एम० एम० के० रामस्वामी, उप-सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग—भा०कृ०अनु०परि०)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1970

सं० 30(1) 70-समन्वय-1/भा० कृ० अनु० परि०—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 35, 9 और 10 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 34(V) के अनुसार परिषद् के अध्यक्ष (खाद्य तथा कृषि मंत्री) ने डा० जी० एम० ढिल्लन, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, के स्थान पर श्री एम० बी० पाटिल, सदस्य लोक सभा, बिलगी, जिला बीजापुर, को 18 मार्च, 1970 से 12 जून 1970 तक की अवधि, अथवा जब तक वे सोसाइटी के सदस्य बने रहें, जो भी अवधि पहले समाप्त हो, के लिए परिषद् की शासी निकाय का सदस्य चुना है।

एम० आर० कोल्हटकर, उप-सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 1970

संकल्प

सं० एफ० 5-11/68 टी०-6—यतः प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम 1961 (1961 का 59) के खंड 9 के उप-खंड 2 में प्रौद्योगिक संस्थान के कार्य और प्रगति की पुनरीक्षण समिति द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था है।

अब इसलिए उक्त खण्ड-9 के उप-खण्ड 2 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संस्थान के विजीटर की हैसियत से भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, कानपुर के कार्यों के पुनरीक्षण के लिए एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है। जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है :

गठन

अध्यक्ष

1. डा० एस० भगवन्तम,
17, तीनमूर्ति मार्ग,
नई दिल्ली।

सदस्य

2. डा० जगदीश लाल
प्रधानाचार्य,
मोती लाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज,
इलाहाबाद।

3. डा० बी० रंगानाथन
मुख्य (विज्ञान)
आयोजना आयोग,
नई दिल्ली।

4. श्री जी० एम० मोदी,
मोदी इन्टर प्राइजिज,
मोदीनगर, उत्तर प्रदेश।

5. श्री आर० नरासिम्हम,
कम्प्यूटर विज्ञान विभाग के अध्यक्ष,
टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फण्डामेन्टल रिसर्च,
बम्बई-5।

सचिव

6. श्री एस० सदाशिवम्,
सहायक शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय,
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
कानपुर।

विचारार्थ विषय

(क) प्राद्योगिक संस्थान की विस्तृत उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में संस्थान की वर्तमान प्रगति का पुनरीक्षण;

(ख) यह जांच करना संस्थान के कहां तक विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रमों के संदर्भ में तथा अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संकाय में अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ **परस्पर संपर्क बनाया है।**

(ग) देश में प्राद्योगिक विकास में उच्च श्रेणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर संस्थान के सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करना;

(घ) अनुसंधान और उच्च अध्ययन जिन पर संस्थान का आगे विकास किया जाना है उन उपायों की सिफारिश इस बात को ध्यान में रखते हुए करना कि उसे प्राद्योगिक के अन्य संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने अपना लिया है अथवा प्रायोजित किया गया है; और

(ङ) संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों से संबंधित पहलुओं के किसी अन्य पहलू पर रिपोर्ट देना।

2. समिति अप्रैल 1970 से संस्थान में कार्य करना प्रारम्भ करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति **निम्नलिखित** को अग्रसारित की जाय :

1. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
3. रजिस्ट्रार, भारतीय प्राद्योगिक संस्थान, कानपुर
4. समिति के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव
5. भारत सरकार के सभी मंत्रालय
6. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, तथा संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

सं० एफ० 5-11/68 टी०-6—यत: प्राद्योगिक संस्थान अधिनियम 1961 (1961-59) के खण्ड 9 के उप-खण्ड 2 में प्राद्योगिक संस्थान के कार्य और प्रगति की पुनरीक्षण समिति द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था है।

अब इसलिए उक्त **खण्ड** 9 के उप-**खण्ड** 2 में **प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संस्थान के** विजीटर **की हैसियत से भारतीय प्राद्योगिक संस्थान बम्बई के कार्यों के पुनरीक्षण के लिए** एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है। जिसका गठन और विचारार्थ **विषय निम्न** प्रकार से हैं :—

गठन

अध्यक्ष

1. डा० एच० एन० सेथना,
निदेशक,
भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र,
ट्रोम्बे, बम्बई-85।

सदस्य

2. डा० प्राणलाल पटेल,
प्रबन्ध निदेशक,
भालेवल आयरन एण्ड स्टील कास्टिंग कं० प्रा० लि०,
तुलसी पाइप रोड, लोअर पारेल,
बम्बई-13।

3. डा० टी० के० राय,
प्रबन्ध निदेशक,
केमिकल एण्ड मेटलर्जिकल डिज़ाइन कं० प्रा० लि०,
ए-60 कैलाश,
नई दिल्ली-48।

4. डा० जगन चावला,
प्रबन्ध निदेशक,
चावला डिजायन एण्ड कन्सलटैन्सी सर्विस प्रा० लि०,
2 राजदूत मार्ग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली-11।

5. प्रो० वाई० फड़के,
इलैक्ट्रोनिक्स के प्राध्यापक,
टाटा इन्सटीट्यूट आफ फण्डामेन्टल रिसर्च,
बम्बई-5।

6. श्री के० एन० सुन्दरम
उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी),
पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय,
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
बम्बई-1।

विचारार्थ विषय

(क) प्राद्योगिक संस्थान के कार्यों का उच्च अध्ययन केन्द्रीय रूप में तथा विज्ञान इंजीनियरिंग और प्राद्योगिकी में अनुसंधान के विस्तृत उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में संस्थान की वर्तमान प्रगति का पुनरीक्षण।

(ख) यह जांच करना कि संस्थान ने कहां तक विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रमों के संदर्भ में तथा अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संकाय में अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ परस्पर सम्पर्क बनाया है।

(ग) देश में प्राद्योगिक विकास में उच्च श्रेणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर संस्थान के सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करना।

(ध) अनुसन्धान और उच्च अध्ययन जिन पर संस्थान का आगे विकास किया जाना हैं। उन उपायों की सिफा-

रिश, इस बात का ध्यान रखते हुए करना कि उसे प्राद्योगिक के अन्य संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर ने अपना लिया है अथवा प्रायोजित किया गया है, और

(ङ) संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित पहलुओं के किसी अन्य पहलू पर रिपोर्ट देना।

2. समिति अप्रैल 1970 से संस्थान में कार्य करना प्रारम्भ करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित अग्रसारित की जाए :—

1. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र
2. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, बम्बई
3. रजिस्ट्रार, भारतीय प्राद्योगिक संस्थान, पुवाई, बम्बई-26
4. समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव
5. भारत सरकार के सभी मंत्रालय
6. अध्यक्ष विद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जायं।

सं० एफ० 5–11/69 टी०-6—यत: प्राद्योगिक संस्थान अधिनियम 1961 (1961 का 59) के खण्ड 9 के उपखण्ड 2 में प्राद्योगिक संस्थानों के कार्य और प्रगति की पुनरीक्षण समिति द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था है।

अब इसलिए उक्त खण्ड 9 के उपखण्ड 2 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संस्थान के विजीटर की हैसियत से भारतीय प्राद्योगिक संस्थान, दिल्ली के कार्यों के पुनरीक्षण के लिए एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है। जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से है :—

गठन

अध्यक्ष

1. श्री एम० आर० चोपड़ा,
कुलपति,
रूड़की विश्वविद्यालय, रूड़की।

सदस्य

2. श्री ए० के० घोष,
सदस्य,
केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग,
नई दिल्ली।

3. डा० पी० एस० गिल,
निदेशक,
केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन,
चण्डीगढ़।

4. डा० ए० के० कमल,
विद्युत् संचार इंजीनियरिंग के प्राध्यापक,
रूड़की विश्वविद्यालय,
रूड़की।

5. श्री एन० बालासुन्दरम्,
प्रबन्ध निदेशक,
ईस्टर्न इलैक्ट्रोनिक्स लि०,
फरीदाबाद।

सचिव

6. श्री डी० वी० नरसिम्हन्,
उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी),
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
नई दिल्ली।

विचारार्थ विषय :—

(क) प्राद्योगिक संस्थान के कार्यों का उच्च अध्ययन केन्द्रीय रूप में तथा विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के विस्तृत उद्देश्यों को प्रतिपूर्ति में संस्थान की वर्तमान प्रगति का पुनरीक्षण।

(ख) यह जांच करना कि संस्थान ने कहां तक विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रमों के संदर्भ में तथा अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संकाय में अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ परस्पर सम्पर्क बनाया है।

(ग) देश में प्रौद्योगिक विकास में उच्च श्रेणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर संस्थान के सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करना।

(घ) अनुसन्धान और उच्च अध्ययन जिन पर संस्थान का आगे विकास किया जाना हैं। उन उपायों की सिफारिशें इस बात को ध्यान में रखते हुए करना कि उसे प्रौद्योगिक के अन्य संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने अपना लिया है अथवा प्रायोजित किया गया है, और

(ङ) संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित पहलुओं के किसी अन्य पहलू पर रिपोर्ट देना।

2. समिति अप्रैल 1970 संस्थान में कार्य करना प्रारम्भ करेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित की जाए।

1. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र।
2. मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
3. रजिस्ट्रार, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, नई दिल्ली।
4. समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव।
5. भारत सरकार के सभी मंत्रालय।
6. अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली। तथा संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जायं।

सं० एफ० 5-11/68 टी०-6—यत: प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम 1961 (1961 क59) के खण्ड 9 के उप-खण्ड 2 में

प्रौद्योगिक संस्थान के कार्य और प्रगति की पुनरीक्षण समिति द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था है।

अब इसलिए उक्त खण्ड 9 के उप-खण्ड 2 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संस्थान के विजीटर की हैसियत से भारतीय प्राद्योगिक संस्थान, मद्रास के कार्यों के पुनरीक्षण के लिए एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है। जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है।

गठन

अध्यक्ष

1. डा० पी० एल० भटनागर,
कुलपति,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

सदस्य

2. डा० जी० एस० लाधा,
निदेशक,
ए० सी० कालेज आफ टेक्नोलॉजी,
गुण्डी, मद्रास-25।

3. श्री जी० आर० दामोदरन,
प्रधानाचार्य,
पी० एस० जी० कालेज आफ टेक्नोलॉजी,
कोयम्बतूर।

4. प्रो० जी० एस० रामस्वामी,
निदेशक,
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर,
रूड़की।

5. श्री एम० बी० अरुनाचलम,
तमिल हाउस,
11/12 नार्थ बीच रोड, मद्रास।

सचिव

6. श्री एम० एस० श्रीनिवासन,
सहायक शिक्षा सलाहकार (तकनीकी),
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय,
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
मद्रास।

विचारार्थ विषय :—

(क) प्राद्योगिक संस्थान के कार्यों का उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में तथा विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्राद्योगिकी में अनुसंधान के विस्तृत उद्देश्यों की प्रति पूर्ति में संस्थान की वर्तमान प्रगति का पुनरीक्षण।

(ख) यह जांच करना संस्थान के कहां तक विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रमों के संदर्भ में तथा अनुसंधान कार्यक्रमों और विकास संकाय में अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ परस्पर संपर्क बनाया है।

(ग) देश में प्राद्योगिक विकास में उच्च श्रेणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर संस्थान के सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करना।

(घ) अनुसंधान और उच्च अध्ययन जिन पर संस्थान का आगे विकास किया जाता है, उन उपायों की सिफारिश इस बात को ध्यान में रखते हुए करना कि उसे प्राद्योगिक के अन्य संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर ने अपना लिया है अथवा प्रायोजित किया गया है, और

(ङ) संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों से संबंधित पहलुओं के किसी अन्य पहलू पर रिपोर्ट देना।

2. समिति अप्रैल 1970 से संस्थान में कार्य करना प्रारम्भ करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित की जाय :

1. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र।
2. मुख्य सचिव, तमिलनाडु शासन, मद्रास।
3. रजिस्ट्रार, भारतीय प्राद्योगिक संस्थान, मद्रास।
4. समिति के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव।
5. भारत सरकार के सभी मंत्रालय।
6. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, तथा संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

सं० एफ० 5-11/68 टी०-6—यत: प्राद्योगिक संस्थान अधिनियम 1961 (1961 का 59) के खण्ड 9 के उप-खण्ड 2 में प्राद्योगिक संस्थान के कार्य और प्रगति की पुनरीक्षण समिति द्वारा पुनरीक्षण की व्यवस्था है।

अब इसलिए उक्त खण्ड 9 के उप-खण्ड 2 में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संस्थान के विजीटर की हैसियत से भारतीय प्राद्योगिक संस्थान, खड़गपुर के कार्यों के पुनरीक्षण के लिए एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की है। जिसका गठन और विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं।

गठन

अध्यक्ष

1. श्री जी० पाण्डे,
7 पार्क लेन, लखनऊ।

सदस्य

2. डा० एम० एन० दस्तूर,
एम० एन० दस्तूर एण्ड कं० प्राइवेट लि०,
कन्सलटिंग इंजीनियरस,
पी०-17, मिशन रो एक्सटेन्शन,
कलकत्ता-13।

3. प्रो० एस० वी० सी० अैया,
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्,
नई दिल्ली।

4. प्रो० डी० बैनर्जी,
प्रधानाचार्य,
बंगाल इंजीनियरिंग कालेज,
सिबपुर, हावड़ा।

5. डा० ए० के० बोस,
15/डी० स्विनहॉक स्ट्रीट,
कलकत्ता-19।

6. श्री एच० एस० सहानी,
उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी),
पूर्वीय क्षेत्रीय कार्यालय,
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
कलकत्ता।

विचारार्थ विषय

(क) प्राद्योगिक संस्थान के कार्यों का उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में तथा विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्राद्योगिकी में अनुसन्धान के विस्तृत उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में संस्थान की वर्तमान प्रगति का पुनरीक्षण।

(ख) यह जांच करना कि संस्थान ने कहां तक विशिष्ट अध्ययन पाठ्यक्रमों के सदर्भ में तथा अनुसंधान कार्यक्रमो और विकास संकाय मे अन्य तकनीकी संस्थानो के साथ परस्पर सम्पर्क बनाया है।

(ग) देश में प्राद्योगिक विकास में उच्च श्रेणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर संस्थान के सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन करना।

(घ) अनुसंधान और उच्च अध्ययन जिन पर संस्थान का आगे विकास किया जाना है उन उपायों की सिफारिश इस बात को ध्यान में रखते हुए करना कि उसे प्राद्योगिक के अन्य संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर ने अपना लिया है अथवा प्रायोजित किया गया है, और

(ङ) संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों से सम्बन्धित पहलुओं के किसी अन्य पहलू पर रिपोर्टें देना।

2. समिति अप्रैल 1970 से संस्थान में कार्य करना प्रारम्भ करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रसारित की जाये :

1. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र।
2. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, कलकत्ता।
3. रजिस्ट्रार, भारतीय प्राद्योगिक संस्थान, खड़गपुर।
4. समिति के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव।
5. भारत सरकार के सभी मंत्रालय।
6. अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।

तथा संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

एल० एम० चन्द्रकान्त, सयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1970

सं० 13-पी० जी० (3)/70—भारत सरकार को मद्रास पत्तन की 1968–69 के वर्ष की प्रशासनिक ररिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें नीचे दी गई है :—

1. **वित्तीय स्थिति**

आलोच्य वर्ष में पत्तन न्यास का वास्तविक निवल राजस्व प्राप्तियां 823.00 लाख रुपये थी। गत वर्ष में यह राशि 750.98 लाख रुपये की थी।

ऋण प्रभार सहित आलोच्य वर्ष में निवल व्यय 689.82 लाख रुपये हुआ जब कि गत वर्ष यह राशि 623.68 लाख थी।

आलोच्य वर्ष में पत्तन न्यास ने 325 लाख रुपये की राशि अपने पूंजीगत खाते को 74.13 लाख रुपये पुनर्नवन तथा पुनः पूंजीयन निधि को और 1 लाख सामान्य बीमा निधि को अंशदान दिया।

1968-69 के लिये कनहारी की प्राप्तियां और व्यय क्रम से 24.83 लाख रुपये और 25.10 लाख रुपये थी, व्यय में राजस्व खाते को 9.45 रुपये का अंशदान भी शामिल है। इस अंशदान को अलग कर कार्यप्रणाली के परिणाम ने 9.18 लाख रुपये का अधिशेष दिखाया 1968-69 के अन्त तक खाते में अंत शेष 5.37 लाख रुपये था।

वर्ष के अन्त तक विभिन्न आरक्षित निधि में शेष 239.46 लाख रुपये था। इसके अलावा राजस्व खाते में 152.35 लाख रुपये का अन्त शेष था।

बकाया ऋण

आलोच्य वर्ष के अन्त तक भारत सरकार को देय ऋण की कुल राशि 11.16 करोड़ रुपये बकाये के तौर पर थी जबकि आई० बी० आर० डी० से लिये गये ऋण में 31-3-1969 को 1.17 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

2. **यातायात**

1968-69 में कुल यातायात (खाद्यान्न के यानान्तरण टनभार के सहित) 6,025,457 टन था जबकि 1967-68 में 6,441,927 टन था आलोच्य वर्ष मे आयात और निर्यात के कुल टन भार जो पत्तन से होकर गया के आंकड़े क्रम से 3,021,836 टन और 2,356,170 टन थे। गत वर्ष के आयात और निर्यात के संगत आंकड़े क्रम मे 3,792,677 और 2,070,142 टन थे। खनिजों के निर्यात में वृद्धि हुई जो 1967-68 में 17.30 लाख से बढ़कर 1968-69 में 20.40 लाख हो गया।

1968-69 के तटीय व्यापार की कुल मात्रा 937,754 टन थी जबकि गत वर्ष में यह मात्रा 1,023,237 टन थी। 1968-69 में विदेशी व्यापार 4,440,252 टन और 1967-68 में 4,839,582 टन था।

पत्तन न्यास रेलवे ने 3,244,009 टन का यातायात संभाला जबकि 1967-68 में यह राशि 3,461,750 टन थी।

3. पोत परिवहन

पाल पोत को छोड़कर उन पोतों की संख्या जो आलोच्य वर्ष में आये, 1,114 थी जबकि गत वर्ष यह संख्या 1,315 थी। गत वर्ष के 6,236,466 टन भार की तुलना में निवल टन भार 5,286,256 था।

4. श्रम

आलोच्य वर्ष में श्रम स्थिति संतोषजनक रही। श्रम कल्याण-कारी उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा।

5. निर्माण कार्य

विचाराधीन वर्ष में कुल व्यय 7.46 करोड़ रुपये हुआ। कुछ मुख्य कार्य जो इस वर्ष पूरे किये गये या प्रगति पर हैं, नीचे दिये गये हैं :—

पूरे किये गये कार्य

(1) सिविल स्टोर डिपो प्रयुक्त सामग्री डिपो का निर्माण।

(2) विद्युत् इंजीनियरी कार्यालय का निर्माण।

(3) जलपान गृह, प्रथम चिकित्सा चौकी और साइकिल स्टैण्ड।

(4) प्रशासनिक कार्यालय भवन का विस्तार।

निर्माण कार्य जो प्रगति पर हैं

(1) नये कर्मशालाओं का निर्माण (चरण 2)।

(2) नये कर्मशालाओं के सहायक कार्य।

(3) तेल डाक योजना के अन्तर्गत तेल डाक और पूंजीगत निकर्षण का निर्माण।

(4) दो 5 टन 30 ओ० टी० क्रेनों का अर्जन।

6. आभारोक्ति

आलोच्य वर्ष में बोर्ड द्वारा किये गये कार्य पर सरकार संतोष व्यक्त करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रतिलिपि समस्त संबद्धों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

के० नारायणन, संयुक्त सचिव

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1970

सं० 10/4/70-एम० 3—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 10/31/68-एम०-3, दिनांक 6 नवम्बर, 1969 के क्रम में कच्चा लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड को पुनर्गठित करने के लिये इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 10/31/68-एम०-3, दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 (समय-समय पर संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन और किया जाए, अर्थात्—

"उक्त संकल्प के पैरा 1 में, क्रमांक 1 के सामने 'नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य' के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाये, अर्थात्—

1. श्री ए० एल० नायर,
निदेशक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०,
नई दिल्ली।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. आंध्र प्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और गोवा, दमन और दीव की सरकारें।
2. इस्पात, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग), नई दिल्ली।
3. बोर्ड के सभी सदस्य (सूची संलग्न है)।
4. संबंधित नियोजक और मजदूर संगठन।
5. मुख्य कार्मिक और समन्वय अधिकारी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०, 61-रिंग रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली-14 को उनके पत्र संख्या 19(5)/66-समन्वय, दिनांक 16-2-1970 के सन्दर्भ में।
6. श्री ए० एल० नायर,

   निदेशक,

   राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०,

   61-रिंग रोड, लाजपतनगर,

   नई दिल्ली-14।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

सी० आर० नायर, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 1970

No. 9-Pres/70.—The President is pleased to approve the award of the Param Vishist Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order :—

Lieutenant General Ajit Singh (IC-344).

Lieutenant General Jagjit Singh Aurora (IC-214).

Acting Vice-Admiral Nilkanta Krishnan, Indian Navy.

Major General Mihirsingh Gehisingh Hazari (IC-646).

Maojr General Naveen Chand Rawlley (IC-525), MC.

Major General Sagat Singh (IC-4295).

Major General Umrao Singh (IC-361).

Rear Admiral Bansh Raj Singh (L), Indian Navy.

Air Vice Marshal Ajit Nath (166), Medical.

No. 10-Pres/70.—The President is pleased to approve the award of the Ati Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order :—

Brigadier Arunkumar Sridhar Vaidya (IC-1701), MVC, Armoured Corps.

Brigadier Cuddalore Lakshminarasimhalu Sesagiri (IC-1982), EME.

Brigadier Janki Dass Kapur (V-14).

Brigadier Pritam Chandu Lal (IC-2038), Intelligence Corps

Brigadier Ronald Arthur Regal O'Connor (IC-576), Maratha Light Infantry.

Brigadier Risal Singh (IC-1610), Rajputana Rifles.

Brigadier Sukhwant Singh (IC-959), Artillery.

Brigadier Sudalayandi Kolandavelu (IC-3196), Artillery.

Brigadier Shamsher Singh Puri (IC-1041), Armoured Corps.

Brigadier Shabeg Singh (IC-778), Gorkha Rifles.

Commodore Darshan Chander Kapoor, Indian Navy.

Commodore Kirpal Singh, Indian Navy.

Commodore Rajendra Tandon (E), Indian Navy.

Air Commodore Sat Pal Singh (2853), Tech./Sig.

Colonel Iqbal Singh (IC-1162), Artillery.

Colonel Manohar Lal (IC-3003), Punjab.

Captain Balbir Dutt Law, Indian Navy.

Surgeon Captain De Rosario Faust Pinto, Indian Navy.

Captain Lancelot Gomes, Indian Navy.

Acting Captain Joginder Singh Randhawa, Indian Navy (*Posthumous*)

Acting Captain Krishnaswami Sridharan (S), Indian Navy.

Captain Mohan Singh Grewal, Indian Navy.

Captain Melville Raymond Schunker, Indian Navy.

Group Captain Agia Kar Singh Bakshi (2013), Administrative & Special Duties.

Group Captain Brian Keith Stidston (2821), General Duties (Pilot).

Group Captain Lakshman Madhav Katre (3117), General Duties (Pilot).

Wing Commander (Acting Unpaid Group Captain) Nittript Lal Badhwar (3955), General Duties (Pilot).

Group Captain Randhir Singh (2135), Vr.C, General Duties (Pilot).

Lieutenant Colonel (Local Colonel) Pyara Lal (IC-3857), Madras.

Lieutenant Colonel (Local Colonel) Suresh Chandra Sharma (IC-8053), Dogra.

Lieutenant Colonel (now Colonel) A.I.G. Monteiro (IC-5061).

Instructor Commander Manmohan Singh Kohli, Indian Navy.

No. 11-Pres/70.—The President is pleased to approve the award of the Vishisht Seva Medal to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :—

Colonel Rajashekharwodeyar Shantawodeyar Wodeyar (IC-2132), Artillery.

Lieutenant Colonel Achhar Singh (SL-212), Special List.

Lieutenant Colonel Brij Raj Singh (IC-10195), Engineers.

Lieutenant Colonel Bakshi Joginder Singh (IC-4870), Jat.

Lieutenant Colonel Devinder Singh Sidhu (1646), 9 Horse.

Lieutenant Colonel Dhan Singh Rawat (IC-4170), Artillery.

Lieutenant Colonel Harbans Lal Sethi (IC-4815), Intelligence Corps.

Lieutenant Colonel Pindi Das Sawhney (IC-2609), Signals.

Lieutenant Colonel Ram Rattan Singh (IC-4108), Dogra Regiment.

Lieutenant Colonel Surendra Nath Dar (IC-5441), Gorkha Rifles.

Commander Bangalore Rao Vasanth, Indian Navy.

Commander Chitta Ranjan Roy, Indian Navy.

Commander Joytirindra Nath Maitra, Indian Navy.

Commander Jagdish Chandra Puri, Indian Navy.

Commander James Joseph Roland Martin, Indian Navy.

Commander Kanwar Munish Kumar, Indian Navy.

Commander Lionel Ewart Orde Lunel, Indian Navy.

Commander Manavedam Sathianathan Menon, Indian Navy.

Acting Commander Madhawan Ramachandran Nair, Indian Navy.

Commander Nellari Poozankandi Mukundan, Indian Navy.

Commander Rangaswamy Bala Subramanian, Indian Navy.

Instructor Commander Thomas Anthony De'Couto, Indian Navy.

Wing Commander Gursharan Singh (4263), Technical Engineering.

Wing Commander Harbhajan Singh Bhatia (4300), Technical/Electrical.

Wing Commander Inder Singh Dua (3631), Administrative & Special Duties.

Wing Commander Kirpal Singh Sufi (3952), General Duties (Pilot).

Wing Commander Nawal Naranjan Dhir (2752), Education.

Wing Commander Narayanan Krishnan Nair (4075), Technical/Electrical.

Wing Commander Padam Sen Kapur (3704), Equipment.

Wing Commander Rajinder (4303), Technical/Electrical.

Wing Commander Shyamal Kumar Mittra (3818), Technical/Electrical.

Wing Commander Ved Prakash Misra (3627), Administrative & Special Duties.

Major Bamrah Niranjan Singh (MR-795), Army Medical Corps.

Major Dipankar Ghosh (MR-1437), Army Medical Corps.

Major Girdhari Lal (SL-91), Special List.

Major Gulzarilal Nanda (IC-8025), Signals.

Major Joseph Paul Alapat (IC-10620), Engineers.

Major Surinder Mohan (MR-1481), Army Medical Corps.

Major Shrikant Sitaram Hasabnis (IC-6233), Jat.

Major Sardari Lal Saini (IC-1092), EME.

Major Tejwant Singh Grewal (IC-8000), Maratha.

Major Vijay Narayan Channa (IC-8495), Guards.

Lieutenant Commander (SD)(G) Abu Amin, Indian Navy.

Lieutenant Commander (SD) (B) Bikram Singh, Indian Navy.

Lieutenant Commander Chakingal Narayan Balakrishna Menon, Indian Navy.

Lieutenant Commander Grah Nandan Nandy Singh, Indian Navy.

Lieutenant Commander Heathwood Johnson, Indian Navy.

Squadron Leader Bansidar Srinivas Hatangadi (5492), Technical Signals.

Squadron Leader Mahinder Singh (4191), Equipment.

Squadron Leader Madhavakrishna Khashav (5119), General Duties (Pilot).

Squadron Leader Viswanath Venkataramani (4970), General Duties (Pilot).

Captain George Kurian (M-30762), Army Medical Corps.

Captain Kranti Kumar Sood (IC-13536), Gorkha Rifles.

Captain Prehlad Singh Sethi (EC-59669), Engineers.

Captain Sant Dass (TC-31174), ASC (Postal).

Lieutenant Bhagwan Deepak Mohindra, N.M., Indian Navy.

Lieutenant (SD) (R) Unni Krishan Pisharedy, Indian Navy.

Lieutenant (SD) (ME) Vittal Ugappa Shetty, Indian Navy.

Flight Lieutenant Amarjeet Singh Kullar (5854), Vr.C. General Duties (Pilot).

Flight Lieutenant Milavarical Peter Varghese (7866), Technical Engineering.

JC-35607 Subedar Hari Singh, Sikh.

V Shanmugam, Master Chief Petty Officer, Medical Assistant First Class No. 15488

Mamiamcot Paul Antony, Master Chief Petty Officer, First Class, No 8122.

19258 Warrant Officer Saroj Ranjan Chandra, Fitter-I.

211592 Flight Sergeant Churackamannil Mathew Abraham, Radio Mechanic

201852 Flight Sergeant Jotindra Nath Kaul, Fitter.

206773 Flight Sergeant Mannamkunnath Gopalan, Electrician.

219257 Sergeant Prana Krishna Misra, F.II A

Bhiksha Ram Sharma, Master Chief Petty Officer (Mechanician) First Class, No. 33499.

No 12-*Pres*/70.—The President is pleased to approve the award of the KIRTI CHAKRA for acts of conspicuous gallantry to:—

Shri SHAM SUNDER,
Assistant Station Master, Northern Railway

(*Effective date of award—6th May, 1969*)

On the night of the 6th May, 1969, at about 0030 hours, a gang of eight or nine armed dacoits entered the Station Office at Gu'dhar Railway Station, after overwhelming the Railway staff on duty They demanded from Shri Sham Sunder, Assistant Station Master on duty at that time the key of the Station cash safe on the pistol point. Shri Sham Sunder refused to part with the key. Enraged at his refusal, one of the dacoits fired at Shri Sham Sunder injuring him in the left arm. Inspite of the injury, Shri Sham Sunder stood his ground, grappled with the dacoits and snatched a bag containing 12 live cartridges from one of them. Thereupon, another dacoit fired at Shri Sham Sunder, causing him severe injuries in the chest, stomach and leg Undeterred by his injuries, Shri Sham Sunder continued to face them resolutely and refused to part with the key of the cash safe The stiff resistence put up Shri Sham Sunder and the arrival of villagers on the scene unnerved the dacoits, who fled away

In this action, Shri Sham Sunder showed commendable determination and displayed conspicuous gallantry.

No. 13-*Pres*/70.—The President is pleased to approve the award of the SHAURYA CHAKRA for acts of gallantry to:

1 JC-4815 Subedar SHEORAJ SINGH
Jat

(*Effective date of award—23rd August 1968*)

On receiving information on the 22nd August 1968 that one wounded hostile was evacuated through a village in Mizo Hills, Subedar Sheoraj Singh immediately set off, with one platoon, and arrived at the village early in the morning of the 23rd August 1968. He located the hostiles hide-out and quickly encircled it. The movement of troops was noticed by a hostile who immediately opened fire. Subedar Sheoraj Singh returned the fire and killed the hostile. He also captured another hostile who was trying to escape. The platoon under his leadership, captured ammunition, a large number of weapons, and some documents

In this action, Subedar Sheoraj ingh displayed gallantry and leadership.

2 Major MAN MOHAN SINGH BAJAJ (IC-12329)
Gorkha Rifles (*Posthumous*)

(*Effective date of award—20th September 1968*)

During the period 22nd August, 1968, to 8th January, 1969, Major Man Mohan Singh Bajaj, along-with his company, was assigned the task of apprehending the hostiles operating in Kohima area of Nagaland with illegal arms and causing depredations Despite heavy rains and bad weather he organised extensive patrolling in the area, which was thickly forested Due to his concerted efforts, the hostile activities in his area almost came to an end On the 20th September, 1968, he was informed about the presence of a hostile in the vicinity of his post. He organised a plan for catching the hostile and personally planned an ambush for him Positioning himself on the road side, he asked the man to come near. but when the latter started running, he chased him through the bushes and the cultivated area. The chase of the hostile continued for some time when he was located by the chasing party, led by Major Man Mohan Singh Bajaj, and was killed on the spot. Again, on the 4th January, 1969, he went out on a ptrol to locate a hide-out of the hostiles. On the morning of 8th January, 1969, he carried out a tactical reconnaissance and approached the hide-out, with two ORs, leaving the rest of his patrol about 50 metres behind. On seeing the officer and his party, 4 or 5 hostiles who were hiding there, rushed out and started running away into the jungle. Major Man Mohan Singh Bajaj challanged them and opened fire at them from his Sten Gun when they refused to stop running. The hostiles [illegible] started firing in his direction. In this encounter, the officer was hit by a bullet as a result of which he died

In this encounter, Major Man Mohan Singh Bajaj displayed gallantry and determination.

3 Shri RAMESHWAR PRASAD SETH (GO-771)
Assistant Executive Engineer

(*Effective date of award—5th October 1968*)

Shri Rameshwar Prasad Seth, Assistant Executive Engineer (Civilian) was officiating as Officer Commanding of a Road Maintenance Unit deployed on the Main Highway of Bhutan linking Phuntsholing with Thimpu Due to incessant rains from 2nd to 5th October 1968, the floods in Wangchu river had damaged the abutments of the bridges on this section of the road at Chukha. On 5th October 1968, Shri Rameshwar Prasad Seth noticed that the Phuntsholing side abuntment had been weakened below the foundations and was precariously supported on a boulder about 40 feet below the road level Immediate measures were called for to prevent the movement of this boulder. When Shri Seth found that the worker were hesitant to go under the bridge for carrying out the necessary works because of the fear of the collapse of the bridge due to weakening of the abutment, he, without losing any time, immediately went under the bridge and started the work himself. Inspired by his example, the labour force, along with person of the road construction party started the protective work and continued to work till 9th October 1968, when the abutment was strengthened and rendered safe Had this abutment given way this important bridge would have collapsed into the river.

In this action, Shri Rameshwar Prasad Seth displayed gallantry, initiative and determination

4. 17363 Rifleman BHUWA THAPA
Assam Rifles (*Posthumous*)

(*Effective date of award—5th November* 1968)

On the 5th November 1968, a platoon of a battalion of Assam Rifles was ordered to lay ambush in an area in the Mizo Hills. At about 0930 hours, a gang of about 9-10 hostiles approached the ambush area. One of the section personnel opened fire and wounded a couple of the hostiles. The other hostiles started running away. One of the Section Commanders charged at the fleeing hostiles who also started firing. After the firing had continued for some time, one of the Other Ranks in the party expended his ammunition. Rifleman Bhuwa Thapa came to his rescue by providing effective covering fire. Later on, when the same Other Rank was fatally wounded, Rifleman Bhuwa Thapa, disregarding his personal safety, jumped out of his position and charged the hostiles single-handed. As he approached the wounded Other Rank and was picking up his Light Machine Gun for using it against the hostiles, he himself was fatally wounded

In this action, Rifleman Bhuwa Thapa displayed gallantry and determination.

5. 18045 Rifleman NAMAL CHANDRA KOCH
Assam Rifles (*Posthumous*)

(*Effective date of award—5th November* 1968)

On the 5th November 1968, a platoon of a battalion of Assam Rifles was ordered to lay ambush in an area in the Mizo Hills. At about 0930 hours, a gang of 9-10 hostiles approached the ambush area. One of the section personnel opened fire and wounded a couple of hostiles and the others started running away. While the Section Commander charged with his section towards the fleeing hostiles. Rifleman Namal Chandra Koch, who was following the Section Commander started firing at the hostile position. Although the Section Commander became a casualty, Rifleman Namal Chandra Koch continued his advance towards the hostiles till he found that he had expended all ammunition magazines. He proceeded under insufficient cover, in the face of hostile fire, to replenish his ammunition. After doing so, he returned to the same place and, while balance of the section continued fire on the hostiles, he again charged the hostiles, single-handed, from a flank, firing from the hip. While he was only 5 yards from the hostiles, he was fatally wounded.

In this action, Rifleman Namal Chandra Koch displayed gallantry and determination.

6. Captain MANJINDER PAL SINGH (IC-20250)
Jat

(*Effective date of award—10th January* 1969)

On the 10th January 1969, Captain Manjinder Pal Singh was in command of a company in the Mizo Hills when he received information that three hostiles were hiding in the jungle. He immediately led a patrol to the spot which was reached after passing through thick jungle and difficult terrain. He completely surprised the hostiles and captured all of them without firing a shot. In addition, he recovered a rifle, some ammunition and valuable documents. Again, on the night of 25th/26th April 1969, on receiving information about the presence of some hostiles in a hut in the jungle approximately 4 miles away from his post, he led a patrol to the site. The hostile sentry spotted the patrol and opened fire. Undeterred by hostile fire, Captain Manjinder Pal Singh charged the hide-out with his men and two of the hostiles were killed in this encounter and the others fled. He chased the fleeing hostiles with his men. Disregarding his personal safety, he charged a hostile who was firing at him and killed him. In this encounter, he recovered two rifles, a large quantity of ammunition and some equipment.

Throughout, Captain Manjinder Pal Singh displayed gallantry and leadership.

7. 180034 Jemadar PREM BAHADUR RAI
Assam Rifles

(*Effective date of award—4th February* 1969)

On the 4th February 1969, Jemadar Prem Bahadur Rai was a platoon commander of a battalion of Assam Rifles in an area in the Lushai Hills. His platoon successfully ambushed and injured a self-styled Corporal of the hostiles and captured him. On the basis of the information obtained from this hostile, he set out to raid a hostile camp which was about two miles away from his ambush position. As he came in the vicinity of the camp, he, with the leading section, came under hostile fire. Without losing any time and with complete disregard to his safety, he ran down the hill towards the camp, firing his weapon. Inspired by this courageous and valiant act, his platoon followed him. On reaching the camp, it was found that he had already silenced a self-styled Captain with his barretta rifle and had killed three hostiles. Some weapons and ammunition were also captured.

In this encounter, Jemadar Prem Bahadur Rai displayed gallantry and determination.

8. Captain YOGESHWAR BAHL (IC-14727)
Gorkha Rifles

(*Effective date of award—17th February* 1969)

Captain Yogeshwar Bahl was travelling by 53 Up Nagal Dam Express on the night of 17th/18th February 1969. At about 2330 hours, when the train was nearing Meerut, a notorious dacoit entered a coach and opened fire killing a passenger. Captain Yogeshwar Bahl who was in the nearby compartment heard the shooting and came out of his compartment to the corridor and found a dacoit threatening the passengers in the other cubicles. Though unarmed, he closed in on the armed dacoit with the intention of overpowering him. Despite his instructions, the other passengers failed to close the door to cut off the retreat of the dacoit. Disregarding the warning of the dacoit that he would shoot at him if he approached him, Captain Bahl gallantly closed in on the dacoit, when he was shot in the abdomen Inspite of his severe injury, he pulled the emergency chain thereby alerting other passengers and the railway authorities, but the dacoit ultimately made good his escape.

In this action, Captain Yogehwar Bahl displayed gallantry and determination.

9. Captain MOHINDER SINGH CHADHA (IC-18834)
Kumaon

(*Effective date of award—24th March* 1969)

On the 24th March 1969, during operations against the hostiles, Captain Mohinder Singh Chadha was engaged with his Company in conducting a search around a border village in Nagaland. After cordoning the village, he, with only two other men, started a reconnaissance of all exist tracks around the village On one such track, he was fired upon by a hostile who had been hiding in the thick jungle. Captain Chadha, inspite of having been wounded chased the hostile and engaged him with fire but the hostile disappeared. He directed his company to carry out a search in the thick jungle and to locate the hostile He allowed himself to be evacuated only when the search had been fully completed and he could no longer walk due to pain and loss of blood. The search led to the capture of seven armed hostiles, large quantity of ammunition and valuable documents.

In this action, Captain Mohinder Singh Chanda displayed gallantry and determination.

10. Major CHAND NARAYEN KAUL (IC-14464)
Sikh

(*Effective date of award—7th May* 1969)

On the 7th May 1969, Major Chand Narayen Kaul, with one platoon column left a post in the Mizo Hills to apprehend hostiles in a nearby camp. When the column was near the camp, it was fired upon by the hostiles. In order to prevent the escape of the hostiles, he with his column, in complete disregard of personal safety, surrounded the camp and assaulted it. He ordered one section of his platoon to chase the escaping hostiles, while with the remaining troops, he continued to press the assault. As a result, 5 hostiles were killed and a large quantity of arms and ammunition were captured. He was also responsible for securing surrender of approximately 200 hostiles.

Throughout, Major Chand Narayen Kaul displayed gallantry and leadership.

11. SHUKDEO PRASHAD SAHNI, Petty Officer Engineering Mechanic No. 48363.

(*Effective date of award—27th June* 1969)

Petty Officer Engineering Mechanic SHUKDEO PRASHAD SAHNI was on watch in the Boiler Room on 27th June, 1969 when INS KUTHAR was conducting sea-trials on both boilers off BOMBAY. During the trials, the starboard boiler was required to be shut down due to leakage of steam. The shaft

revolutions were about 140 RPM at that time. At about 1450 hours, the Port Turbo-Blower lubricating oil pressure gauge-union got accidently disconnected and hot lubricating oil splashed on to the lagging of the Main Feed Pump casing which caught fire. Very soon the Boiler Room was enveloped in thick smoke. Petty Officer Engineering Mechanic SHUKDEO PRASHAD SAHNI took prompt action to bring the fire under control, whilst at the same time halting the flow of lubricating oil leakage with his hand at the imminent risk of suffering grievous burns with the oil at a temperature of 172°F.

In this action, Petty Officer Engineering Mechanic SHUKDEO PRASHAD SAHNI displaced gallantry and presence of mind.

12. 9405288 Naik DALBAHADUR LIMBU, Gorkha Rifles.

(*Effective date of award—4th August* 1969)

On the 4th August 1969, Naik Dalbahadur Limbu was detailed to escort Unit vehicles in an area in Nagaland. At about 0855 hours, hostiles who were in ambush, opened fire on the leading vehicle in which Naik Limbu and two other ORs were travelling, with Light Machine Guns, Rifles, Sten Guns and hand grenades from a close range of 20 to 25 yards. The driver and one Other Rank were killed instantaneously. As the driver was killed, control of the vehicle was lost, and the vehicle swereved to the right of the road and went down about 40 feet and finally halted. Naik Limbu, who was sitting in the co-driver's seat, came out of the vehicle and started firing back at the hostiles with his sten gun. When the ammunition was exhausted, he tried to pick up the Light Machine Gun and fire back at the hostiles, but the Light Machine Gun was badly damaged due to hostile fire and was unserviceable. He immediately picked up the driver's rifle and started firing back at the hostiles. Throughout, the hostiles brought down heavy volume of small arms and grenade fire on the vehicle. Undetteied, he kept on firing at the hostiles. Finally, approximately 20 hostiles charged at him. He immediately threw two handgrenades at the charging hostiles as a result of which two hostiles were seriously wounded and they later succumbed to their wounds during the night of 4th/5th August 1969. Naik Limbu was at this stage hit on his left hand and two bullets pierced through his left palm and wrist. He could no longer fire back at the hostiles on account of the bullet injuries and crawled back to a distance of about 25 yards, taking cover of thick jungle.

In this action, Naik Dalbahadur Limbu displayed gallantry and determination.

13. 3945788 Lance Naik PIRTHI RAM, Dogra.

(*Effective date of award—17th August* 1969)

On the night of 17th/18th August 1969, Lance Naik Pirthi Ram was NCO Incharge of the protection party of the Water Filtration Plant at Neora Bridge in Jalpaiguri District in North Bengal, where floods has caused considerable damage. While on duty, he saw a person being carried away by the fast current of the Neora river. He immediately jumped into swirling water of the river. Making his way through the fast current, he approached the drowning man who was still alive, and rescued him. After a few minutes when the man had sufficiently recovered, he told Lance Naik Pirthi Ram that he was travelling in a jeep which had fallen into the river as there was a breach on the road at Neora Bridge. He said that there were three more occupants in the jeep when it fell into the river. Lance Naik Pirthi Ram along with the person whom he had rescued and an OR immediately came on the Bridge to spot the jeep and its other occupants. On reaching the Bridge, he discovered that the abutment on the Western side of the Bridge had been washed away and there was no trace of the jeep or its occupants. Anticipating that some other vehicles might come over the Bridge, he, along with the another O.R., started preparing road blocks at both the ends to mark the spot. After laying boulders on one side, they crossed over the Bridge to the Eastern side to create another road block for stopping vehicles coming from the other side. While he was doing so, he saw a bus coming from Chalsa side towards the Bridge. In spite of the shouting and warning signals given to the bus to stop, it passed him and fell into the river. The bus fell on its inner side and was soon submerged, leaving only off-side projecting out. Lance Naik Pirthi Ram asked the other OR to bring line beddings (ropes). Visualising that the situation might go totally out of hand, he jumped from the top of the bridge on to the bus. He opened the exist door on the off-side, which was still out of water. He brought all the four occupants out. In the meanwhile, line beddings tied into a long rope were suspended towards the bus. With the help of the other OR, Lance Naik Pirthi Ram rescued all the passengers.

In this action, Lance Naik Pirthi Ram displayed gallantry and initiative.

14. JC-44459 Naib Subedar HARIHAR SINGH, Kumaon.

(*Effective date of award—3rd September* 1969)

On the 3rd September 1969, Naik Subedar Harihar Singh was incharge of a post in Nagaland. On receiving information about the location of a hostile hideout in a thick patch of jungle in his area of responsibility, he, with a patrol of 19 men, proceeded to the location to apprehend the hostiles. In spite of the difficult terrain, he led the patrol undetected close to the hideout. He positioned the patrol in a firm base and proceeded forward with only two sepoys for further reconnaissance. Suddenly, the hostile sentry shouted and opened fire at close range, but was shot dead by the leading scout. Without waiting for the rest of the patrol, he, with complete disregard to personal safety, charged into the hideout. In this action, two hostiles were killed, two wounded and two captured. A large quantity of arms, ammunition, equipment and documents were also captured.

Throughout, Naik Subedar Harihar Singh displayed gallantry and determination.

15. 4156512 Lance Naik NARPAT SINGH, Kumaon.

(*Effective date of award—3rd September* 1969)

On the 3rd September 1969, Lance Naik Narpat Singh was a member of a patrol party, which was detailed to locate a hostile hideout in Nagaland. On reaching near the hideout, the patrol leader along with Lance Naik Narpat Singh and one more sepoy went forward for detailed reconnaissance. The hostile sentry suddenly shouted and opened fire at close range but he was shot dead by the leading scout. Lance Naik Narpat Singh, along with the other two, charged into the hideout. Disregarding personal safety, he chased the fleeing hostiles for about 50 metres and succeeded in catching one hostile. In this encounter, two hostiles were killed, 2 wounded and 2 captured. A large quantity of arms, ammunition, equipment and documents were also captured.

In this action, Lance Naik Narpat Singh displayed gallantry and determination.

No. 14-*Pres.*/70.—The President is pleased to approve the award of the "NAO SENA MEDAL"/"NAVY MEDAL" to the undermentioned personnel for act of exceptional devotion to duty or courage.—

1. Commander BISWANATH DUTTA, Indian Navy.

Commander Biswanath Dutta was in command of INS GANGA on 26th May, 1969, when the ship had to sail at short notice to render assistance to Pakistani Merchant Ship 'SHUJAAT' in distress, about 100 miles north of Cochin. He worked with great zeal and energy and inspired his officers and sailors to put in their very best throughout the operation which lasted 18 hours, in very adverse weather and towing conditions.

The qualities of leadership and seamanship displayed by him were to a very large extent responsible for the ultimate success of the operation.

In this action, Lance Naik Narpat Singh displayed gallantry leadership and devotion to duty in the best traditions of the Indian Navy.

2. Commander CAJETAN JOSEPH D'SOUZA, Indian Navy.

On the 15th January, 1969, INS KARWAR was on passage from Bombay to Okha. At about 0700 hours Commander Cajetan Joseph D'Souza who was commanding the ship, came up on the bridge and seeing an unusual shape in the distance decided to alter course and take a closer look. He found that the sea was littered with drifting timber and half the dead survivors of a capsized sailing boat clinging to the battered hull. Due to the rough sea and strong wind, it was not possible to lower a boat. To bring the ship near the capsized hull was dangerous due to drifting timber and the broken masts, sails and other flotsam floating around. However, by slowly manoeuvering the ship and by another Naval Officer

taking a grass line across to the capsized vessel a makeshift breeches buoy was made and survivors got across.

In this operation, Commander Cajetan Joseph D'Souza displayed courage and leadership.

3. Lieutenant Commander SHRINIWAS WAMANRAO LAKHKAR, Indian Navy.

Lieutenant Commander Shriniwas Wamanrao Lakhkar was a member of the commissioning crew of INS AMBA and was appointed First Lieutenant and Cable Officer of the Ship. The equipment fitted on board was different from what the Indian Navy was used to and called for utmost alertness and ability. Lieutenant Commander Shriniwas Wamanrao Lakhkar was largely responsible for taking over the ship in the shortest possible time which resulted in considerable saving to the State. During the second phase of the taking over, the ship was caught in ice packed sea for about a week. Snow and sleet fell continuously with wind of gale force blowing most of the time bringing the temperature down to —17°C which made it extremely hazardous to work on the upper deck. Working with heavy cables with unfamiliar associated gear called for utmost care and ability for the safety of the ship as well as anchors Lieutenant Commander Shriniwas Wamanrao Lakhkar with his utmost devotion to duty and enthusiasm set a fine example to the cable party.

Throughout, Lt. Cdr. Shriniwas Wamanrao Lakhkar displayed courage and exceptional devotion to duty.

4. Lieutenant MALVYN CHARLES KENDALL, Indian Navy.

On the 15th January 1969, INS KARWAR whilst on passage from Bombay to Okha sighted the survivors of a capsized sailing vessel PARIJAT. Due to rough sea and strong wind, it was not possible to lower a boat. To bring a ship near the capsized hull was dangerous due to drifting timber and the broken masts, sails and other flotsam floating around. However, by slowly manoeuvering the ship and Lieutenant Malvyn Charles Kendall jumping into the water and taking the grass line across to the capsized vessel in rough seas and drifting wreckage a makeshift breeches buoy was made and survivors got across. As they were in an exhausted state Lieutenant Kendall helped the survivors to get to the ship. Without his assistance some of the survivors might have collapsed.

In this operation, Lieutenant Malvyn Charles Kendall, displayed courage and devotion to duty in the best traditions of the Indian Navy.

5. Lieutenant NARESH CHANDRA VAISH, Indian Navy.

Lieutenant Naresh Chandra Vaish was serving as Executive Officer of INS GANGA on 26th May 1969 when the ship had to sail at short notice to render assistance to the Pakistani Merchant Ship "SHUJJAT" in distress about 100 miles north of Cochin. On contact "SHUJAT" was found lacking in necessary gears. Lieutenant Naresh Chandra Vaish worked with great zeal throughout the operation lasting 18 hours in very adverse weather conditions and thus contributed in a large measure to the success of the salvage operation.

In this operation Lieutenant Naresh Chandra Vaish displayed courage and professional skill.

6. Lieutenant ASHOK ROY, Indian Navy.

On 18th July 1969, Lieutenant Ashok Roy as pilot of an Alize aircraft was carrying out an exercise with an Indian Naval Ship with two other aircraft in company. On completion of the exercise, while rejoining the formation, he found that on reopening power, there was no engine response to the throttle movement, and the engine was stuck at 12,000 r|p|m| and 120 p.s.i. setting With the available power, it was not possible to maintain height even after jettisoning all the excess fuel and stores. The aircraft was at a height of 1,200 feet and 25 miles away from the coast. He was committed to ditch the aircraft in sea state 2 to 3 which was prevalent at that time. He made a 'May Day' call, and carried out a safe ditching at sea. All the three crew were subsequently rescued by a helicopter.

Throughout, Lieutenant Ashok Roy displayed courage and professional skill.

7. B C. MAHAPATRA, MCPO, CD1, No. 60128.

A clearance Diving Team consisting of 9 sailors with MCPO B C. Mahapatra as the leader was given the task of changing the damaged port propeller of a ship without docking it. The removal of a propellor underwater involves work of an intricate nature and use of special tools. MCPO Mahapatra was given outline instruction about the procedure to be followed. The work started on the morning of 19th July 1969 under adverse weather conditions with visibility underwater being nil. Continuous heavy rain and strong winds made the task ever more difficult. The diving went on without any break until 0300 hours on the morning of 20th July 1969. MCPO Mahapatra led the divers himself and tackled the most difficult parts of the job and accomplished it in time.

In this operation, MCPO B. C. Mahapatra displayed courage and devotion to duty in the best traditions of the Indian Navy.

8. BRAHAMA NAND SHARMA, Petty Officer (TAS1) No. 46291.

Petty Officer (TAS1) Brahama Nand Sharma, was a member of the commissioning crew of INS AMBA and was detailed as Captain of Forecastle and formed part of the cable party in addition to carrying out his professional duties.

The ship was involved in a collision on 7th February 1969, at about 2002 hours. The rattling noise indicated that the cable had parted. Petty Officer Sharma rushed to the forecastle in insufficient clothing. Even after it was ascertained that the cable was safe, he stayed with the shipwrights to assist them to carry out temporary repairs. Soon thereafter a gale warning was received and temperature fell to —17°C and blizzards with 50 knot wind and heavy snow. These conditions lasted six days and the sea was completely frozen. In the face of these fierce elements the ship could not hold berth and continuous anchor work was required to ensure the safety of the ship. As part of the cable party, Petty Officer Sharma stayed continuously on the forecastle for six days. During this period, he also helped in the evacuation of a seriously ill sailor to a hospital ashore.

Throughout, Petty Officer Brahama Nand Sharma displayed courage and devotion to duty.

9. RAMARAO EKANATH GODSE, Seaman Class I, No. 86751.

On the 15th January, 1969 INS KARWAR whilst on passage from Bombay to Okha sighted the survivors of a capsized sailing vessel PARIJAT. Due to rough sea and strong wind, it was not possible to lower a boat. However, by slowly manoeuvring the ship and by taking a grass line across to the capsized vessel in rough sea and drifting wreckage, a makeshift breeches buoy was made and survivors got across. As they were in an exhausted state, Seaman Ramarao Ekanath Godse, a qualified lifesaver, helped the survivors to get to the ship. The drifting wreckage was a constant hazard to him but without regard to personal safety he assisted in getting all the survivors on board safely. Without his assistance some of the survivors might have collapsed.

In this operation, Seaman Ramarao Ekanath Godse displayed courage physical endurance, and disregard to personal safety under hazardous conditions.

No. 15-Pres./70.—The President is pleased to approve the award of the "SENA MEDAL"/"ARMY MEDAL" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage:—

1. Lieutenant Colonel NIRANJAN SINGH (IC-7233), Gorkha Rifles.

On 29th July 1967 Lieutenant Colonel Niranjan Singh took over command of a Battalion of Assam Rifles in an area in Nagaland. On the 24th February 1968, on receipt of information that a camp was being used as a hiding place for illegal arms by the hostiles, he personally led a surprise attack on a hostiles' camp and captured it. Again on the 7th March 1968, on receipt of information about presence of 25 armed hostiles in a village, he travelled by night and surrounded the hostiles inside the village. The hostiles were taken completely by surprise and were forced to surrender with a large quantity of arms and ammunition. On 14th January 1969 two camps of the hostiles were successfully attacked by the officer. By hard work, perseverance and able leadership, the officer has been able to eliminate hostile influence in the area of his responsibility.

Throughout, Lieutenant Colonel Niranjan Singh displayed courage and leardeship.

2. Major DINESH NARAYAN (IC-18790), Jat.

During the period 23rd August to 23rd November 1968, Major Dinesh Narayan was commanding a Company of an Infantry unit which was engaged in operations against the hostiles in the Mizo Hills. Inspite of various difficulties, the officer showed great skill, determination and courage in leading operations against the hostiles and in a short period of three months liquidated a large number of hostiles' camps, captured a number of hostiles and recovered large quantity of arms and ammunition.

Throughout, Major Dinesh Narayan displayed courage and leadership

3 Major KUNDAN LAL (IC-6484), Engineers.
(Posthumous)

On the 17th June 1969, Major Kundan Lal was ordered to explore the possibility of a new alignment for an operationally important road being constructed in the J & K area. He was required to submit the report on the same day. For this purpose, he had to work through very difficult and treacherous mountain terrain. On the morning of the 17th June 1969, the weather was extremely bad when the officer set out on his reconnaissance with 2 other men. Undeterred by the slippery rocky surface and adverse weather conditions, he continued with the reconnaissance. In the process, when he was negotiating a particularly bad portion, he slipped and fell down about 1,000 feet sustaining severe head injuries as a result of which he died.

In this operation, Major Kundan Lal displayed courage and determination

4. Major PREM LAL KUKRETY (IC-8104), Rajput

Major Prem Lal Kukrety was employed as Deputy Assistant Adjutant and Quarter Master General and later as Brigade Major of a Mountain Brigade operating in Manipur State and north east Mizo Hills from October 1965 onwards To curb hostile activities, a number of operations were launched in a period of 10 month He took great pains in carrying out the staff work involved and discharged his duties most efficiently. His careful planning enabled the Brigade to apprehend a large number of hostiles and to prevail on others to surrender. He personally organised several successful raids on hostile hideouts/camps. He himself led quite a few of these raids and was able to liquidate a number of hostiles camps and captured a large quantity of weapons and equipment

Throughout, Major Prem Lal Kukrety displayed courage and devotion to duty.

5. Major YASHWANT SHANKAR RAO SHINDE (IC-14755), Maratha.

On the 11th March 1969, information was received that a gang of hostiles was moving in an area in Nagaland. A platoon under Major Yashwant Shankar Rao Shinde was despatched to chase the hostiles On arrival at the place, he immediately deployed his platoon for patrolling the surrounding area On the 15th March 1969, at 0700 hours, he received information about the location of the gang. At 0750 hours, the officer moved with his platoon to find the gang, but in the meantime, the gang had moved from the place where they were reported to be camping. Following a trail, Major Shinde with his men moved in the direction in which the gang had gone The gang had also discovered that they were being followed and they laid a hasty ambush and opened fire on the leading section of the platoon Major Shinde returned the fire and charged on the ambush, as a result of which the gang, although it was in an advantageous tactical position, split into small parties and dispersed in the jungle. Again, at about 0300 hours on the 19th March 1969, Major Shinde received information about a hostile hide-out He collected his platoon and reached near the hideout at 0530 hours The hostiles opened fire which was returned by the platoon In this action, one hostile was wounded and the others ran away leaving behind one rifle, one pistol, 13 grenades and one thousand rounds of ammunition.

Throughout, Major Yashwant Shankar Rao Shinde displayed courage and devotion to duty.

6. Captain GOPALAN DINAMONI (M-30937), Army Medical Corps.

Captain Gopalan Dinamoni was posted as Regimental Medical Officer of a Battalion of the Rajputana Rifles in an area in Nagaland from May 1968 to April 1969. In addition to his duties as Regimental Medical Officer, he also rendered medical aid to the local civil population. At times, he had to undertake long journeys on foot to render medical aid to the patients who could not be evacuated due to lack of proper means of communication. At one time, when a gang of hostiles came within less than a mile of a village and all troops were out on ambushes and patrolling, he moved a Medium Machine Gun and 3" Mortor to cover the approaches to the post; he also made arrangements for keeping the movement of the gang under observation.

Throughout, Captain Gopalan Dinamoni displayed courage and devotion to duty.

7 Captain SWARAN SINGH SAINI (IC-13934), Guards.

On 9th December 1968, Captain Swaran Singh Saini was ordered to lead a patrol and raid hidden hostile camps in an area in Nagaland. The task given to the patrol was extremely difficult and full of hazards demanding great amount of initiative and courage. The patrol had to cover a distance of 40 KM negotiating dangerous and difficult terrain through dense jungle and climbing precipitous mountains. Although all the camps raided were found to have been abandoned, a large quantity of ammunition and weapons were recovered. Gaptain Saini completed the task most successfully and his inspiring leadership set up a fine example of courage and determination. He was constantly on the move going out on patrols and laying ambushes. Due to his efforts, several hostiles were arrested and there was considerable decrease in hostiles influence in the area.

Throughout, Captain Swaran Singh Saini displayed courage and leadership.

8. Lieutenant GANAPATHY RADHA KRISHNAN (IC-16824), Gurads.

On the 14th March 1969, Lieutenant Ganapathy Radha Krishnan was ordered to move to a village in Nagaland with his Company and to surround a hostiles camp The officer, at the time of receipt of these orders, was over 16 hours marching distance from the hostiles camp. Despite extremely bad weather, difficult terrain, pitch dark night and without any local guide, he reached the area of the hostiles camp overnight in a record time and surrounded the hostiles' camp and foiled their efforts to break out till reinforcements arrived. Subsequent attempts made by the hostiles to escape were also foiled by the officer.

Throughout, Lieutenant Ganapathy Radha Krishnan displayed courage and determination

9. Lieutenant RAKESH DASS (IC-17267), Rajputana Rifles.

On 26th March 1969, on receipt of information that small groups of hostiles had entered the nullahs in an area in Nagaland, Lieutenant Rakesh Dass was given the task of searching the area and capturing the hostiles. He organised the search at great personal risk and succeeded in capturing five armed hostiles in one raid and another three in a subsequent raid along with sizeable quantity of arms and ammunition.

In this action, Lieutenant Rakesh Dass displayed courage and determination.

10. 2/Lieutenant DAYAL SINGH, (IC-19902), Guards.

On the 25th June 1969, 2/Lieutenant Dayal Singh was ordered to raid a hostile camp with his company in an area in Nagaland. He moved ahead with a scout group consisting of five Other Ranks, followed by the rest of the company at a distance of 400 metres. As the scout group was moving through the jungle, it was suddenly fired upon from a flank by the hostiles who were camping there. Without waiting for the rest of the company to move up he at once ordered the scount group to charge at the camp with fixed bayonets and firing from the hips. The hostiles from the camp fired at the assaulting scout group led by this officer But undaunted by the hostile fire and in utter disregard of their own safety, 2/Lieutenant Dayal Singh and his men surged forward. The hostiles seeing this charge got unnerved and started running away However, the hostiles company commander was captured. Some arms, ammunition and documents were also captured

In this action, 2/Lieutenant Dayal Singh displayed courage and leadership

11. 2/Lieutenant MEERA SAHIB ABDUL RASHEED, (SS-19781), Signals.

2/Lieutenant Meera Sahib Abdul Rasheed was Incharge of a Signal Detachment of a Task Force. During the short period of about a week from 26th November to 2nd December 1968 when he acted as deputy leader of the Task Force, he maintained reliable communications under hazardous conditions and successfully organised a stop with his Detachment and an *ad hoc* infantry section to block an escape route about 100 metres away from the hostiles camp which was being attacked. Again, on the second phase of the operations from 17th March to 14th April 1969, conducted with the aim of capturing hostiles who had entered Nagaland, he hastily organised the communications of the sector in an efficient manner, acted as Administrative Officer and a relief staff officer, thereby contributing largely to the smooth functioning of the Sector Headquarters.

Throughout, 2/Lieutenant Meera Sahib Abdul Rasheed displayed courage and devotion to duty.

12. 2/Lieutenant NADUVATH VISWAMBHARAN NAIR, (SS-20629), Jat.

On the 25th January 1969, at about 2300 hours, 2/Lieutenant Naduvath Viswambharan Nair received information about the presence of hostiles in a hideout approximately five miles from his post in Mizo Hills. He immediately collected a section and led the patrol himself. He reached the place at about 0350 hours and completely surprised the hostiles party. He killed two hostiles and captured two rifles. Again, on the 14th March 1969, on getting information regarding the presence of hostiles, he led the patrol through thick jungle and difficult country. He reached the spot and recovered large quantity of ammunition, equipment and valuable documents. On the 17th April 1969, he again received information regarding the presence of hostiles approximately eight miles from his post. On reaching the place, he immediately deployed his men, and himself, with four Other Ranks, rushed towards the hideout. The hostiles opened fire and tried to escape. Undaunted, he pursued them and killed all the four hostiles and recovered arms, large quantity of ammunition, documents and other equipment.

Throughout, 2/Lieutenant Naduvath Viswambharan Nair displayed courage and determination.

13. JC-14152 Subedar BALBHADAR SINGH, JAK Rifles.

On the 18th April 1969, Subedar Balbhadar Singh was given the task of intercepting with his platoon a hostiles gang reported to be in a thick jungle in a most difficult terrain in the Mizo District. While the platoon was carrying out search in a deep nullah in the area, the hostiles opened fire suddenly. The visibility was very poor and the hostiles held dominating positions. Subedar Balbhadar Singh quickly appreciated the situation and got into a position from where he could himself engage the hostiles with effective fire. Meanwhile he also positioned the platoon and directed his men to move on to higher ground from where they could effectively engage the hostiles. In the fighting, two hostiles were killed and some weapons and ammunition were captured.

In this encounter, Subedar Balbhadar Singh displayed courage and determination.

14. JC-15901 Subedar GURCHARAN SINGH, Sikh.

On the 12th June 1969, Subedar Gurcharan Singh, whilst commanding a platoon of an Infantry unit in the Mizo Hills, was assigned the task of gaining information about the movements of hostiles and to apprehend them. He left the base with his platoon at 0100 hours and established an observation post. After observing for a few hours, he moved to another location and established a post by 1400 hours. While in the later post, he observed some smoke in the area, which aroused suspicion about presence of a hostile camp. He carefully planned and moved closer to the suspected camp during night through cross-country route and raided the suspected camp at 0400 hours on the 13th June 1969. He found a well concealed basha but there were no occupants. However, there was evidence of its having been abandoned a few hours before. He carried out a search of the area and found foot marks leading towards a river which he followed with his platoon. While on the trial, he spotted a man in civilian clothes bringing water from the river and joining the other two carrying weapons. He at once signalled the platoon to encircle the hostiles, who opened fire with rifles. He immediatly led an assault. In the encounter, one hostile was killed and the remaining two were wounded who jumped into the flooded river. Some weapons and ammunition were captured. Besides this particular action, Subedar Gurcharan Singh has consistently done well in operations under difficult conditions.

Throughout, Subedar Gurcharan Singh has displayed courage and devotion to duty.

15. JC-26941 Subedar JETHU BHA, Rajputana Rifles.

At about 0030 hours on 22nd September 1969, information was received in the Battalion Headquarters that mobs of approximately 300 each belonging to two communities had gathered in Wadwarawas, Ahmedabad. It was also reported that the mobs were armed with lethal weapons and there was an apprehension of large scale rioting. Subedar Jethu Bha, with 10 men, was rushed to the spot. On reacnnig there, he saw that the mobs were frenzied and throwing brick-bats at each other. He also saw people with ladders and bottles of petrol. Disregarding his personal safety, he rushed between the two parties. Seeing this, his men also followed him and they were successful in disarming and pacifying the mobs.

In this action, Subedar Jethu Bha displayed courage and initiative.

16. JC-12168 Subedar SULTAN SINGH, Jat.

On the 28th August 1968, Subedar Sultan Singh was in command of a post in the Mizo Hills. On receiving information that some hostiles were hiding in a jungle, he rushed with his men to the site, surrounded the hostiles, killed two of them and recovered one rifle along with ammunition. On another occasion on the 5th October 1968, he was informed that some hostiles hiding in the jungle were demanding 40 Kgs. of rice. He handed over the required quantity of rice to a person for being given to the hostiles and followed him with his men to the site. On reaching the site, he saw two hostiles collecting rice. He immediately encircled them, killed one of them and wounded the other. He recovered two rifles with ammunition. He participated in a number of other operations in which besides some hostiles, some weapons and ammunition were also captured.

Throughout, Subedar Sultan Singh has displayed courage and determination.

17. JC-15343 Subedar TALMAN LIMBU, Gorkha Rifles.

On the 19th March 1969, Subedar Talman Limbu was second-in-command of a company of Gorkha Rifles which was detailed to carry out a search of a village in Nagaland. During the night of 20th/21st March 1969, the company advanced and surrounded the village by 0430 hours. The Company Commander along with the Central Reserve Police personnel entered the village to carry out the search, and placed Subdar Limbu in overall charge of three different stops towards South of the village. At about 0445 hours, Subedar Limbu saw some five personnel approaching towards one of his stops. On being challenged, they started running down a hill along a nullah. Subedar Limbu gave immediate orders to one of his stops to fire as a result of which one hostile was killed and another was captured. One rifle, one sten gun, ammunition, equipment and some documents were recovered from them. On the 26th March 1969, he moved to another area along with his company for establishing a camp and guarding hostile prisoners. He assisted his company commander in the segregation and documentation of the hostiles and guarding the prisoners by working round the clock. On the 5th October 1968, when one of the patrols of his unit which had been sent on an operational reconnaissance was overdue by 48 hours, he was sent with a patrol to search them. After searching non-stop for 20 hours, he located all the members of the patrol and brought them back safely.

Throughout, Subedar Talman Limbu displayed courage and devotion to duty.

18. JC-34208 Naib Subedar BISHAN SINGH, Engineer.

During the conflict with Pakistan in 1965, a large number of anti-personnel mines were laid in an area in the Rann of Kutch. On termination of hostilities, most of these mines were recovered lifted but a large number could not be lifted as the minefield got submerged in rain water and the area became a saline marsh. Consequently, a number of mines drifted from their original position making their recovery most dangerous. With the publication of Kutch award it became imperative to clear the minefield as the new international boundry passed through it. Since the area was extensive and exact location of mines unknown, the breaching was undertaken by using road rollers suitably modified to withstand the blast effect of powerful mines still lying undetected in the area. On the 16th April 1969, while the mine breaching operation was in progress in that area, one mine got detonated under the road roller immobilising it and causing considerable damage to its engine. Naib Subedar Bishan Singh,

who was supervising the operation, finding the ground soft and suspecting the area heavily mined, took an immediate decision on his own to discontinue the use of road rollers to avoid any further damage to them and decided to clear the area by hand breaching, at great risk to his life. With the help of Havildar Prem Singh, he breached the area for 3 continuous days and recovered a large number of mines.

In this operation, Subedar Bishan Singh displayed courage and determination.

19 JC-44985 Naib Subedar KRISHAN CHAND, JAK Rifles.

On the 17th March 1969, Naib Subedar Krishan Chand was given the task of raiding with his platoon, a strong hostiles hide-out located in an extremely difficult terrain in the Mizo District Before reaching the hide-out, his platoon was suddenly fired upon by the hostiles from dominating positions with rifles and stens. He immediately led a charge on the hostiles and killed four hostiles and captured two weapons and some ammunition. There was no casualty or loss to his platoon. Again, on the 25th March 1969, while he was carrying out search in a thickly wooded area, his platoon was suddenly fired upon by hostiles. He quickly organised his platoon and chased the hostiles, and killed two hostiles and recovered three weapons and ammunition.

Throughout, Naib Subedar Krishan Chand displayed courage and determination.

20. JC-39445 Naib Subedar REWAT SINGH, Rajputana Rifles.

At 0330 hours on 22nd September 1969 Naib Subedar Rewat Singh was on patrol duty with 6 men in Ahmedabad. He came across a mob of approximately 50 men armed with lethal weapons trying to enter some houses. He warned the mob to disperse but they refused to do so. Suddenly, he saw some movement in a narrow dark lane As all his men were committed, he went into the lane alone and found that two men were trying to set fire to a house Unmindful of his own safety, he grappled with one of the miscreants and managed to pull away the ladder on which another miscreant was climbing to set fire to the house, and thus prevented a fire which might have engulfed a large number of houses.

In this action, Naib Subedar Rewat Singh displayed courage and determination.

21. 61785 Jemadar MANI KUMAR RAI, Assam Rifles.

On the 4th June 1969 at 2200 hours information was received at a post about the presence of some armed hostiles in an area in Mizo Hills. Due to disruption of wireless communication on account of bad weather, the information could not be conveyed to Battalion Headquarters. Jemadar Mani Kumar Rai, who was present at the post without losing any time, set out with a patrol party of 20 Other Ranks to locate the hostiles. At 0410 hours, while the patrol was searching the area, hostiles opened fire with Sten Guns, Rifles and other small arms. The JCO assaulted the hostiles position. In the encounter, 3 hostiles were killed and 3 were captured. Some arms, ammunition, equipment, documents and currency were also captured.

In this encounter Jemadar Mani Kumar Rai displayed courage and devotion to duty.

22. 2743608 Company Havildar Major DHONDIRAM JAGTAP, Maratha.

On the 21st March 1968 at 0800 hours, on receipt of information that some hostiles were hiding in a village in Nagaland, Company Havildar Major Dhondiram Jagtap was ordered to search the area with a patrol of 19 Sepoys and 11 armed policemen. The patrol carried out the task and succeeded in capturing 10 hostiles with 11 weapons, 3,590 rounds of ammunition and 11 hand-grenades. He carried out his task in a fearless manner and inspired his men to operate with courage in the face of a well armed hostile party.

In this operation, Company Havildar Major Dhondiram Jagtap displayed courage and determination.

23. 3343775 Havildar MOHINDER SINGH, Sikh Regiment.

On the 9th July 1968, Havildar Instructor Mohinder Singh of High Altitude Warfare School, was leading a 'rope' of four N.C.O. students who were conducting advance rock climbing training at road rock training area in J&K. He had reached a height of about 120 feet and was trying to get a hand hold on a solid projecting rock. When he put pressure on this projecting rock, it became loose and was in danger of sliding down Realising the grave danger to the personnel of his rope and to the eight personnel on two other ropes directly below his own, he found a precarious foothold on the rock face and with one hand clinging to the rock face, supported the dislodged rock with the other and held it from sliding down. He continued to do this, despite the tremendous physical strain, for nearly forty minutes, until another party of instructors was lowered from above and had secured the dislodged rock with ropes.

In this action, Havildar Mohinder Singh displayed courage and determination.

24. 1409342 Havildar PREM SINGH, Engineers.

During the conflict with Pakistan in 1965, a large number of anti-personnel mines were laid in an area in the Rann of Kutch. On termination of hostilities, most of these mines were recovered/lifted but a large number could not be lifted as the minefield got submerged in rain water and the area became a saline marsh. Consequently a number of mines drifted from their original position making their recovery most dangerous. With the publication of Kutch award, it became imperative to clear the minefield as the new international boundry passed through it. Since the area was extensive and exact location of mines unknown the breaching was undertaken by using road rollers suitably modified to withstand the blast effect of powerful mines still lying undetected in the area On the 16th April 1969, while the mine breaching operation was in progress in that area, one mine got detonated under the road roller immobilising it and causing considerable damage to its engine. Finding the ground soft and suspecting the area to be heavily mined, Havildar Prem Singh, discontinued the use of road rollers to avoid any further damage to them and under the guidance of his Supervisor resorted to hand breaching He along with his supervisor Naib Subedar Bishan Singh, breached the area for 3 continuous days and recovered a large number of mines.

In this operation, Havildar Prem Singh displayed courage and determination.

25. 2739528 Lance Havildar GANPAT JADHAV, Maratha.

On the 15th March 1969, a platoon was sent out under Lance Havildar Ganpat Jadhav to strengthen a cordon placed around a gang of hostiles who had entered an area in Nagaland. The hostiles within the cordon being chased by other troops were making desperate attempts to escape. Lance Havildar Ganpat Jadhav kept his men alert day and night and no hostile was allowed to escape from his portion of the cordon. At about 0900 hours on the 17th March 1969, he noticed movement in a bush approximately 60 yards in front of his position. He made an effort to scan the suspected area and as he did so, two Light Machine Gun bursts were fired in his direction by the hostiles. He immediately fired a couple of Light Machine Gun bursts and then with some of his men charged towards the area from where the hostiles had opened fire. Noticing three hostiles fleeing into the jungle, he, disregarding his personal safety, chased them and captured one hostile with two semi-automatic rifles several rounds of ammunition and equipment. On the next day, he captured two more hostiles.

In this action, Lance Havildar Ganpat Jadhav displaced courage and determination.

26 4141518 Naik BHAGWAN SINGH, Rajputana Rifles.

Naik Bhagwan Singh, with a section of a company of the Rajputana Rifles, was entrusted with the task of intercepting hostiles in a village in Nagaland At about 0130 hours in 27th March 1969, a party of 5 armed hostiles walked into the trap With complete disregard to personal safety, he pounced on the hostiles at a very close quarter. The hostiles were completely taken by surprise and did not have time to react, and ultimately surrendered with some arms, ammunition and equipment.

In this action, Naik Bhagwan Singh displayed courage and initiative.

27. 3348955 Naik GURBACHAN SINGH, Sikh.

On 7th May 1969, Naik Gurbachan Singh was in command of the leading section of a platoon which was entrusted

with the task of attacking a hostile camp in the Mizo Hills. On reaching close to the camp, the column was fired upon by the hostile sentry, who was immediately overpowered and shot dead by the section led by Naik Gurbachan Singh. Other occupants of the hostile camp also immediately opened fire and continued firing for about ten minutes. Quickly appreciating the situation, the Column Commander with his platoon surrounded and assaulted the camp. When the hostiles attempted to escape, Naik Gurbachan Singh, with his section, chased the escaping hostiles through thick jungle and shot dead three hostiles and captured their weapons.

In this action, Naik Gurbachan Singh displayed courage and leadership.

28. 16885 Naik KHIM BAHADUR GURUNG, Assam Rifles.

On the 9th September 1968, a platoon of Assam Rifles was ordered to search a village in the Mizo Hills. The platoon, after deploying two sections as stops, entered the village at about 0400 hours. While one section under the command of Naik Khim Bahadur Gurung was searching the jungle in the proximity of the village, a group of hostiles, approximately a section strength, opened fire. He, with his section, charged the hostiles against heavy intense fire, as a result of which the hostiles were demoralised and fled away leaving behind 3 rifles, 93 rounds of ammunition and some valuable documents. Again, on the 23rd October 1968, at about 0600 hours, the section under Naik Khim Bahadur Gurung was in ambush alongwith other sections. While the sections were in ambush, he captured 2 hostiles along with some valuable documents.

Throughout, Naik Khim Bahadur Gurung displayed courage and determination.

29. 2854309 Rifleman BHANWAR SINGH, Rajputana Rifles.

Rifleman Bhanwar Singh, while on patrol on the night of 7th/8th March 1969 near a village in Nagaland, spotted group of armed hostiles near the track on which the patrol was moving. He promptly charged the hostiles without allowing them any time to disperse in the darkness. In the ensuing hand-to-hand fight, he wounded and overpowered two of the hostiles.

In this encounter, Rifleman Bhanwar Singh displayed courage and determination.

30. 2860897 Rifleman JHALA PRAVIN SINGH KANUBHA, Rajputana Rifles.

During the disturbances in Gujarat, Rifleman Jhala Pravin Singh Kanubha was a member of a protection party while a house was being searched in Ahmedabad on the 25th September 1969. Suddenly a miscreant brandishing a sword came out of the house and tried to strike at Rifleman Kanubha who was blocking his way. The O.R. parried the blow and knocked down the miscreant. The arrest of this miscreant led to the arrest of seven more miscreants with lethal weapons

In this action, Rifleman Jhala Pravin Singh Kanubha displayed courage and devotion to duty.

31. 2751431 Sepoy BABAN NAGARE, Maratha.

On the morning of the 17th March 1968, a platoon of the Maratha Regiment was entrusted with the task of locating a gang of hostiles in Nagaland. Sepoy Baban Nagare was the leading scout in one of the sections of the platoon. At about 0545 hours when the platoon was crossing a nullah in the jungle, the hostiles opened automatic fire on the leading section. Sepoy Baban Nagare located the place from where the fire came and under the orders of his section commander, assaulted the position of the hostiles and captured a submachine gun with ammunition. Alongwith his section commander and a sepoy, he chased the hostiles for approximately one mile and captured three hostiles.

In this action, Sepoy Baban Nagare displayed courage and determination

32. 7047085 Sepoy Driver Recovery BACHAMANDRA UTHAPPA POOVAPPA, Electrical and Mechanical Engineers.

There was continuous rain in Gujarat State from 7th September 1969 to 11th September 1969, causing floods in most of the rivers On the night of 10th September, 1969 river Viswamitri in Baroda was in spate and large areas on its banks were flooded. An OR of Electrical and Mechanical Engineering School, Baroda, while returning to Harni Camp was caught in the flood waters. He climbed on a tree to save himself and spent the whole night there. By 0700 hours on 11th September 1969, he was surrounded by 10 to 15 feet deep water having a fast current. He was spotted at 0900 hours on 11th September 1969 by a search party who were looking for the missing man. Due to very fast current and deep waters, rescue was dangerous, Sepoy Bachamandra Uthappa Poovappa and another OR who were members of the Search Party volunteered to go to his rescue unmindful of their personal safety. A raft was improvised on which these men attempted to reach the marooned soldier. They were swept away by the fast current and were unsuccessful, Sepoy Poovappa then decided to establish a line across the fast current using the trees and twice attempted to swim across with a manila rope but was swept away by the fast current. Only on the third attempt he was successful in establishing a rope line between the trees. He then put the marooned man on his shoulder and brought him safely across the swirling waters with the help of the rope strung across the trees.

In this action, Sepoy Driver Recovery Bachamandra Uthappa Poovappa displayed courage and initiative.

33. 2547450 Sepoy CHINNAPPAN, Madras

Sepoy Chinnappan was detailed as a member of a special patrol sent for intercepting hostiles in Nagaland. On the 9th April 1969, he saw three hostiles, fully armed, approaching towards the patrol. He immediately alerted the patrol leader who ordered the patrol to take up an ambush position. The hostiles immediately opened fire which was returned by the patrol. While the exchange of fire was taking place Sepoy Chinnappan jumped out of his position and captured one armed hostile in utter disregard of his personal safety.

In this action, Sepoy Chinnappan displayed courage and determination.

34. 7075436 Sepoy Driver (MT) SHANTA RAM MORE, Electrical and Mechanical Engineers.

On the night of the 10th September 1969 river Viswamitri in Baroda was in spate and large areas on its banks were flooded An OR of the Electrical Mechanical Engineering School, Baroda, while returning to Harni Camp, was caught in the flood waters. He climbed on a tree to save himself and spent the whole night there. By 0700 hours on the 11th September 1969, he was surrounded by 10 to 15 feet deep water having a fast current. He was spotted at 0900 hours on the 11th September 1969 by a search party who were looking for the missing man. Due to very fast current and deep waters, rescue was dangerous. Sepoy Shanta Ram More and another OR who were members of the search party, volunteered to go to his rescue unmindful of their personal safety. A raft was improvised on which these men attempted to reach the marooned soldier but were swept away by the fast current and were unsuccessful. It was then decided to establish a line across the fast current using the trees Sepoy More twice attempted to swim across with a manila rope but was swept away by the fast current. Only on the third attempt, he was successful in establishing a rope line between the trees. Thereafter, the other OR put the marooned man on his shoulder and brought him safely across the swirling water with the help of the rope strung across the trees.

In this action, Sepoy Driver (MT) Shanta Ram More displayed courage and determination.

No 16-*Pres*/70.—The President is pleased to approve the award of the "VAYU SENA MEDAL"/"AIR FORCE MEDAL" to the undermentioned personnel for acts of exceptional devotion to duty or courage.—

1. Wing Commander ARUN KANTI MUKHERJEE (4416), General Duties (Pilot)

Wing Commander Arun Kanti Mukherjee has been one of the pioneer supersonic pilots of the Indian Air Force. He has a total of 2,430 hours of flying to his credit and has flown over 1,200 sorties in the supersonic aircraft. In June 1967, he took over the command of a squadron which was responsible for the conversion training of pilots on the supersonic type. A large number of pilots have passed out from this squadron without a single serious mishap. Under the able leadership of Wing Commander Mukherjee, the Squadron has not only become a good conversion unit but it has also achieved a high degree of operational preparedness In 1968, the squadron received tripe trophies for the

best maintained supersonic squadron, the best squadron and the individual rocket trophy.

Throughout, Wing Commander Arun Kanti Mukherjee displayed courage, determination and devotion to duty.

2. Wing Commander BHUPENDERA NATH MISRA (4079), General Duties (Pilot)

Wing Commander Bhupendera Nath Misra has been in command of a Fighter Squadron in the Indian Air Force for the last 18 months. During this period, the Squadron has carried out extensive training and has participated creditably in all the exercises held by Headquarters, Western Air Command. The Squadron was assessed as the best of its type in the Command for the year 1968-69. The enthusiasm and the sense of purpose created by this officer amongst the personnel of his Squadron helped him to set up a record in getting the entire Squadron instrument rated for the first time. The present high state of operational readiness of the Squadron is due to the personal example set by the officer.

Throughout, Wing Commander Bhupendera Nath Misra displayed courage and professional skill.

3. Wing Commander CECIL VIVIAN PARKER (4346) General Duties (Pilot)

Wing Commander Cecil Vivian Parker formed an operational training unit in October 1966, and was the Unit's first Commanding Officer. He is responsible for the high level of instructional technique, standardisation and quality of pupils that have passed through the unit. From its inception, the Unit has fulfilled two rolles, *viz*. Training and Operational. Accomplishment of these two roles in the face of various difficulties, was due to the high organising ability of Wing Commander Parker. It has been solely due to his efforts that the Unit successfully met all commitments with the highest utilisation rate of the aircraft and the lowest accident rate.

Throughout, Wing Commander Cecil Vivian Parker showed courage and exceptional devotion to duty.

4. Wing Commander DALBIR YADAV (4241) General Duties (Pilot)

Wing Commander Dalbir Yadav has been commanding a squadron since 4th October 1966. During this period he has devoted himself whole-heartedly towards bringing up and maintaining his unit at a very high state of operational readiness. He has strived hard in training young and raw pilots to "Fully Operational" status. He has also rendered valuable help to the air staff in Headquarters Western Air Command, in planning and executing the Gunnery-Meet Exercises which are so necessary for continuous assessment of the operational standard of the squadron.

Throughout, Wing Commander Dalbir Yadav has shown courage and exceptional devotion to duty.

5. Wing Commander DENZIL SATUR (4339) General Duties (Pilot)

Wing Commander Denzil Satur has been in Command of a Squadron for the last 2½ years. He has a distinguished record in operational flying and has a total of about 3,507 hours on fighters to his credit. Under his leadership the squadron has fulfilled all the tasks allotted to it efficiently. His professional ability in combat flying has been a source of inspiration to the pilots under his command. Inspite of heavy odds he has brought the squadron to a high standard of combat readiness.

Throughout Wing Commander Denzil Satur displayed courage, leadership and devotion to duty.

6. Wing Commander JAYARAM NILKANTH JATAR (4040), General Duties (Pilot)

Wing Commander Jayaram Nilkanth Jatar has been commanding a squadron since August 1967. His zeal and untiring efforts have led to an increase in the monthly flying hours and a substantial reduction in the accident/incident rate. The Squadron has also won the Command Gunnery Trophy for 1968. During his command, the Squadron was called upon to operate a number of detachments. He successfully met these commitments. He has also successfully devised a light weight starting system to enhance the squadron's mobility besides ways to improve the serviceability of the ground equipment. He was the top scorer during the 1968 Command Gunnery Meet. Once when an aircraft had force-landed at a Landing ground and its retrieval became a problem due to the surrounding obstructions and the uneven surface of the runway area he, with his exceptional airmanship, was able to execute a take-off and bring the aircraft safe to the base.

Throughout, Wing Commander Jayaram Nilkanth Jatar displayed courage devotion to duty and exceptional airmanship.

7. Wing Commander KSHIRODE KRISHNA SEN, VM (4495), General Duties (Pilot)

[BAR to Vayu Sena Medal]

On 27th February 1969 Wing Commander Kshirode Krishna Sen was flying a jet, giving pre-sole instruction to a trainee pilot under conversion. While on the final approach, about ten kilometers away from the airfield, the aircraft engine suddenly flamed out. He immediately took control of the rapidly sinking aircraft and ordered the trainee pilot to eject. The ejection process jeopardised his own safety because it blackened the periscope and totally cut out his front view. In spite of this, with determination and courage he kept direction and control of the aircraft and eventually crash-landed it at the airfield. Thus, he not only saved the lives of many civilians on the ground but also made it possible for the administration to investigate the cause of the engine failure and take remedial action.

Throughout, Wing Commander Kshirode Krishna Sen displayed courage and devotion to duty.

8. Wing Commander KRISHAN KANT SAINI (4436), Vr. C. General Duties (Pilot)

Wing Commander Krishna Kant Saini joined the IAF in January 1953. During his service career, he has held many important flying appointments, including the command of a Squadron. He was detailed to carry out environmental trials of four different types of helicopter during the period November 1968—August 1969. These trials entailed flying at very high altitudes in difficult terrain and in adverse weather conditions. On a number of occasions, he faced hazardous situations with exceptional skill and courage. On the 8th May 1969, during the course of an evaluation trial, he landed and took off from an altitude of 22,500 feet setting a world record for any class of helicopter.

Throughout, Wing Commander Krishan Kant Saini displayed exceptional skill and courage.

9. Wing Commander MANDOKOLLATHUR GOPALASWAMY RAMACHANDRA (4033), General Duties (Pilot)

Wing Commander Mandokollathur Gopalaswamy Ramachandra was commanding a squadron from 18th July 1966 to 16th August 1969. Although there were no firing ranges available at or near his base with proper planning he effectively trained his air and ground crews in the various operational roles. He was always able to put more than the required number of aircraft on the line with fully operational crew on various air exercises ordered by the Command and Air Headquarters. His crews executed the tasks assigned to them successfully. The average monthly flying and utilisation rate of the squadron's aircraft, during his stewardship, had been the maximum with minimum rate of accidents/incidents.

Throughout, Wing Commander Mandokollathur Gopalaswamy Ramachandra displayed courage and devotion to duty.

10. Wing Commander MOHINDER SINGH BAWA (4494), General Duties (Pilot)

Wing Commander Mohinder Singh Bawa took over command of a fighter squadron in 1968. The Squadron was just then being raised and equipped with the latest aircraft. With limited resources, he had to create a base from which the subsequent squadrons of the Indian Air Force could be formed. Apart from training of personnel on a highly sophisticated aircraft, the squadron was faced with many difficulties in the induction of this equipment. During the short period of one year, the squadron reached a fully operational status; the officer set a personal example by attaining the highest instrument rating on supersonic aircraft.

Throughout, Wing Commander Mohinder Singh Bawa displayed courage and devotion to duty.

11. Wing Commander KAPIL DEV CHADHA (3845) General Duties (Pilot)

Wing Commander Kapil Dev Chadha took over as Commanding Officer of a Transport Squadron in 1967. During the period of his command, the squadron has accomplished the air maintenance task of 12,000 tonnes in one year, flying over 12,000 accident free hours. This has been an all-time record in the squadron history. During the last 15 years, the officer has flown over 4,500 hours as Captain without any accident and has held the highest professional qualification.

Throughout, Wing Commander Kapil Dev Chadha displayed courage, leadership and devotion to duty.

12. Wing Commander SURENDRA NATH KAWLRA (3945), General Duties (Pilot)

Wing Commander Surendra Nath Kawlra has been commanding a squadron for the last 15 months. Throughout this period, he has applied himself to the task of increasing the operational efficiency of his squadron with commendable energy and enthusiasm. He has ensured a high standard of performance by his squadron not only in the primary task assigned to it but also in other fields of service activity. During the period of his command, the squadron has taken part in many exercises and its consistently good performance has undoubtedly been, in a large measure, due to his leadership. For his performance during an Air Exercise, he was commended by the Chief of the Air Staff. Not only did the squadron achieve the best overall results, thereby winning the Annual Air Trophy, but Wing Commander Kawlra's own individual performance was outstanding and earned him the trophy for the best individual bombing.

Throughout, Wing Commander Surendera Nath Kawlra displayed leadership and exceptional devotion to duty.

13. Wing Commander SURINDER SINGH (4239), General Duties (Pilot)

Wing Commander Surinder Singh has been commanding a transport squadron since September 1966. This squadron has been primarily responsible for the air maintenance of far-flung areas on the Northern border. Despite many difficulties, he reorganised the Squadron which enabled it to meet special commitments at short notice. He has flown over 1 500 hours in the hazardous terrain in NEFA, Naga Hills, etc. He has also undertaken numerous flights for flood relief in the country. He served with UNEF in the Congo in 1960, where he flew a number of missions in complete disregard of his safety.

Throughout, Wing Commander Surinder Singh displayed courage and devotion to duty.

14. Wing Commander VIJAY CHAND MANKOTIA (4041), General Duties (Pilot)

Wing Commander Vijay Chand Mankotia has been a transport pilot since January 1951. In June 1967, he assumed command of a Transport Squadron He worked out a detailed training and operational programme with the aim of achieving the maximum operational status in the shortest possible time. His greatest contribution in building up the operational status was the personal lead he took in all matters connected with the various operational tasks allotted to the squadron. He is an able and experienced flier with a total of 4850 hours of which 1280 hours are operational hours; he is personally capable of undertaking any flying task.

Throughout, Wing Commander Vijay Chand Mankotia displayed courage and determination.

15. Squadron Leader BIRENDRA DATT DANGWAL (4839), General Duties (Pilot)

Squadron Leader Birendra Datt Dangwal has been in Command of a Helicopter Unit from November 1965. He has flown 730 accident free hours including 470 hours on operational commitments. Further, being a qualified Flying Instructor he has also been responsible for conducting the operational training of his pilots. His efforts have enabled the Squadron to fulfil its operational tasks creditably During the floods in North Bengal in 1968 his unit airlifted supplies and evacuated casualties and marooned people from difficult and inaccessible places. He fulfilled the task by skilful handling of the air and ground crew.

Throughout, Squadron Leader Birendra Datt Dangwal Displayed courage and devotion to duty.

16. Squadron Leader BRIJESH DHAR JAYAL (4972), General Duties (Pilot)

Squadron Leader Brijesh Dhar Jayal worked as a test pilot from 26th September 1966 to 30th December 1968. During this period, the officer was associated with a number of trials on various aircraft. He was responsible for working out the radii of action and take off techniques in various configurations in respect of a new type of supersonic aircraft. He successfully evolved its gunnery techniques and helped in the adoption of the right and simpler type of the gun sight. Again, he was responsible for pinpointing the faults of a new trainer aircraft and for suggesting remedies to make it safe for flying. His contributions in many other fields of military aviation also have been significant. He volunteered to undertake every trial given to his unit. His performance in every case was commendable. He put in long working hours in an effort to complete the trials in the shortest possible time.

Throughout, Squadron Leader Brijesh Dhar Jayal displaced courage, initiative and determination.

17. Squadron Leader DEBENDRA NATH MUKERJEE (4670) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Debendra Nath Mukerjee was posted to a communication squadron in October 1966, on completion of conversion training on to a new type of transport aircraft. During training, he was adjudged one of the best pilots in his course. On joining the Squadron, he was instrumental in organising the initial training on the type and its operational trials. He has flown more than 840 hours on the type without a single incident. He has also flown in Northern and Eastern Sectors where he was employed in Airlifting and Supply Dropping mission from 1960 till September 1966. During this time, he flew over 1,500 hours in operational areas. He also flew vital air supply missions during the India-Pakistan conflict in 1965. He has flown about 5,200 hours and has the distinction of having an accident free record In all the commitments given to Squadron Leader Mukerjee, he has discharged his duties with utmost skill and enthusiasm

Throughout, Squadron Leader Debendra Nath Mukerjee displayed courage, professional skill and devotion to duty.

18. Squadron Leader DALIP SINGH SABHERWAL (4756) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Dalip Singh Sabherwal has been engaged in airlift operations for nearly six years. He has flown over 6 700 hours, of which 1,670 hours were on operational missions. In December 1967, he was detailed to study the feasibility of heavy transport aircraft operation in one of the border sectors. He personally undertook most of the trial flights in the difficult terrain of the area and finally helped in compiling the operating procedures which made subsequent operations in the area both productive and safe. When he was a Detachment Commander in one of the operational areas in March 1969, he accomplished a record airlift of over 1,000 tonnes in a month with only a few aircraft.

Throughout, Squadron Leader Dalip Singh Sabherwal displayed courage and devotion to duty

19. Squadron Leader DINANATH NADKARNI (5587) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Dinanath Nadkarni has flown over 2,000 hours. His performance in flying has been outstanding. While comparatively junior, he became a member of the only Aerobatic Team of the I.A.F. During his last 4½ years stay in an operational Squadron, he has flown a total of 955 sorties out of which 112 sorties were by night. He has always volunteered for the most difficult task in the Squadron whether in the air or on the ground. His courage leadership and initiative have been a source of inspiration to all the men in the Squadron.

Throughout, Squadron Leader Dinanath Nadkarni displayed courage leadership and initiative.

20 Squadron Leader KIRPAL SINGH (5115) (5208) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Kirpal Singh has been engaged on flight testing of various high speed aircraft since April 1967. In

this assignment, he has flown 400 hours. His approach towards production testing has always been intelligent and dynamic and his ability to recognise the defects of aircraft in the air has helped the ground crew immensely in their task. He has displayed cool courage in the face of grave emergencies in inclement weather conditions.

Throughout, Squadron Leader Kirpal Singh displayed cool courage and devotion to duty.

21. Squadron Leader KUTHIRODAN BHASKARAN (5208) General Duties (Navigator).

After completion of his conversion training on to a new type of aircraft, Squadron Leader Kuthirodan Bhaskaran was posted to a Communication Squadron in February 1967 for navigational duties. During training, he was adjudged as exceptional in his batch. After arrival in the squadron, he undertook the conversion of other navigators in the squadron on the type and successfully achieved this task in a remarkably short time. As Navigator Instructor, he has previously worked in Navigation School and in Transport Training Wing and has the distinction of having his pupil navigators pass out on top of the course list. He has flown about 5,000 hours of which 1,300 hours have been during his tenure in the Communication Squadron. His hard work and very high professional skill is responsible for bringing up the standard of Navigators in the squadron.

Throughout, Squadron Leader Kuthirodan Bhaskaran displayed courage and professional skill.

22. Squadron Leader MANGATIL KARAKAD CHANDRASEKHAR (4720) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Mangatil Karakad Chandrasekhar joined a transport squadron about a year ago. During this period, he has carried out over 800 hours of operational flying, totally unmindful of operational fatigue. He has also contributed substantially to the build-up of operational pilots in the Squadron and the training of the newly posted officers. He holds the highest instrument rating and is an A2 instructor. In all his assignments, he has always displayed initiative of the highest order.

Throughout, Squadron Leader Mangatil Karakad Chandrasekhar displayed courage, initiative and professional skill.

23. Squadron Leader NORBERT JOSEPH MISQUITTA (5314) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Norbert Joseph Misquitta has been in Training Unit as a Flying Instructor since February 1966. During this period, he has flown a total of 1,300 hours including 950 instructional hours. On 12th August 1968, when his engine flamed out on the final approach, he took speedy relight action and landed the aircraft safely. Again, in February 1969, he went into an inverted spin while demonstrating a flick on top of a loop. He ordered the co-pilot to eject but himself continued with the emergency recovery actions, and finally managed to recover the aircraft from the spin, and land it safely.

Throughout, Squadron Leader Norbert Joseph Misquitta displayed courage, professional skill and devotion to duty.

24. Squadron Leader NARESH KUMAR (5057) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Naresh Kumar who has been commanding a Helicopter Unit was asked to undertake missions for providing relief to persons affected by floods in North Bengal in 1968. He rescued 9 persons on 5th October 1968, during one such mission. In the evening of the same day, flying as co-pilot, he saw a number of people surrounded by flood water. They were in grave danger and needed immediate rescue. It was already dusk and the visibility was going down. However, as commanding officer of the unit, Squadron Leader Naresh Kumar ordered the pilot to attempt rescue. Since landing was not possible, the helicopter was kept hovering a few inches from the ground. When marooned persons could not get into the helicopter, being too weak, he, disregarding his personal safety, jumped out of the helicopter and managed to put three persons on board. In a like manner, he helped the rescue of some more marooned persons on 6th October 1968. It was the result of his planning that in 14 days 650 tonnes of food and equipment were air-dropped and over 1,400 people rescued.

Throughout, Squadron Leader Naresh Kumar displayed courage, initiative and devotion to duty.

25. Squadron Leader RAJAGOPAL JAYAGOPAL (4977) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Rajagopal Jayagopal has been a Flight Commander of an operational squadron since October 1966. He has trained and qualified a number of pilots on the type and has thus substantially improved the operational potential of the squadron. He has flown 5,300 hours, including 2,190 accident free instructional hours. On 16th January 1967 during a instructional sortie, while the pupil was carrying out an assymetric landing, a sudden loss of elevator control was experienced on final approach. He took over the controls and landed the aircraft safely. Again on 22nd April 1969, he was carrying out an air test when the ramp door got stuck in fully down position. In this situation, the ground clearance while landing is only 1½". He again demonstrated a high standard of airmanship and professional skill by landing the aircraft without any damage.

Throughout, Squadron Leader Rajagopal Jayagopal displayed courage, professional skill and devotion to duty.

26. Squadron Leader SATISH KUMAR SAREEN (5370) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Satish Kumar Sareen has been flying fighter aircrat continuously since 1957; he has flown 2,140 hours on Jet aircraft. He took part in operation "Vijay" in December 1961 against the Portuguese and a few months later, achieved excellent results on the P.A.I. Course, breaking three Armament records. During his tenure as Flight Commander in a squadron between 1964 and 1966, he successfully led 10 operational missions in the Mizo hills. In the following year, while serving in another squadron, he flew over 200 hours in a short time. He has been serving as a Flight Commander in a squadron since May 1967. He has flown over 350 hours on supersonic aircraft. He obtained a "Master Green" Instrument Rating in the early stages of his squadron flying. He has set a fine example to all the pilots in the squadron and has produced an exceedingly good instrument and operational state.

Throughout, Squadron Leader Satish Kumar Sareen displayed courage and devotion to duty.

27. Squadron Leader SHASHIKUMAR SAMUEL RAMDAS (4930) Technical/Engineering.

Squadron Leader Shashikumar Samuel Ramdas has been working as the Engineering Officer of a testing unit since February 1966. He has also put in over 150 hours of flying. It was entirely due to his initiative, hard work and supervision that ground equipment was fabricated and servicing schedules were made out for a new type of aircraft in the unit. This in turn enabled the unit to continue flight tests, as a result of which recommendations for a substantial number of modifications and improvements could be made. He also carried out a close study of the ground equipment supplied by M/s. H. A. L. and made valuable recommendations regarding its re-design. It is because of his unfailing efforts that the ground equipment which will now go into service will be a vast improvement on the one initially supplied by the manufacturers. Squadron Leader Ramdas was also responsible for carrying out various systems assessments on the type. Here, he not only applied his knowledge as an engineering officer but also as a pilot, with the result that once again recommendations made by him when introduced will make servicing of the aircraft easier.

Throughout, Squadron Leader Shashikumar Samuel Ramdas displayed exceptional devotion to duty, initiative and professional skill.

28. Squadron Leader VIVIAN CHRISTOPHER GOODWIN (4798) General Duties (Pilot).

Squadron Leader Vivian Christopher Goodwin is serving as Flight Commander in an operational squadron. He has flown 1,350 hours on type. He took part in the Goa operations, the Congo operations and the 1965 conflict with Pakistan. On 29th November 1968, he took off on a cross-country flight. A few minutes after take-off, he lost aileron control due to a fire in the starboard wing. Even though the nature of the emergency warranted abandoning the aircraft, he brought it safely to base. While doing so, he avoided flying over populated areas, even though this prolonged the flight and greatly increased the danger to him personally.

Throughout, Squadron Leader Vivian Christopher Goodwin displayed courage and professional skill.

29. Flight Lieutenant ASHUTOSH KUMAR TRIPATHI (8686) General Duties (Pilot).

Flight Lieutenant Ashutosh Kumar Tripathi joined a flying unit in 1964. During his tenure in this Squadron, he has flown 2,586 hours, of which more than 1,500 hours were on air maintenance operations over the hazardous mountainous terrain in the Eastern area. He has always shown willingness to undertake the most arduous and demanding missions and has successfully accomplished the tasks. He has thus been a source of inspiration to others in the Squadron.

Throughout, Flight Lieutenant Ashutosh Kumar Tripathi displayed courage and devotion to duty.

30. Flight Lieutenant MANJIT SINGH DHILLON (7021) General Duties (Pilot).

Flight Lieutenant Manjit Singh Dhillon, General Duties (Pilot), has flown a total of 1,375 hours in forward areas in less than three years. He has flown 2,305 hours on helicopter aircraft without a single accident; most of the flying was over difficult hilly terrain. On 27th March 1967, two helicopters, one of which was flown by Flight Lieutenant Dhillon, were sent out on detachment to a forward area to carry out a search and rescue mission for an Army patrol which was lost in that extensive marshy area. Flight Lieutenant Dhillon carried out a very long hazardous search of the area, which had hardly a ground feature to pinpoint and was able to locate the lost patrol. After finding a suitable spot, he landed and rescued the patrol. During his flying career, Flight Lieutenant Dhillon has worked hard to train the unit pilots. Thus, his unit has always been in a high state of operational preparedness.

Throughout, Flight Lieutenant Manjit Singh Dhillon displayed courage and devotion to duty.

31. Flight Lieutenant OM PRAKASH SINGH (9143) Tech./Sigs. (Air).

Flight Lieutenant Om Prakash Singh has been serving with a heavy transport squadron since December 1965 in his fourth operational tenure. He has flown a total of 5,620 hours of which 2,260 hours were in the operational areas of J&K and the Eastern Sector. As the Signals Leader of the Squadron, he has imparted an extremely high standard of training to the Signaller crews which is reflected in a very commendable categorisation state and which in turn has contributed significantly towards the winning of the best categorised squadron trophy. He has enhanced the operational potential of one of the important transport squadrons by preparing its crews to operate the aircraft at all times in its multifarious roles.

Throughout, Flight Lieutenant Om Prakash Singh displayed courage and devotion to duty.

32. Flight Lieutenant ROHITON BURJOR FRAMJEE (7706) General Duties (Pilot).

Flight Lieutenant Rohiton Burjor Framjee has been employed in a transport Squadron since October 1966. He has to his credit 2,600 hours of flying out of which he flew about 900 hours during one year at times flying 100 hours a month. On 17th September 1968, while taking off at full all-up take off weight the jet pack caught fire and its rear portion flew off. The aircraft was in such a critical stage that the take off could not be abandoned. He courageously continued with the take off, controlled the engine fire and landed back the aircraft safely. Again, on 8th January 1969, soon after take off in a transport aircraft at maximum take off weight, when several passengers were on board, he experienced an abnormal vibration with a severe blurring of the instrument panel because of the port outer tyre burst. He immediately decided to land the aircraft on the remaining runway length, which was not much. He skilfully managed to stop the aircraft at the O.R.P. During this run of only 600 yards, the inner left tyre had also burst and soon after the port brake caught fire. Mustering the available personnel and using the portable fire extinguishers on board the aircraft, he quickly controlled the fire and thus saved valuable lives and an aircraft. Once again, during an engine failure in a forward area he skilfully controlled the emergency, completed the mission and subsequently carried out a single engine safe landing at base.

Throughout, Flight Lieutenant Rohiton Burjor Framjee displayed courage, professional skill and determination.

33. 41183 Warrant Officer CHANAN SINGH GILL GTI/PJI.

Warrant Officer Chanan Singh Gill joined the Royal Indian Air Force in 1944. In 1947, he received training as a Parachute Jumping Instructor at Chaklala. During the post-partition period, he was called upon to be in the first team of instructors selected for establishing the Paratroopers' Training School. Ever since then, he has been associated with experimental trial drops to develop and manufacture suitable equipment for para-drops. The trials included live jumps with new types of airborne valises, airborne kit bags, airborne stretchers and dropping of various types of containers and other heavy equipment. Many of the trials have been carried out in difficult terrain. Once when he was the leader of the ejection crew conducting a double platform dropping trial from a heavy transport aircraft, using the aircraft extractor system to deliver the load, the platform release strap was accidentally disengaged while the aircraft was over a village with the DZ still a mile away. The result was that the platform began to slide out of the aircraft. Realising the danger in letting the load drop on the village, which could have caused much damage to life and property, he immediately caught hold of the lashings attached to the platform and arrested its movement at the risk of being pulled out of the aircraft himself. He continued to hold the lashings in place at great risk to his life till the aircraft was able to drop the load over the DZ.

Throughout, Warrant Officer Chanan Singh Gill displayed courage and determination.

34. 209673 Flight Sergeant SAMUEL PONNIAH JAMES MARTIN Flight Gunner.

Flight Sergeant Samuel Ponniah James Martin has been serving in a heavy transport squadron since April 1964 as a Flight Gunner and Load Master. Though he joined the squadron as an *ab-initio* aircrew, his determination, initiative and keenness soon made him one of the best operational aircrew in the squadron. He has flown 2,173 hours, of which 1,405 hours were in the hilly terrain along the border. This senior non-commissioned officer has always cheerfully volunteered for difficult and hazardous flying missions and has shouldered difficult tasks on the ground in complete disregard of his personal safety and comforts. He has contributed significantly towards the operational potential of the squadron by formulating new loading and unloading procedures.

Throughout, Flight Sergeant Samuel Ponniah James Martin displayed courage and devotion to duty.

NAGENDRA SINGH, Secretary
to the President.

CABINET SECRETARIAT

Department of Statistics

New Delhi, the 2nd April 1970

No. Y-15012/70-*Tech.*—In accordance with paragraph 2 of the Department of Statistics Notification No. 8/3/65-Estt. II, dated the 1st February, 1966, the Government of India has appointed.

(i) Director,
Bureau of Economics & Statistics,
Government of Gujarat,
Ahmedabad.

(ii) Director,
Bureau of Economics & Statistics,
Government of Kerala,
Trivandrum.

(iii) Director of Economic Intelligence & Statistics,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

as members of the Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living *vice* Directors of State Statistical Bureaus included in the Committee *vide* this Department Notification No. 11/1/68-Tech., dated the 7th June, 1968, for a period of two years with effect from the 1st February, 1970.

K. P. GEETHAKRISHNAN, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 25th April 1970

No. 8/23/70-*CS.II.*—The rules for a competitive examination to be held by the Secretariat Training School, Ministry of Home Affairs, New Delhi in September, 1970, for the purpose of filling temporary vacancies in Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service are published for general information.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Secretariat Training School, Ministry of Home Affairs. Reservations will be made for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3. The examination will be conducted by the Secretariat Training School, Ministry of Home Affairs in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Secretariat Training School.

4. Any permanent or temporary regularly appointed officer to the Lower Division Grade or Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of Service.*—He should have, on the 1st January, 1970 rendered not less than three years' approved and continuous service in :—

(a) the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, or

(b) any other grade under the Central Government or the State Government the minimum and maximum scale of pay of which was not less than Rs. 55/- and Rs. 130/- respectively, prior to 1st July, 1959, and is not less than Rs. 110/- and 180/- respectively on or after the 1st July, 1959.

NOTE 1.—The limit of three years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service and partly elsewhere as mentioned in (a) and (b) respectively.

NOTE 2.—Officers of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer, if he continues to have a lien in the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service for the time being.

NOTE 3.—Regularly appointed officer to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade means an officer allotted to any of the cadres of the Central Secretariat Clerical Service at the commencement of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, or appointed thereafter on a long term basis to the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of that Service as the case may be according to the prescribed procedure.

(2) *Age.*—He should not be more than 40 years of age on the 1st Janary, 1970, *i.e.* he must not have been born earlier than 1st January, 1930.

NOTE.—The age limit of 40 years will apply to the Examinations to be held in 1970 and 1971 only. Thereafter the age limit will be 35 years.

5. The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight year if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has mirgrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

6. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), shall be permitted to compete more than three times at the examination; this restriction being effective from the present examination.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

7. The decision of the School as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

8. No candidates will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the School.

9. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the School's Notice.

10. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

11. A candidate who is or has been declared by the School guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false, or of suppressing material information, or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution—

(a) be debarred permanently or for a specified period by the Secretariat Training School, from admission to any examination or appearance at any interview held by the School for selection of candidates; and

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

12. After the examination, the candidates will be arranged by the School in the order of merit, as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the School to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who, though not qualified by the standard prescribed by the School is declared by them to be suitable for appointment to Grade III of the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as the case may be.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be appointed to Grade III of the Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for appointment as a Stenographer Grade III on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

13. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the School in their discretion and the School will not enter into correspondence with them regarding the result.

14. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to Grade III of the Service.

15. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'trasnfer' and does not have a lien on Central Secretariat Clerical Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a candidate who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

APPENDIX

Candidates will be given two dictation tests in English or in Hindi one at 100 words per minute for seven minutes, and another at 80 words per minute for ten minutes, which they will be required to transcribe in 50 and 65 minutes respectively.

2. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 100 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standards in dictation at 80 words per minute, persons in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate.

3. Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 6th April 1970

No. 1/52/67/*M&F*.—In view of urgent need for promoting exports, stepping up foreign exchange earnings and development of mica industry on sound lines, the Government of India have decided to set up a committee, named, Mica Advisory Committee. The composition of the Committee will be as follows :

Chairman

1. Shri C. N. Modawal, Director, Quality Control, Ministry of Foreign Trade, New Delhi.

Members

2. Representative of Department of Mines and Metals.
3. Representative of MMTC.
4. Shri S. B. Roy, Deputy Director, Central Glass Research Institute, Yadav Pur University, Calcutta.
5. Shri R. G. Agarwal, P.O. Domchanch, Hazari Bagh, Bihar.
6. Shri M. R Reddy, P O. Gudur District Nellore, Andhra Pradesh.
7. Shri S. S Mansinghka, Pussa Niwas, Rajasthan, Bhilwara.
8. Shri Om P. Wadhwa, Metores Corporation Private Ltd , Calcutta.
9. Shri Kota Reddy, P.O. Gudur District Nellore, Andhra Pradesh.
10. Shri C. M. Rajgarhia, Giridih, Bihar.
11. Shri S R. Sen Gupta, Secretary, Bihar Mica Exporters Association P.O. Giridih, Bihar.

Secretary

12. Shri R. N. Mukherjee.

2. The terms of reference of the Mica Advisory Committee will be as follows :—

(i) to prepare a development programme for mica industry and to recommend steps necessary for promoting exports of mica and mica products;

(ii) to prepare programme of market surveys and product development; and

(iii) to recommend steps which should be taken to improve mining of mica.

3. The Committee will submit its Report in about two month's time.

ORDER

ORDERED that this may be published in the Gazette of India for general information.

A. K. MUKHERJEE, Dy Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 25th February 1970

No. C6-2(1)/69-CVII.—It has been decided that with immediate effect the Deputy Secretary instead of Director Department of Mines and Metals, Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals, will be the Member-Secretary of the Joint Board on Mining Engineering Education and Training which was reconstituted *vide* erstwhile Ministry of Steel, Mines and Metals, Department of Mines and Metals Notification No. C6-2(10)/68, dated the 11th December, 1968.

It has also been decided to modify the above mentioned Notification as follows :—

I. *Chairman*

For Secretary, Department of Mines and Metals, Ministry of Steel, Mines and Metals.

Read Secretary, Department of Mines and Metals, Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines & Metals

II. *Members*

For 1. Coal Mining Adviser, Department of Mines and Metals Ministry of Steel, Mines and Metals.

Read 1. Coal Mining Adviser, Department of Mines and Metals, Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals.

For 2. A representative of the Ministry of Education.

Read 2. A representative of Ministry of Education and Youth Services.

M. S. K. RAMASWAMI, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

Company Law Board

ORDER

New Delhi-1, the 9th April 1970

No. 53(1)/70-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Sec. 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri N. D. Bhatia, Joint Director, Inspection, New Delhi, an officer of the Government of India, in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Company Affairs) for the purposes of the said Section 209.

The Company Law Board hereby revokes the authorisation earlier issued in favour of Shri N. D. Bhatia in the Ministry of Finance, Department of Company Affairs & Insurance, Order No. 51/1/65-CL.II, dated the 19th January, 1966.

H. D. PANJWANI, Under Secy.
to the Company Law Board

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 13th April 1970

CORRIGENDUM

No. 5-9/69-Estt.II.—In this Department's Resolution No. 5-9/69-Estt.II, dated 31st March, 1970 regarding setting up of "Evaluation Committee" for evaluating the work of Central Family Planning Institute, New Delhi the following corrections may be made :—

Para 2 (iv); *Substitute* "Dr. (Miss) A. George" for existing words "Dr. (Mrs.) A. George."

Para 5; *Substitute* "co-opt/invite" for existing words "co-operate/invite."

R. P. MARWAHA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 8th April 1970

No. 30(1)/70-CDN(I)/ICAR.—Under Rule 34(v) read with Rules 35, 9 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, Shri S. B. Patil, Member, Lok Sabha, Bilgi, District Bijapur, has been selected by the President of the Council (Minister of Food and Agriculture) to be a member of the Governing Body of the Society *vice* Dr. G. S. Dhillon, resigned, for the period from the 18th March, 1970 to the 12th June, 1970 or till such time as he continues to be a member of the Society, whichever period expires earlier.

M. R. KOLHATKAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & YOUTH SERVICES

RESOLUTION

New Delhi, the 31st March 1970

No. F. 5-11/68.T.6.—Whereas sub-section (2) of section 9 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) provides a review of the work and progress of the Institutes of Technology by a reviewing Committee.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under the said sub-section (2) of section 9, the President of India, in his capacity as the Visitor of the Institute has appointed a Reviewing Committee to review the working of the Indian Institute of Technology, Kanpur, with the composition and terms of reference as below :—

Composition

Chairman

1. Dr. S. Bhagawantam, 17 Tinmurthi Marg, New Delhi.

Members

2. Dr. Jagadish Lal, Principal, Motilal Nehru, Regional Engineering College, Allahabad.
3. Dr. V. Ranganathan, Chief (Science), Planning Commission, New Delhi.
4. Shri G. M. Modi, Modi Enterprises, Modinagar, U.P.
5. Shri R. Narasimham, Head of Department of Computer Science, Tata Institute of Fundamental Research, Bombay-5.

Secretary

6. Shri S. Sadasivam, Assistant Educational Adviser (Tech.), Northern Regional Office, Ministry of Education & Y.S., Kanpur.

Terms of Reference

(a) To review the present progress of the Institute of the Technology in the fulfilment of its broad objective.

(b) To examine how far the Institute has inter-acted with other technical institutes with particular reference to courses of study, programmes of research and faculty development;

(c) To assess the overall impact of the Institute on the training of highgrade engineers for the technological development of the country;

(d) To recommend the lines along which the Institute should be further developed for advanced studies and research, taking into account the developments that have taken place or are projected at the other Institutes of Technology and the Indian Institute of Science, Bangalore; and

(e) To report on any other aspect or aspects that are relevant to the overall functioning of the Institute.

2. The Committee shall start functioning at the Institute in the April, 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to :—

1. All State Government/Union Territories.
2. Chief Secretary to the Government of U P, Lucknow
3. Registrar, Indian Institute of Technology, Kanpur
4. Chairman, Members and Secretary of the Committee
5. All Ministries of the Government of India.
6. Chairman, University Grants Commission, New Delhi.

and that the Resolution be published in the Gazette of India

RESOLUTION

No. F. 5-11/68.*T.6*—Whereas sub-section (2) of section 9 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) provides a review of the work and progress of the Institutes of Technology by a reviewing Committee.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under the said sub-section (2) of section 9, the President of India in his capacity as the Visitor of the Institute has appointed a Reviewing Committee to review the working of the Indian Institute of Technology, Bombay, with the composition and terms of reference as below :—

Composition

Chairman

1. Dr. H. N. Sethna, Director, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Bombay-85.

Members

2. Dr. Pranlal Patel, Managing Director, Malleable Iron & Steel Castings Co P. Ltd., Tulsipipe Road, Lower Parel, Bombay-13.
3. Dr. T. K. Roy, Managing Director, Chemical & Metallurgical Design Co. P. Ltd., A-60, Kailash, New Delhi-48.
4. Dr Jagan Chawla, Managing Director, Chawla Design & Consultancy Services P. Ltd, 2, Rajdoot Marg, Chanakyapuri, New Delhi-11.
5. Prof. Y. Phadke, Professor of Electronics, Tata Institute of Fundamental Research, Bombay-5.

Secretary

6. Shri K. N Sundaram, Deputy Educational Adviser (T). Western Regional Office, Ministry of Education & Y.S., Bombay.

Terms of Reference

(a) To review the present progress of the Institute of Technology in the fulfilment of its broad objective as a centre of advanced studies and research in science, engineering and technology;

(b) To examine how far the Institute has inter-acted with other technical institutes with particular reference to courses of study, programmes of research and faculty development;

(c) To assess the overall impact of the Institute on the training of high grade engineers for the technological development of the country;

(d) To recommend the lines along which the Institute should be further developed for advanced studies and research, taking into account the developments that have taken place or are projected at the other Institutes of Technology and the Indian Institute of Science, Bangalore; and

(e) To report on any other aspect or aspects that are relevant to the overall functioning of the Institute.

2. The Committee shall start functioning at the Institute in April, 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to :—

1. All State Government/Union Territories.
2. Chief Secretary to the Government of Maharashtra, Bombay.
3. Registrar, Indian Institute of Technology, Powai, Bombay-76.
4. Chairman, Members and Secretary of the Committee.
5. All Ministries of the Government of India.
6. Chairman, University Grants Commission, New Delhi

and that the Resolution be published in the Gazette of India

RESOLUTION

No. F. 5-11/68 *T.6.*—Whereas sub-section (2) of section 9 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) provides a review of the work and progress of the Institutes of Technology by a reviewing Committee

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under the said sub-section (2) of section 9, the President of India, in his capacity as the Visitor of the Institute has appointed a Reviewing Committee to review the working of the Indian Institute of Technology, Delhi, with the composition and terms of reference as below :

Composition

Chairman

1. Shri M. R. Chopra, Vice-Chancellor, Roorkee University, Roorkee.

Members

2. Shri A. K. Ghosh, Member, Central Water & Power Commission, New Delhi.
3. Dr. P. S. Gill, Director, Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh
4. Dr. A. K. Kamal, Professor of Elect. Communication Engineering, Roorkee University, Roorkee.
5. Shri N. Balasundaram, Managing Director, Eastern Electronics Ltd., Faridabad.

Secretary

6. Shri D. V. Narasimham, Deputy Educational Adviser (T), Ministry of Education & Youth Services, New Delhi.

Terms of Reference

(a) To review the present progress of the Institute of Technology in the fulfilment of its broad objective as a centre of advanced studies and research in science, engineering and technology;

(b) To examine how far the Institute has inter-acted with other technical institutes with particular reference to courses of study, programmes of research and faculty development;

(c) To assess the overall impact of the Institute on the training of high grade engineers for the technological development of the country;

(d) To recommend the lines along which the Institute should be further developed for advanced studies and research, taking into account the developments that have taken place or are projected at the other Institutes of Technology and the Indian Institute of Science, Bangalore; and

(e) To report on any other aspect or aspects that are relevant to the overall functioning of the Institute.

2. The Committee shall start functioning at the Institute in April, 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to :—

1. All State Government/Union Territories.
2. Chief Secretary to the Government of Delhi Administration, Delhi.
3. Registrar, Indian Institute of Technology, New Delhi.
4. Chairman, Members and Secretary of the Committee.
5. All Ministries of the Government of India.
6. Chairman, University Grants Commission, New Delhi.

and that the Resolution be published in the Gazette of India.

RESOLUTION

No. F. 5-11/68.*T*.6.—Whereas sub-section (2) of section 9 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) provides a review of the work and progress of the Institutes of Technology by a reviewing Committee.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under the said sub-section (2) of section 9, the President of India, in his capacity as the Visitor of the Institute has appointed a Reviewing Committee to review the working of the Indian Institute of Technology, Madras, with the composition and terms of reference as below :

Composition

Chairman

1. Dr P. L Bhatnagar, Vice-Chancellor, Rajasthan University, Jaipur.

Members

2. Dr. G. S. Ladha, Director, A. C. College of Technology, Guindy, Madras 25
3. Shri G R. Demodaran, Principal, P. S. G. College of Technology, Coimbatore.
4. Prof. G. S Ramswamy, Director, Structural Engineering Research Centre, Roorkee.
5. Shri M. V. Arunachalam, Tiam House, 11/12 North Beach Road, Madras-1.

Secretary

6. Shri M. S Srinivasan, Asstt. Educational Adviser (T), Southern Regional Office, Ministry of Education & Youth Services, Madras.

Terms of Reference

(a) To review the present progress of the Institute of Technology in the fulfilment of its broad objective as a Centre of advanced studies and research in science, engineering and technology;

(b) To examine how far the Institute has inter-acted with other technical institutes with particular reference to courses of study, programmes of research and faculty development;

(c) To assess the overall impact of the Institute on the training of high grade engineers for the technological development of the country;

(d) To recommend the lines along which the Institute should be further developed for advanced studies and research, taking into account the developments that have taken place or are projected at the other institutes of Technology and the Indian Institute of Science, Bangalore, and

(e) To report on any other aspect or aspects that are relevant to the overall functioning of the Institute.

2 The Committee shall start functioning at the Institute in April, 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to :—

1. All State Government/Union Territories.
2. Chief Secretary to the Government of Tamil Nadu, Madras.
3. Registrar, Indian Institute of Technology, Madras.
4. Chairman, Members and Secretary of the Committee.
5. All Ministries of the Government of India.
6. Chairman, University Grants Commission, New Delhi.

and that the Resolution be published in the Gazette of India

RESOLUTION

No F. 5-11/68.*T* 6.—Whereas sub section (2) of section 9 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) provides a review of the work and progress of the Institutes of Technology by a reviewing Committee

Now therefore, in exercise of the powers vested in him under the said sub section (2) of section 9, the President of India, in his capacity as the Visitor of the Institute has appointed a Reviewing Committee to review the working of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, with the composition and terms of reference as below :—

Composition

Chairman

1 Shri G. Pande, 7, Park Lane, Lucknow.

Members

2 Dr M. N Dastoor, M. N. Dastoor & Co. P. Ltd. Consulting Engineers, P-17, Mission Row Extension, Calcutta 13

3 Prof S V. C. Aiya, Director, National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

4 Prof. D Bannerjee, Principal, Bengal Engineering College, Sibpur, Howrah.

5. Dr. A K Bose, 15/D, Swinhoe Street, Calcutta-19.

Secretary

6 Shri H S. Shahani, Deputy Educational Adviser (T), Eastern Regional Office, Ministry of Education & Y.S, Calcutta.

Terms of Reference

(a) To review the present progress of the Institute of Technology in the fulfilment of its broad objective as a centre of advanced studies and research in science, engineering and technology;

(b) To examine how far the Institute has inter-acted with other technical institutes with particular reference to courses of study, programmes of research and faculty development;

(c) To assess the overall impact of the Institute on the training of high grade engineers for the technological development of the country;

(d) To recommend the lines along which the Institute should be further developed for advanced studies and research, taking into account the developments that have taken place or are projected at the other Institutes of Technology and the Indian Institute of Science, Bangalore; and

(e) To report on any other aspect or aspects that are relevant to the overall functioning of the Institute.

2 The Committee shall start functioning at the Institute in April, 1970.

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to :—

1. All State Government/Union Territories.
2. Chief Secretary to the Government of West Bengal, Calcutta.
3. Registrar, Indian Institute of Technology, Kharagpur.
4. Chairman, Members and Secretary of the Committee
5. All Ministries of the Government of India.
6. Chairman, University Grants Commission, New Delhi.

and that the Resolution be published in the Gazette of India.

L. S. CHANDRAKANT, Jt. Educational Adviser(T)

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

Transport Wing

RESOLUTION

New Delhi, the 7th April 1970

No. 13-*PG*(3)/70.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Madras for the year 1968-69 The following are the salient features of the Report —

1 *Financial Position* : The actual net revenue receipts of the Port Trust for the year under review amounted to Rs 823 00 lakhs as against Rs 750.98 lakhs in the previous year

The net expenditure for the year, including debt charges amounted to Rs. 689.82 lakhs as against 623.68 lakhs during the previous year.

During the year under review, the Port Trust contributed, a sum of Rs. 325 lakhs to its Capital Account, Rs. 74.13 lakhs to the Renewals and Replacements Fund and Rs. 1 lakh to the General Insurance Fund.

The receipts and expenditure of the Pilotage Fund for 1968-69 amounted to Rs. 24.83 lakhs and Rs. 25.10 lakhs respectively The expenditure included a contribution of Rs. 9.45 lakhs to the Revenue Account. Excluding this contribution, the result of the working showed a surplus of Rs. 9.18 lakhs. The closing balance in the account at the end of 1968-69 was Rs. 5.37 lakhs.

The balances in the various Reserve Funds at the end of the year amounted to Rs. 239.46 lakhs. Besides, there was a closing balance of Rs. 152.35 lakhs in the Revenue Account.

Outstanding Loans :

The total amount of loan due to the Government of India as outstanding at the end of the year under review was Rs. 11.16 crores, while the amount of loan outstanding from I.B.R.D. in rupees was 5.10 crores. Against the loan taken from Dutch financiers, a sum of Rs. 1.17 crores was outstanding as on 31st March, 1969.

2. *Traffic* :

The total traffic handled (including transhipment tonnage of food-grains) was 6,025,457 tonnes during 1968-69 as compared to 6,441,927 tonnes in 1967-68. The figures of dead weight tonnage of imports and exports which passed through the port during the year were 3,021,836 and 2,356,170 tonnes respectively. The corresponding figures of imports and exports for the previous year were 3,792,677 tonnes and 2,070,142 tonnes, respectively. There was an increase in the export of ores which rose from 17.30 lakhs during 1967-68 to 20.40 lakhs during 1968-69.

The total volume of coastal trade for the year 1968-69 was 937,754 tonnes as against 1,023,237 tonnes in the previous year. Foreign trade was 4,440,252 tonnes in 1968-69 and 4,839,582 tonnes in 1967-68.

The Port Trust Railway handled a traffic of 3,244,009 tonnes as against 3,461,750 tonnes in 1967-68.

3. *Shipping* :

The number of ships, excluding sailing vessels, that entered the port during the year was 1114 as against 1315 in the previous year. The net tonnage was 5,286,256 as against 6,236,466 during the previous year.

4. *Labour* :

The labour situation during the year was satisfactory. Labour welfare measures continued to receive special attention.

5. *Works* :

The total expenditure on works during the year was 7.46 crores. Some of the important works completed during the year or in progress are mentioned below :—

Works completed :

(i) Construction of Civil Stores Depot and Used material Depots.

(ii) Construction of Electrical Engineering Office.

(iii) Construction of Canteen, First Aid Post and Cycle stand.

(iv) Extension of Administrative Office Building.

Works in progress :

(i) Construction of New Workshops stage II.

(ii) Ancillary works to New Workshops.

(iii) Construction of an oil Dock and Capital Dredging under Oil Dock Scheme.

(iv) Acquisition of two numbers of 5-ton E.O.T. cranes.

6. *Acknowledgement* :

The Government view with satisfaction the work done by the Board during the year under review.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th April 1970

No. 10/4/70-*MIII*.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 10/31/68-MIII, dated the 6th November, 1969, the following further amendment shall be made in this Ministry's Resolution No. 10/31/68-MIII, dated the 20th December, 1968, as amended from time to time, reconstituting the Central Advisory Board for Iron Ore Mines Labour Welfare Fund, namely :—

"In the said Resolution, in para 1, against Serial No. 1, against Serial No. 1, under 'Members representing Employers' Organisations, for the existing entry the following shall be substituted, namely :—

1. Shri A. L. Nair, Director, National Mineral Development Corporation Ltd., New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. The Governments of Andhra Pradesh, Mysore, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Goa, Daman and Diu.
2. The Ministry of Steel, Mines and Metals, (Department of Mines & Metals), New Delhi.
3. All Members of the Board (List attached).
4. Employers and workers organisations concerned.
5. The Chief Personnel and Coordination Officer, National Mineral Development Corporation, Ltd., 61, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi-14.
6. Shri A. L. Nair, I.A.S., Director, National Mineral Development Corporation Ltd., 61, Ring Road, Lajpatnagar, New Delhi-14.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. R. NAIR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969